लोक सभा

वाद-विवाद

(अष्टम माला)

खंड 45

[13 से 16 दिसम्बर, 1988/22 से 25 अग्रहायण, 1910 (शक)]

बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

(खंड 45 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

प्रथम माला, खंड 45, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 21, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 1988/22 अग्रहायण, 1910 (शक)

विषय			पृष्ठ
सोवियत संघ के आर्मीनिया गणराज्य में भूकंप से हुई जनहानि पर संवेदना	...	...	1—5
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	5—11
राज्य सभा से संदेश	...	...	12
विधेयक पुर:स्थापित			
(एक) प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक	...	...	12
(दो) संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक	...	...	14
(तीन) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	...	...	14
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव			
नियम 67 का निलम्बन	...	...	13
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	15—19
(एक) उड़ीसा के लिए एक पृथक कोयला खनन कंपनी, जिसका मुख्यालय सम्बलपुर में हो, बनाए जाने की आवश्यकता			
डा० कृपासिन्धु भोई	...	...	15
(दो) 14 अप्रैल, 1991 को होने वाली डा० अम्बेडकर की जन्म-शताब्दी के संबंध में समारोहों के लिए एक कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता			
श्री गंगा राम	...	...	15

(तीन) सागर (मध्य प्रदेश) में पेयजल की कमी दूर करने के लिए नर्मदा/बीना नदी संबंधी एक व्यापक योजना हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री नन्दलाल चौधरी 16

(चार) बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाना

डा० गौरी शंकर राजहंस 16

(पांच) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में समुदायों को जोड़ने/हटाने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने और मंडल आयोग का प्रतिवेदन कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौड़ ... ... 16—17

(छः) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी ... 17

(सात) संयुक्त राज्य अमरीका से कीड़े लगे गेहूं के आयात की जांच किए जाने की आवश्यकता

डा० ए० के० पटेल 17

(आठ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तूफान से प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुएं और वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 18

(नौ) उड़ीसा में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को, उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित हुए प्रत्येक परिवार के एक

विषय			पृष्ठ
व्यक्ति को रोजगार देने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता			
श्री सोमनाथ रथ	...	...	18—19
धन (संरक्षण) संशोधन विधेयक	...	...	19—83
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री शांताराम नायक	...	...	19—21
प्रो० एन० जी० रंगा	...	...	21—22
श्री डी० बी० पाटिल	...	...	23
डा० प्रभात कुमार मिश्र	...	...	24—25
श्री उत्तम राठौड़	...	...	25—27
श्री जी० भूपति	...	...	28
श्री शांति धारीवाल	...	...	29—31
डा० दिग्विजय सिंह	...	...	31—34
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	...	34—35
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	36—38
श्री भरत सिंह	...	...	38—39
श्री पीयूष तिरकी	...	...	39—41
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	...	...	41—43
श्री मनोरंजन भक्त	...	...	43—45
श्री वी० मोहनाद्रीश्वर राव	...	...	45—48
श्री माणिकराव होडल्या गावित	...	...	48—50
श्री चिन्तामणि जेना	...	...	50—51
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	...	51—53
श्री जगन्नाथ पटनायक	...	...	54—55
श्री उत्तमभाई ह० पटेल	...	...	55—56
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	...	...	56—57
श्री शंकर लाल	...	...	57—59
श्री विष्णु मोदी	...	...	59—60
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	...	...	60—65
खंडवार विचार			
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	...	...	83

विषय			पृष्ठ
नियम 193 के अधीन चर्चा	...	...	83—94
सियोल ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन			
श्री एन० टोम्बी सिंह	...	...	83 - 86
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	86—88
श्री पराग चालिहा	...	...	88—91
डा० गौरीशंकर राजहंस	...	...	91—92
श्री हरीश रावत	...	...	92—94
नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में वक्तव्य		...	95
सरदार बूटा सिंह	...	...	95
कार्य-मंत्रणा समिति			
64वां प्रतिवेदन	...	...	96

लोक सभा

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 1988/ 22 अग्रहायण, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सोवियत संघ के आर्मीनिया गणराज्य में भूकम्प से हुई जनहानि पर संवेदना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमें 7 दिसम्बर, 1988 को आर्मीनिया सोवियत गणराज्य में आए विनाशकारी भूकम्प से भारी पैमाने पर हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा खेद है। स्पितक नगर बिल्कुल तहस-नहस हो गया है, जबकि आर्मीनिया के दो अन्य नगरों को 80 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारी पैमाने पर बचाव और राहत सहायता दी है जिसमें हमारी सरकार ने भी अपना योगदान दिया है।

इस प्राकृतिक विपदा के कारण हुई मौतों पर हमें गहरा शोक है और सोवियत संघ की सरकार और वहां की स्नेही जनता के साथ हमें गहरी सहानुभूति है। सदस्यगण अब दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मुख्य मंत्री के परिवार के कारण हरियाणा में महिलाओं का जीवन खतरे में है···(व्यवधान) उन्हें निलम्बित कर दिया जाना चाहिए···(व्यवधान) आप कृपया महिलाओं की रक्षा कीजिए · (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा है ?···

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : पहले भी एक बार हो चुका है। राजस्थान की इसी फैमिली से दो बार अत्याचार हो चुके हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : संसदीय कार्य मंत्री महोदय, नेताओं की बैठक में जो निर्णय लिया गया, क्या आप उस बारे में बताएंगे···(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा है। मैं मानता हूं आपकी बात को। आपको दर्द होता है लेकिन सवाल यह है कि वहां एसेम्बली है और एसेम्बली में ये सवाल उठने चाहिएं। स्टेट से सम्बन्धित यह मामला है। आप उठाओगे, मैं जानता हूं। मैंने पहले भी सुना है और अब भी सुन रहा हूं लेकिन हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उसके बाहर यह आता है।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हम आपसे न्याय चाहते हैं। वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं··· (व्यवधान) मुख्य मंत्री भी इसमें शामिल हैं। उन्हें निलम्बित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : दूसरी बार यह हुआ है। दो बार ऐसे वाक्ये हो चुके हैं···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : धारीवाल जी, ऐसा है कि यह अखबारों की खबर है। जब तक ठोस बात न हो, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : कानून जो है, वह अपने हिसाब से इसे करेगा।

···(व्यवधान)···

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है। इस देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पुलिस अधिकारी इस सदन के एक सदस्य के साथ मार-पीट करने के बाद बच निकल सकता है। इस सभा के दोनों पक्षों के प्रत्येक सदस्य इस बारे में समान रूप से चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

प्रो० पी०जे० कुरियन : आप इस सभा के सदस्यों के अधिकारों के रक्षक हैं। मेरा अनुरोध है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि संसद सदस्यों के सम्मान और सुरक्षा का महत्व बहुत अधिक है। मैं इसे पूरा महत्व देता हूं। इस सभा का प्रत्येक सदस्य इससे संबंधित है। मेरा यह कहना है कि पुलिस को अपने काम में संयम बरतना चाहिए। वह मामला तो

कर सकते हैं, वह उसे गिरफ्तार कर सकते हैं—यह अलग बात है—किन्तु लाठियों से मारना या उत्पीड़ित करना—मैं इसे ठीक नहीं समझता। मैं इसे पसन्द नहीं करता।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने बिहार में जय प्रकाश नारायण को भी नहीं छोड़ा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी मामलों का जिक्र कर रहा हूं। चाहे वह कोई भी ग्रुप हो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सदन के हर सदस्य को वही अधिकार प्राप्त हैं जो इस देश के लोगों को प्राप्त हैं। उन्हें कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, किन्तु इसके साथ ही मैं पुलिस को भी चेतावनी देता हूं कि उन्हें संसद सदस्यों के साथ हाथापाई करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें, उसे गिरफ्तार करने, मामला दर्ज करने का पूरा अधिकार है। कानून को जो फैसला करना है वह कर लेगा। उन्हें किसी भी व्यक्ति, विशेषकर, संसद सदस्य को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी साधारण सदस्य को भी पीटा जाए।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : पुलिस द्वारा बिहार में एक भूतपूर्व संसद सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, क्या इस सभा के एक माननीय सदस्य की पिटाई किये जाने को आप उचित समझते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइये नहीं। मैं जो कह रहा हूं, वह यह है कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में बहस मत कीजिए। हम इस बात पर एकमत हैं कि इसमें कोई अपवाद नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपका धन्यवाद।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप पुलिस अधिकारी को इतना सब होने के बाद भी बच निकलने की अनुमति दे रहे हैं? (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हरियाणा में महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है। कृपया बैठ जाइए। आप इस मामले को गृह मन्त्रालय में भेजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आप इसे विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं भेजते? आपको पुलिस अधिकारी को बच निकलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : सबसे अधिक दुख की बात यह है कि इस पुलिस अधिकारी विशेष की पदोन्नति कर दी गई और आयुक्त के रूप में उसकी उच्च पद पर तैनाती की गई थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइये। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : आपको याद होगा कि इसी सभा में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि

[प्रो० मधु दंडवते]

संविधान में अनुच्छेद 371 (2) जोड़ा गया है जिसमें विदर्भ तथा मराठवाड़ा के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों की व्यवस्था की गई है और हमने कोंकण के लिए भी इस बात की मांग की है। मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 7 दिसम्बर को हजारों लोगों ने कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ हेतु अलग विकास बोर्डों के लिए इस विशेष उपबन्ध के कार्यान्वयन की मांग को लेकर कोंकण में प्रदर्शन किया था। सम्पूर्ण सभा उस पर सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : महाराष्ट्र में, कांग्रेस के लोगों ने तथा विपक्ष के लोगों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप 377 दे दें, उसको करवा देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैंने नियम 187 के अन्तर्गत नोटिस दिया है कि सरकार को कोंकण में हुए आन्दोलन के बाद वक्तव्य देना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : महोदय, गत सप्ताह मैंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में एक मामला उठाया था···

अध्यक्ष महोदय : उसका ब्यौरा मुझे मिलने वाला है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपने हमें आश्वासन दिया था ··

अध्यक्ष महोदय : आप चिन्ता न कीजिए। मैं अपने आश्वासन पर हमेशा कायम रहता हूं। मुझे वह मामला सीधे ही मिल जाएगा, चिन्ता न कीजिए। मैंने इसके लिए सम्बन्ध स्थापित किया हुआ है और आपने नागालैंड के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसका मेरे मस्तिष्क में प्रमुख स्थान है···

श्री बसुदेव आचार्य : इसको इस सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने से पहले किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चिन्ता न कीजिए, यह हो जाएगा। मेरे विचार में मुझे आज कुछ मिल जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : कल आप हमें बता सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस सभा को स्थगन किये जाने से पहले।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं। आप चिन्ता न कीजिए, जब भी मैं कोई बात कहता हूं, आप

जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बात पर कायम रहता हूं। कम से कम आपको यह पता होना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने जो मामला उठाया है उसके बारे में आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि मैं सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं लेकिन राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का मेरे पास अधिकार नहीं है। समस्या यही है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मुख्य मंत्री इससे अन्तर्ग्रस्त हैं···(व्यवधान)···उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए न्यायालय है; इसके लिए उच्च न्यायालय है। वे उसमें अपील कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों का समय है। श्री जे० वेंगल राव।

11.10 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि के बारे में विवरण

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1)के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—7058/88]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान ओर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ओर्गेनिक लिमिटेड केमिकल्स का वर्ष 1987-88 का वार्षिक

[श्री के० वेंकट राव]

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—7059/88]

भारतीय जन-संचार संस्थान का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—7060/88]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : मैं श्री एम० एल० फोतेदार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—7042/88]

झेपी/दमन संचन मशीन पर सीमा शुल्क घटाने और मालकर (दसवां संशोधन) नियम, 1988 के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 313/88 सी० शु० तथा 314/88-सी० शु०, जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और जो झेपी/दमन संचन मशीन पर सीमा-शुल्क में मूल्यानुसार 55

प्रतिशत तक कमी करने तथा साथ ही चार विनिर्दिष्ट पैकेजिंग मशीनरी के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 35 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से मूल्यानुसार 55 प्रतिशत तक वृद्धि करने के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गये। देखिए संख्या एल० टी०—7061/88]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 1988, जो 28 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1108 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गया। देखिये संख्या एल०टी०—7043/88]

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7062/88]

भारतीय जीवन बीमा निगम का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षक लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7044/88]

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन की और कार्यकरण समीक्षा और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7045/88]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—7046/88]

कयर बोर्ड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा सैंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सैंटर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण

उद्योग मन्त्री (श्री बी० वेंगल राव) : श्री एम० अरुणाचलम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत कयर बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कयर बोर्ड कोचीन के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०— 7047/88]

(2) (एक) सैंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—7048/88]

(3) (एक) सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7049/88]

(4) (एक) सैंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—7050/88]

कॉफी (दूसरा संशोधन) नियम 1988, राज्य व्यापार निगम का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा कार्यकरण की समीक्षा और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कॉफी (दूसरा संशोधन) नियम, 1988, जो 29 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—7063/88]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

(दो) राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—7064/88]

(3) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०—7065/88]

(4) (एक) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—7056/88]

औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1988, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1988, जो 2 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 675 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 1988, जो 27 जुलाई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 813 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—7051/88]

(3) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी –7052/88]

(4) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—7053/88]

(5) (एक) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० – 7054/88]

(6) राष्ट्रीय प्राकृतिक-चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—7055/88]

चण्डीगढ़ किशोर न्याय नियम, 1987

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव): मैं किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 62 के अंतर्गत जारी किये गये चंडीगढ़ किशोर न्याय नियम, 1987, जो 14 मार्च, 1988 के चंडीगढ़ राजपत्र में अधिसूचना संख्या 56/4/188-एफ० II (14)/ 3416 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—7057/88]

———

11.12 म०पू०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 दिसम्बर, 1988 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1988 को पारित किये गये बैंककारी, लोक वित्तीय सस्था और परक्राम्य विधि संशोधन विधेयक, 1988, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे तमिलनाडु विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक 1988 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 दिसम्बर, 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे तमिलनाडु विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक 1988 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 दिसम्बर, 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

— ———

11.13 म० पू०

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव* करता हूं कि आयकर अधिनियम 1961, धन कर अधिनियम 1957; दान कर अधिनियम, 1958 तथा प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत/पुर:स्थापित।

"कि आयकर अधिनियम 1961, धन कर अधिनियम, 1957, दान कर अधिनियम 1958 और प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आशा करता हूं कि पिछले बार के विपरीत इस बार इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

— ——— —

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

नियम 67 का निलम्बन

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 67 को, जहां तक वह संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 के पुर:स्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है क्योंकि श्री सत्यगोपाल मिश्र, संसद सदस्य का ठीक ऐसा ही विधेयक, अर्थात संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985 (अनुच्छेद 3 6 में संशोधन) सभा के समक्ष पहले ही लम्बित है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 67 को, जहां तक वह संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 के पुर:स्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है क्योंकि श्री सत्यगोपाल मिश्र, संसद सदस्य का ठीक ऐसा ही विधेयक, अर्थात संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985 (अनुच्छेद 326 में संशोधन) सभा के समक्ष पहले ही लम्बित है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जहां तक आप सदस्यों को निलम्बित न करें, वहां तक ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने कभी ऐसा किया है ? कम से कम ऐसी एक अनुसंशा तो दे ही दें।

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) : आप शून्य काल को निलम्बित कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपके सहयोग से मैं ऐसा कर सकूंगा। मैं सहयोग करने वाला व्यक्ति हूं।

———

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत/पुर:स्थापित।

11.14 म० पू०

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव* करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण बिल के बारे में तुलसीराम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनको कुछ बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने तो रामायण लिख दी है जो हमेशा बोलती रहेगी।

श्री बी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : आपके साथ बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत/पुर:स्थापित।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह बहुत ही अपर्याप्त विधेयक है। यह उतना ही कमजोर है जितने कि मन्त्री महोदय हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय कमजोर हैं ? मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल ठीक हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : उन्होंने पहाड़ को राई बना दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पहाड़ बना दें।

11.15 म०पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के लिए एक पृथक कोयला खनन कंपनी, जिसका मुख्यालय सम्बलपुर में हो, बनाये जाने की आवश्यकता

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में ईब घाटी कोयला क्षेत्र का नियन्त्रण वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि०, नागपुर के हाथ में है तथा तलचेर व सुन्दरगढ़ में स्थित कोयला खान सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०, रांची के नियन्त्रण में है। अत: उड़ीसा में स्थित कोयला खानें दो अलग-अलग कंपनियों द्वारा नियन्त्रित हैं। इसके परिणामस्वरूप, उड़ीसा में उपलब्ध कोयले के संसाधनों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण, अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां भी सामने आ रही हैं। अत: मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा के लिए एक अलग कोयला कंपनी की स्थापना की जाये जिसका मुख्यालय सम्बलपुर में हो।

(दो) 14 अप्रैल, 1991 को होने वाली डा० अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के सम्बन्ध में समारोह के लिये एक कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गंगाराम (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे। वे हमारे पुनीत संविधान के निर्माता थे। उन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। उन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों तथा निर्बल वर्ग के व्यक्तियों की विशेष सेवा की। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किए। उनकी जन्म शताब्दी 14 अप्रैल 1991 को पड़ेगी। हमें देश के अन्य महान नेताओं की भांति उनकी जन्म शताब्दी पूरे देश में मनानी चाहिए। शासन इस दिशा में अभी से एक्शन प्लान बनाकर उसे क्रियान्वित करे।

(तीन) सागर (मध्य प्रदेश) में पेय जल की कमी दूर करने के लिये नर्मदा/बीना नदी सम्बन्धी एक व्यापक योजना हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त किये जाने के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर) : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के सागर नगर में पेयजल की समस्या को स्थायी रूप से हल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। छोटी-मोटी पेयजल योजना इस विकासशील एवं बढ़ने वाली आबादी के नगर में पर्याप्त नहीं है। हमेशा पेयजल की कमी बनी हीरहेगी और जनता को पेयजल की कमी से हमेशा ही कष्ट उठाते ही रहना पड़ेगा। अतएव केन्द्रीय सरकार कृपया मध्य प्रदेश शासन को यह निर्देश दे कि राज्य शासन पेयजल समस्या के स्थायी हल हेतु बरसान के पास से नर्मदा नदी से या बीना नदी से पेयजल प्रदाय की बृहद योजना तैयार करे और चूंकि सागर नगर विश्व बैंक योजनाओं के लिए ऋण सहायता हेतु सम्मिलित कर लिया गया है इसलिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस सुविधा का लाभ दिलवाने हेतु अग्रसर हो।

(चार) बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाना

[अनुवाद]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : यह जानकर खुशी हुई है कि भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के महत्व को समझा है तथा इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है।

उत्तर बिहार का मिथिला क्षेत्र चुनींदा आमों को प्राप्त करने के लिये एक अच्छा स्थान है। वहां पर आम बहुत सस्ते दामों पर मिलते हैं। इसके अलावा अन्य फलों एवं सब्जियों की चुनींदा किस्में भी वहां पर बहुत सस्ते दामों पर मिलती हैं।

दुर्भाग्यवश, इन फलों एवं सब्जियों के उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। ये फल एवं सब्जियां जल्दी खराब हो जाते हैं।

मिथिला क्षेत्र में जबर्दस्त बेरोजगारी है। इसके अलावा, वहां कोई भी उद्योग नहीं है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में जल्दी ही एक फल प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जाये।

(पांच) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में समुदायों को जोड़ने/हटाने के लिए संविधान में संशोधन किये जाने और मण्डल आयोग का प्रतिवेदन कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सरकार पिछले कई दशकों से संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जातियों को जोड़ने तथा कुछ को हटाने के सम्बन्ध में घोषणा करती रही है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है तथा इससे लोगों में बड़ा असंतोष पैदा हुआ है।

यद्यपि मण्डल आयोग ने दिसम्बर 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी परन्तु अब तक इसे स्वीकार

करने तथा लागू करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। इससे भी 51% पिछड़े वर्गों के लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है।

सरकार से निवेदन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में से कुछ जातियों एवं जनजातियों को जोड़ने और कुछ को हटाने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक शीघ्र लाया जाये। तथा मण्डल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करके उसे लागू किया जाये।

(छः) बिजली की कमी को पूरा करने के लिये आंध्र प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : दो कारणों से आंध्र प्रदेश में बिजली की जबर्दस्त कमी है। पहला, पिछले पांच सालों में उद्योगों के लिए बिजली की मांग दुगुनी हो गयी है और दूसरा, राज्य बिजली के लिये, ताप बिजली से अधिक जल विद्युत पर निर्भर करता है। राज्य की दो तिहाई विद्युत आवश्यकता पन बिजली उत्पादन से पूरी की जाती है जिससे गर्मियों के दिनों में तथा सूखे के कारण पानी की कमी से बिजली उत्पादन में काफी कमी हो जाती है। ताप विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहिये। ताप विद्युत उत्पादन के लिये अनेक योजनायें है जिनको कि पूरा किया जाना है। राज्य सरकार धन की कमी के कारण इन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। कुछ महीने पूर्व, रायल-सीमा परिक्षेत्र के मुछनारू क्षेत्र में एक ताप बिजली घर बनाने की योजना थी, जहां साल भर सूखे की स्थिति रहती है। इस परियोजना के जल्दी पूरा होने के लिए भी धन की आवश्यकता है।

हाल ही में जापान ने देश में विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए भारी सहायता का वायदा किया है। चूंकि आंध्र प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, बिजली की कमी से कृषि पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः राज्य में विद्युत उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

अतः यह निवेदन है कि जापान से प्राप्त सहायता राशि में से पर्याप्त राशि आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिए खर्च किया जाना चाहिए।

(सात) संयुक्त राज्य अमरीका से कीड़े लगे गेहूं के आयात की जांच किये जाने की आवश्यकता

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : लोगों में तथा प्रेस में इस बात पर बहुत रोष है कि अमेरिका से लगभग 20 लाख टन ऐसा गेहूं आयात किया गया है जो एरगोट से प्रभावित है और इसे गुजरात में हाल ही में सील बन्द किया गया है।

एरगोट से प्रभावित गेहूं को खाने से लकवा मार सकता है या पेचिश हो सकती है। यदि इसका प्रयोग बीज के रूप में किया जाए तो यह बीमारियां महामारी का रूप भी ले सकती हैं।

सौराष्ट्र में भावनगर की "प्लांट प्रोटेक्शन क्वेरेन्टाइन लेबोरेटरी" में इस गेहूं की जांच की गई थी जहां इसे दूषित पाया गया था, तथा यह निर्णय लिया गया कि इस गेहूं को जहाजों से उतारा नहीं जाये, लेकिन न जाने किन कारणों से इसे जहाजों से उतारा गया।

अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, यदि इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जाए तो बेहतर होगा।

(आठ) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के तूफान से प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुएं और वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा व तूफान से फसलों, बागानों, जेटियों, सड़कों, जमा पानी, सड़कों तथा इमारतों को व्यापक रूप से नुकसान हुआ है। करीब 10 करोड़ रुपये के मूल्य की क्षति होने का अनुमान है। 16 नवम्बर को तूफानी मौसम तथा वर्षा के कारण हवाई जहाज पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर उतर नहीं सके। सिर्फ 17 नवम्बर को एक हवाई जहाज पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर उतर सका। तथा उसके बाद भी तूफानी मौसम भारी वर्षा की स्थिति चलती रही तथा बाकी देश से इस द्वीप समूह का संबंध करीब-करीब टूट सा गया था। 24 नवम्बर की रात को तूफान ने भीषण रूप ले लिया तथा भारी क्षति हुई। तूफान 29 नवम्बर तक चलता रहा। दक्षिण में ग्रेट निकोबार से लेकर उत्तर में दिगलीपुर तक भारी क्षति हुई।

हालांकि इस दौरान किसी के मरने का समाचार नहीं है, लेकिन मछेरों की नौकाओं, जाल आदि और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। 7 तथा 8 दिसम्बर को उत्तर तथा मध्य अंडमान में तूफान तथा भारी वर्षा आरम्भ हो गई, जिसमें 15 लोगों की जानें गईं तथा 21 लोग लापता हैं। पशु और मुर्गियां आदि भी भारी संख्या में मारे गये हैं। धान की फसलें, बागवानी फसलें, रबी की फसलें जैसे सब्जियों तिलहनों तथा दालों आदि की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गये हैं। बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए तथा जीवन यापन के लिए साधन जुटाने के लिए उन लोगों को पशु, नौकाएं, जाल आदि सप्लाई किए जाने के लिये तुरन्त राहत सम्बन्धी उपाय किए जाने आवश्यक हैं। उनके रोजगार के लिए तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिए अन्यथा लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। द्वीप समूह में तुरन्त युद्ध स्तर पर आवश्यक वस्तुएं भेजे जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि संघ राज्य प्रशासन को तुरन्त सहायता पहुंचाने के लिए सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही की जाए।

(नौ) उड़ीसा में नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी, भारत एल्यूमीनियम कम्पनी और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को, उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित हुए प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : राष्ट्रीय अल्यूमीनियम कम्पनी साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परियोजनाओं के कारण उड़ीसा में बहुत से लोग विस्थापित हो गए हैं। नेलको तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने आश्वासन दिया था कि प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है नेलको तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कम्पनियां उन लोगों को जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। नौकरियां प्रदान करने के नियम का कड़ाई से पालन नहीं कर रही है। भारत एल्यूमीनियम कम्पनी भी स्थानीय लोगों के उचित पुनर्वास के मामले में उनके साथ किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी है। सभी प्रभावित व्यक्ति गरीब तथा सीमांत किसान हैं। तथा उनमें से अधिकांश आदिवासी है।

अत: मैं चाहता हूं कि सरकार को नेलको, बालको, तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स आदि सरकारी

क्षेत्र की कम्पनियों को निर्देश देना चाहिए कि वे उड़ीसा में विस्थापित लोगों को रोजगार प्रदान करें।

---

11 25 म० पू०

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक---(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जियाउर्रहमान अंसारी द्वारा 7 दिसम्बर, 1988 को प्रस्तुत किए गए निम्न लिखित प्रस्ताव पर विचार करेंगे, अर्थात् :—

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में विचार किया जाए।"

श्री शान्ताराम नायक।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं। वास्तव में, हालांकि विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है फिर भी मुख्य अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में जो खामियां रह गई थीं उन्हें इसके द्वारा दूर किया गया है। वास्तव में जैसा कि मैंने पहले इस सदन में सुझाव दिया था, मुझे बहुत खुशी होती यदि वन अधिनियम, 1927 तथा वन अधिनियम, 1980 को मिलाकर एक व्यापक अधिनियम बना दिया जाता, क्योंकि दो अलग-अलग भागों में कानून बनाना बिल्कुल अनावश्यक है।

11.26 म० पू०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब वन अधिनियम, 1980 को लागू किया गया था तो इसे वन अधिनियम, 1927 के संशोधन के रूप में बनाया गया था। यदि आप गौर करें तो वन अधिनियम काफी पुराना है तथा इसमें आमूल संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अधिनियम में जो त्रुटियां थीं, 1980 के अधिनियम द्वारा उन्हें दूर कर दिया गया था तथा हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 1980 के अधिनियम द्वारा वनों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन यदि 1927 के अधिनियम पर पूर्णरूप से पुनर्विचार किया जाता तथा एक व्यापक कानून बनाया जाता तो मेरा विचार है प्रक्रिया के दृष्टिकोण से यह एक बहुत अच्छा आदर्श होता।

मैं वर्तमान विधेयक के एक खण्ड के बारे में आपको बताऊंगा, इस विधेयक में गैर-वानिकी प्रयोजनों को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है, "कोई भी वन भूमि या उसके किसी भी भाग को लीज के द्वारा या अन्यथा किसी भी प्राइवेट व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है।" यदि आपने इसे लीज पर दिया है यह गैर-वन परियोजना के अन्तर्गत आयेगी। यदि आप इसे लाइसेंस के जरिये देते हैं तो आप कह सकते हैं कि लाइसेंस, "अन्यथा" या "लीज या अन्यथा" के अन्तर्गत आयेगा। यदि कोई व्यक्ति भूमि लाइसेंस के जरिये देता है, चूंकि आपने यहां लीज अथवा अन्यथा रूप में कहा है, अतः इसका अर्थ यह हो सकता है कि लाइसेंस, "अन्यथा" के अन्तर्गत आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि लाइसेंस के अधीन आप भूमि नहीं देते हैं। सम्पत्ति किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जाती है। इसलिए लाइसेंस निरापद रहते हैं और यह इस खण्ड के अन्तर्गत नहीं आता है।

[श्री शांताराम नायक]

कृपया इस पहलू की जांच कीजिए। चूंकि कोई भी वन भूमि अथवा वन भूमि का कोई भाग लीज द्वारा या अन्यथा दिया जा सकता है, इसलिए पहली बात तो यह है कि आपको भूमि देनी होगी और यहां लाइसेंस का जो प्रावधान रखा गया है आप कोई सम्पत्ति नहीं देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पहलू की जांच की जाये ताकि इसमें कोई त्रुटि न रहे।

दूसरे, हमारा आदर्श 33 प्रतिशत वन भूमि का है। कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि 19 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र में आती है जबकि कोई कहता है कि यह 10 प्रतिशत से भी कम है। वास्तव में भारत सरकार के अनुसार सही आंकड़े क्या हैं ? इस बारे में बताया जाये और सदन को विश्वास में लिया जाये। आज कितने प्रतिशत भूमि पर वन हैं। क्या 19 प्रतिशत में अथवा 10 प्रतिशत से कम। और यदि यह 10 प्रतिशत से भी कम है तो हम 33 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करने जा रहे हैं।

महोदय, आपको वन अधिनियम और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के सम्बन्ध में संवैधानिक तंत्र पर पुनः विचार करना होगा। मूलतः जब अपराध होता है तो उस पर राज्य अभियोग तंत्र विचार करता है। तथा यदि राज्य अभियोग तंत्र वन के मामले में प्रभावकारी नहीं है तो हम कोई भी कानून बनाएं, हम चाहे कुछ भी आदर्श सामने रखकर चलें, पर साधारण तौर पर छोटे सरकारी वकील या पुलिस जांच अधिकारी द्वारा अपना कार्य उचित ढंग से नहीं किये जाने पर वनों के मामले में सारा उद्देश्य तथा नीति धरी की धरी रह जायेगी। ऊपरी तौर से देखने में यह मामला छोटा-सा दिखाई देता है, पर मैं चाहता हूं आप इस पहलू पर विचार करें तथा राज्य सरकारों को अभियोग के मामले में अपना तंत्र मजबूत बनाने के लिए निर्देश दें।

महोदय, वन अपराधों के मामले में मुद्दामलों को जब्त किया जाता है, अन्ततः मुद्दामल का होता क्या है। उनका क्या किया जाता है, क्या इसे उचित ढंग से रखा जाता है तथा क्या वास्तविक मुद्दामल, जो प्राप्त किया जाता है उसे ठीक प्रकार से जब्त किया जाता है। इन सब पहलुओं पर आपको गौर करना है।

महोदय, हम चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैंने इस विधेयक का, जो अभी-अभी पेश किया गया है अध्ययन किया है यह विधान सभा अथवा संसद के चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की अनर्हता के बारे में है।

महोदय, अपराध अनेक कानूनों के तहत हो सकता है यदि वे अपराध करते हैं मान लीजिये खाने की चीजों में मिलावट, बलात्कार तथा अनेक आर्थिक अपराधों के मामले में किसी व्यक्ति को छः महीने की सजा होती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को इन अपराधों के कारण छः मास की सजा होती है तो उसे चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जायेगा। अतएव मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को विधि मंत्रालय को सौंप दें तथा कहें कि जो भी व्यक्ति वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा किसी भी वन संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण के कानून का उल्लंघन करता है उसे भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे यहां अनेक निवारक नजरबन्दी कानून हैं। जहां तक वन सम्बन्धी अपराधों का सम्बन्ध है ऐसा कोई निवारक नजरबन्दी कानून नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विस्तार करके इसे वनों पर भी लागू किया जा सकता है अथवा नहीं; हम वनों के लिए

सिर्फ इसी कानून के दायरे को बढ़ा सकते है तथा ऐसा कोई अन्य कानून नहीं है। हमारे यहां उत्पाद व सेवा शुल्क संबंधी अपराधों के लिए अनेक निवारक नजरबन्दी कानून हैं; क्यों न हम वन संबंधी अपराधों के लिये भी निवारक कानून बनाएं ?

मैं आपका ध्यान एक अन्य खण्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक सजा का संबंध है, खण्ड 3क में कहा गया है :

"जो कोई धारा 2 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 15 दिन तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।"

गम्भीर अपराध के लिये धारा 2 में उपबन्ध है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्राप्त किये गैर-वानिकी प्रयोजनों से वनों का उपयोग करता है तो वह गम्भीर अपराध का मामला होगा तथा इसके लिए 15 दिन तक की कैद का प्रावधान है। इसका अभिप्राय है अदालत एक दिन की कैद तक की भी सजा दे सकती है। गम्भीर अपराधों के मामलों में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। हमारे यहां निवारक कानून नहीं है वर्तमान कानून के अधीन भी किसी भारी सजा का प्रावधान नहीं है तथा इसके लिए सिर्फ 15 दिन तक की कैद का प्रावधान है। कृपया इस सजा को और अधिक सख्त बनाएं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

प्रो० एन० जी० रंगा० (गुंटूर) : जहां तक इस अधिनियम के अधीन आने वाले अपराधों का संबंध है मुझे खेद है मेरे माननीय मित्र श्री नायक ने इसकी सजा के लिए और अधिक प्रावधान बनाये जाने का सुझाव दिया है। मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता इस समय हमारा जो कानून है उसी से वन अधिकारी काफी परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं तथा उनके ऊपर अंकुश बहुत कम है। वन क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले हमारे किसानों की निरन्तर यह शिकायत रही है कि यह वन अधिकारी हमारे लोगों को परेशान करते हैं। तथा इसके साथ ही यदि हमारे पास प्रभावी कार्यवाही के लिए इस प्रकार के सुझाव आते है तो हम अपने किसानों का जीवन दूभर कर देंगे। वास्तव में विकास कार्यक्रम तथा वन संरक्षण में परस्पर विरोध है। इस प्रश्न का उल्लेख हमारे अनेक वक्ताओं ने किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे तथा फिर विकास संबंधी कार्यक्रमों से जुड़े विभागों की सलाह लेकर, वे इन क्षेत्रों के लिए नये दिशा निर्देश बनाएं जो कि हर फैक्टरी तथा हर उद्योग को जारी किये जाने चाहिएं। इस समय इनमें से अनेक फैक्टरियां बहुत अधिक भूमि प्रदान किये जाने की मांग कर रही हैं तथा इसलिए इस संबंध में कुछ विचार किया जाना चाहिए।

दूसरे, मैं कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियो के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं भगवान् बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूंगा जिन्होंने वृक्षों तथा सभी जीवन्त चीजों का आदर करने का उपदेश दिया था। तत्पश्चात् महात्मा गांधी तथा उनके बाद इंदिरा गांधी का नम्बर आता है जिन्होंने स्टोकहोम सम्मेलन में पृथ्वी माता तथा सभी पेड़ों, वन्य पशुओं तथा इस भूमि पर विचरने वाले अन्य पशुओं की रक्षा के लिए अनुरोध किया था। इसके बाद मैं श्री के० एम० मुंशी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने वन महोत्सव की शुरूआत की, वह वन महोत्सव जो कि सरकार तथा जनता की सहायता से पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, लेकिन उतने प्रभावी ढंग से नहीं जितने प्रभावी ढंग से चलाया जाना चाहिए। तथा मुझे आशा है मेरे माननीय मित्र, इस विधेयक के प्रभारी मंत्री तथा राज्य स्तर के मंत्रीगण इस पर अधिक ध्यान देंगे तथा इन वन महोत्सव को जन आन्दोलन बनाने के लिए अधिक धन प्रदान करेंगे ताकि हमारे वनों के विकास तथा सुरक्षा के लिए जनता का भी अधिक से अधिक सहयोग मिल सके। वन दो प्रकार के हैं, आरक्षित वन तथा अनारक्षित वन। दक्षिण भारत

[प्रो० एन० जी० रंगा]

में अनारक्षित वनों के मामले में हमने वन अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों के मध्य तालमेल लाने की कोशिश की है। अतएव हमने वन पंचायतों का संगठन किया है। मैंने स्वयं भी आन्ध्र प्रदेश तथा प्राचीन मद्रास राहर अर्थात वर्तमान मद्रास के अनेक जिलों में सैकड़ों ऐसी पंचायतों का संगठन किया है। तथा इन पंचायतों ने वास्तव में सराहनीय कार्य किया है। लेकिन इसके साथ ही यह भी खतरा है कि यह पंचायतें वन महोत्सव तथा वृक्षों की संख्या में वृद्धि किये जाने में अवरोधक न बन जाये। हमें सामाजिक वानिकीकरण के साथ साथ लोगों की ईंधन संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना है तथा गरीब लोगों को ईंधन जुटाने के लिए रोजगार प्रदान करना है व जो बाकी जनता को ईंधन उपलब्ध करा सके। हमें यह देखने के लिए भी लोगों को शिक्षित करना है कि जहां कहीं भी अनारक्षित वन हैं उन्हें वन विभाग, वहां की स्थानीय सरकार तथा स्थानीय सामाजिक संगठनों के सहयोग से सामाजिक वनों के रूप में विकसित करना है। शेष भारत में इस पहलू पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि राज्य मंत्रियों के सहयोग से तथाकथित अनारक्षित वनों का सामाजिक वनों के रूप में विकास किया जाए। जहां तक आरक्षित वनों का संबंध है, इन वनों के वास्तविक शत्रु/विरोधी कौन हैं? कहा जाता है कि वन अधिकारी ही वनों के वास्तविक शत्रु हैं क्योंकि वे स्वयं अपने आप में कानून है। जब ठेकेदार उन्हें 10 पेड़ काटने व उनका उपयोग करने के बदले धन देता है तो वे उन्हें 12 या 15 पेड़ काटने की अनुमति देते हैं तथा पैसा आपस में बांट लेते हैं। अतः इन वन अधिकारियों पर तथा इस प्रकार की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इस पर रोक कैसे लगाई जाए। इतने वर्षों के बाद भी सरकार इसका उचित समाधान खोजने में असमर्थ रही है। हमारी वन पंचायतें इस कार्य के लिए काफी नहीं हैं क्योंकि उनमें कुछ-कुछ लोग कभी-कभी हमारे वनों को हानि पहुंचाने वाले निकल आते हैं। अतः इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि किन उपायों व रास्तों से वन अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाये तथा भ्रष्टाचार भी कम हो। मैं नहीं समझता कि इसे पूर्णरूप से रोका जा सकता है लेकिन कम से कम इसे सम्भावित हद तक कम किया जा सकता है।

महोदय, हमे वन महोत्सव/वन भोजन की पुरानी विचारधारा को शुरू करना चाहिए। उस समय हर गांव में स्तूप होते थे यानि कि बौद्धिक परम्परा के अनुसार सामाजिक वानिकीकरण का विकास करने की परम्परा थी। ताकि लोग वहां जा सकें, लोग वहां विवाह तथा अन्य समारोहों का आयोजन करते थे। अब इस परम्परा को भी पुनः आरम्भ करके विकसित किया जाना चाहिए।

अन्ततः हम गरीब लोगों के हितों तथा उनकी ईंधन की जरूरत को भी भुला नहीं सकते हैं। जब तक सरकार ईंधन के मामले में उनकी सहायता करने के लिए कोई विकल्प खोजती है। यदि उन्हें लकड़ी या वनों के रूप मे ईंधन नहीं दिया जाता है तो हमारे गरीब लोगों के लिए ईंधन सम्बन्धी कोई और वैकल्पिक रास्ता सुझाया व विकसित किया जाना चाहिये तथा उन्हें वह उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह कैसे किया जाए किस हद तक किया जाए व किस प्रकार से किया जाए इसका विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। मुझे आशा है वन मन्त्रालय में कुछ ऐसे विभाग हैं जो इस पर भी ध्यान देंगे।

संक्षेप में, मैं एक बार फिर कहूंगा हमारे मन्त्री महोदय श्री मुंशी का अनुसरण करने की चेष्टा करें तथा महात्मा बुद्ध की परंपरा पर विचार करें व वन अधिकारियों में वृक्षों के प्रति आदर व संवेदनशीलता की भावना तथा वृक्षों के काटने के विचार को पाप समझे जाने की भावना का विकास करने का प्रयास करें।

श्री डी०बी० पाटिल (कोलाबा) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक 1980 के मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिए जो लाया गया है। 1980 के मूल विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय था, वनीकरण को प्रोत्साहन देने तथा वनों की कटाई पर रोक लगाना था। जहां तक वनीकरण का सम्बन्ध है देश में वर्तमान स्थिति चिन्ताजनक है, जबकि वनीकरण के लिए सामाजिक वानिकी आदि जैसे तरीके अपनाये जा रहे हैं। परन्तु फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वन कट रहे हैं। केवल गांव वालों द्वारा ईंधन प्राप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि उन ठेकेदारों द्वारा भी जो कि वनों के विभिन्न भागों में तेजी से वनों को काटने में लगे हुए हैं। अधिकारियों की सहायता से तथा उनके द्वारा बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप, जिसे क्षेत्र में पेड़ काटने का उनको ठेका दिया जाता है, उनके अलावा वह आस पास के वनों के पेड़ भी काट लेते हैं तथा इस प्रकार वनों की बड़े पैमाने पर कटाई होती है। यह देखा गया है कि बावजूद इस बात के कि पेड़ों को बहुत अधिक संख्या में काटा जा रहा है ठेकेदारों को ऐसा करने से रोका नहीं जाता है। अतः मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये यह निवेदन करूंगा कि वनों की कटाई को रोकने के लिए उचित कार्यवाही करें।

हमने यह भी देखा है कि वनों में जान-बूझकर आग लगा दी जाती है ताकि पेड़ों के जलने के बाद उनको काटा जा सके क्योंकि कानून में पेड़ के जलने बाद उनको काटने से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बहुत समय से चल रहा है तथा देश में पेड़ों के काटने का काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है तथा देश के कई भागों में ऐसा हो रहा है तथा इस पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, कई वक्ताओं ने बताया है कि इस अधिनियम से गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तथा वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों को ईंधन में लिये लकड़ी की आवश्यकता होती है अतः वह कुछ टहनियां या झाड़ियां काट लेते हैं जिसके लिए वनों के गार्ड तथा अन्य एजेंट उन्हें परेशान करते हैं। जब तक गांव वालों को ईंधन की लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक उनको ऐसे ही परेशान किया जायेगा। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की जांच करें तथा इसका प्रबन्ध करें।

महोदय, वर्तमान व्यवस्थाओं के कारण छोटी सिंचाई योजनाएं, पीने के पानी की योजनाएं, सड़क निर्माण, बिजली की लाइनें डालना तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में देरी हो रही है, जैसाकि राज्य सरकारों को वन भूमि को गैर वन कार्यों के लिए प्रयोग में लेने के लिये केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है जैसाकि मैंने अभी-अभी कहा था। देरी के कारण सार्वजनिक सेवा के कार्य किये नहीं जा रहे हैं। जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है तथा अधिनियम के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं।

बहुत से मामलों में भूमि को वन भूमि घोषित किया गया है परन्तु वास्तव में वहां एक भी पेड़ नहीं है या बहुत थोड़े पेड़ हैं तथा उसे सुरक्षित वन घोषित किया गया है। उस क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य जैसे सड़क निर्माण, बिजली की लाइनें डालना, आदि नहीं हो पाते हैं, क्योंकि राजस्व रिकार्ड में उसे वन क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको देखें।

अन्त में मैं कहूंगा कि मन्त्री महोदय यह देखें कि वह वन भूमि जो छोटी सिंचाई योजनाओं, पीने के पानी सड़क निर्माण व बिजली की लाइनें डालने के लिये आवश्यक हों उन्हें बिना किसी देरी के कब्जे में ले।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1988 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वन जो हैं वह हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को कायम रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। मैं कुछ आंकड़े इस सन्दर्भ में बताना चाहता हूं कि वन क्यों इतने आवश्यक हैं हमारे जीवन के लिए। एक हैक्टेयर में लगे हुए वन हर वर्ष 1 करोड़ 80 लाख घनफुट हवा साफ करते हैं, कार्बन डाइआक्साइड को साफ करते हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि वन हमको प्राण-वायु देने के लिए कितने आवश्यक हैं जिनकी कि हम निर्दयता से कटाई कर रहे हैं। आज देश में 33 प्रतिशत वन होने चाहिए जबकि उसके स्थान पर सिर्फ 12 प्रतिशत जमीन पर वन रह गए हैं और 13 लाख हैक्टेयर जमीन पर वनों की कटाई हो रही है। इसी से हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि पेड़ों को न काटकर हम स्वयं अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं यह बड़ी दुःखद बात है। हर साल कानून बनते हैं। यह राज्य सरकारों का विषय है और राज्य सरकारें इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वनों का संरक्षण और वनों की जितनी भी समस्याएं हैं, उनको केन्द्रीय स्तर का विषय बनाया जाना चाहिए। जैसे कि मेरे पूर्ववक्ता ने और श्री रंगा जी ने भी कहा है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे क्षेत्र में जब सागौन की लकड़ी की कटाई आरे से हो रही थी, तो बिलासपुर जिले के अकलतरा नाम क्षेत्र में, वहां के विधायक ने जंगल के अधिकारियों से इस बारे में कहा था। तो उन्होंने कहा कि यह हमारी रेन्ज में नहीं आता है, पुलिस वालों ने कहा कि यह पुलिस का काम नहीं है, यह तो जंगल विभाग का काम है। इस पर वहां के विधायक ने अपने लोगों को लेकर रात में सर्चलाइट और बन्दूक लेकर गए और उन लोगों को वहां से भगाया। आज तक उस केस का निबटारा नहीं हो सका है। इस बारे में अधिकारियों का रवैया ऐसा है। इसमें परोक्ष रूप से उनका ही हाथ रहता है। मैं यह बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं, विकास के कारणों से वनों की कटाई हो रही है। विकास के नाम पर सड़क बनाना, बांध बनाना या औद्योगिकरण करना है, तो उससे वनों का नुकसान नहीं होता है, बजाय इसके कि हमारी लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से नुकसान होता है। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में सागौन की लकड़ी की कितनी अधिक कीमत है। सारे देश की लकड़ी, टीक वुड, दिल्ली में आकर बिकती है। जिसको हम चोरी छिपे अधिकारियों और व्यापारियों और हम लोगों से भी, जनता के लोगों से मिलकर इन वनों की कटाई करते हैं। इसको रोकना बहुत आवश्यक है। इन वनों की कमी की वजह से आपको मैं नुकसान बताना चाहता हूं।

एक सैंटीमीटर जमीन को बनने में चार सौ साल लगते हैं, प्राकृतिक रूप से। हर साल हमारे देश में इन वनों की कटाई की वजह से और पेड़ों को काटने की वजह से 700 करोड़ टन मिट्टी बह रही है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारी मरुभूमि का कितना नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में कृषि उपज पर भी इसका कितना बड़ा भारी नुकसान पड़ने वाला है। यह एक चौकाने वाली बात है। हिमालय भी जो कि वनों का एक-चौथाई हिस्सा रखता है, वहां पर भी दो सौ मीटर की ऊंचाई तक सारे वन करीब-करीब नष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम भविष्य के बारे में अन्दाजा लगा सकते हैं कि बिना वनों के हमारा जीवन और मनुष्य का जीवन किस तरह से रहेगा और वन हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पन्द्रह हजार किस्म की वन जातियां औषधियों और वनस्पतियों की वनों की कटाई की वजह से नष्ट होने जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस भयंकर स्थिति को वर्तमान समय में महसूस नहीं किया गया और इसको रोकने के

उपाय नहीं किये गये तो यह बहुत ही दुखद बात होगी। इसके लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व चिन्तित है। मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगता है जब शहर के लोग कहते हैं कि हम जंगल घूमने जा रहे हैं। भारत के लोग यह कहें कि हम जंगल देखने जा रहे हैं या हम कानहा या केसरी जाकर वनों की सुन्दरता देखने जाएं। भारत वनों का देश है और यहां के लोगों को वनों को घूमने के लिए जाना पड़ता है, वनों को देखना पड़ता है या खोजना पड़ता है। इनकी कटाई के लिए मैं अधिकारियों को दोषी मानता हूं। इसी प्रकार जो ठेकेदार लोग हैं, जिनकी भूमिका जंगलों के अन्दर होती है, उनसे कहा जाता है कि 15 लकड़ी काटनी है जलाऊ लकड़ी काटनी है, तो वे इमारती लकड़ी भी काटते हैं और सैंकड़ों पेड़ काटते हैं। इसी प्रकार वनों में हिंसक पशुओं की कमी भी हो गई है। जंगलों में शिकार करके पशुओं को मारा जाता है और इस कमी की वजह से लोगों के अन्दर जंगलों में जाने से हिचक कम हो गई है। इस वजह से भी लोग वनों को काटना शुरू करते हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम है, कोयला खदान आदि, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है या इलैक्ट्रीसिटी जनरेशन की बात है, एन० टी० पी० सी० ये सब जंगलों में हैं। खदानों से जो कोयला निकालते हैं, ये लोग बड़ी-बड़ी खाई और झील बनाकर छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको पाटकर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में कटे हुये पेड़ों की पूर्ति की जा सके। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ए०सी०सी०एल० का मामला नियम 377 के अधीन उठाया गया है। मैं पिछले तीन वर्षों की बात बता रहा हूं। वृक्षारोपण के नाम से बिलासपुर में प्राधिकरण को पैसा दे दिया और वृक्षारोपण के नाम पर बिलासपुर प्राधिकरण ने हर एक आफीसर के घर माली लगा दिया और कह दिया कि वृक्षारोपण का काम हो गया। इस तरह से वृक्षारोपण होना है, तो यह बहुत ही दुःख की बात है। इसलिए इसके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारे वन सुरक्षित रह सकें। इसमें पब्लिक सैक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं कोयला खदानों की बात विशेष रूप से उठाना चाहता हूं। इस बारे में उनकी विशेष रूप से जिम्मेदारी हैं। विकास के कार्यों में वन कोई अवरोध पैदा नहीं करते हैं। इसके लिए हमें विकास में रुकावट डालने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी फर्नीचर बनाने के काम हैं, इसका हमें सब्सिच्यूट देना पड़ेगा। नहीं तो फर्नीचर के नाम से लकड़ी और वनों की कटाई होती रहेगी।

आज हमारे देश में एल्युमीनियम और ऐसी चीजें आ गई हैं जिनको कि हम फर्नीचर के लिए प्रोत्साहन दें और इसमें लकड़ी के उपयोग को कम करें, विशेषकर, ग्रामीणांचलों, वनांचलों और सुदूरांचलों में हम आरा मशीनों पर कठोर नियन्त्रण रखें। इस नई नीति के अन्तर्गत जब तक आप आरा मशीनों को बन्द नहीं करेंगे, इनको रोकने में सख्ती नहीं करेंगे तब तक इन वनों की कटाई को रोका नहीं जा सकेगा। होता यह है कि अगर आप पेड़ नहीं ला सकते तो ट्रक या मेटाडोर पर छिपा कर कटी हुई लकड़ी तो ले जा सकते हैं। इससे भी वनों की कटाई और नुकसान होता है, पेड़ों को नुकसान होते हैं।

मैं पर्यावरण की दृष्टि से, वनों की दृष्टि से, अपने भविष्य की दृष्टि से, इस देश की सम्पदा की दृष्टि से, उपजाऊ जमीन की दृष्टि से चाहूंगा कि हम वनों को जितना अधिक से अधिक संम्पदा दे सकें, वह दें।

आपने जो मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू करने की प्रक्रिया

[श्री उत्तम राठौड़]

को देखने के बाद, जिसको कि दुर्भाग्य से समर्थन दिया गया था तथा बाद के घटनाक्रम को देखकर मुझे टॉलस्टॉय की एक कहानी याद आती हैं जिसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति को कितनी जमीन की आवश्यकता है। इस अधिनियम के 1980 में पारित होने के बाद तथा भूमि लेने के बाद वन विभाग वन संरक्षण के लिए चिन्तित नहीं है।

आपने गैर वन पेड़ों तथा औषधि के महत्व के पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबन्ध लगाया है। आप क्या कर रहे हैं तथा क्या करना चाहते हैं ? इस अधिनियम ने महाराष्ट्र में जीवन को कष्टप्रद बना दिया है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राजस्व विभाग व वन विभाग दोनों ही आपस में मिले हुये हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सरकार ने "अधिक अनाज उगाओ" का नारा दिया तथा उस योजना के अन्तर्गत भूमि दी थी। यह लोग नियमित कोआपरेटिव सोसायटी के सदस्य हैं उन्हें भूमि मिल रही है, परन्तु अब उन्हें वंचित कर दिया गया है। आपको क्या अधिकार है। वह व्यक्ति जो वन में रहते हैं वह वनों के प्रति अधिक सावधान है।

मैं मन्त्री महोदय से इस विधेयक पर दोबारा विचार करने का निवेदन करता हूं। मंत्री महोदय इसे जल्दीबाजी में ही पारित न करवाएं ऐसा नहीं कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

मैं बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी का आजीवन सदस्य हूं। मैं वन संरक्षण में विश्वास रखता हूं। परन्तु संरक्षण से आपका मतलब क्या है ? क्या आप महाराष्ट्र में उपलब्ध सारी भूमि का वनीकरण करने की स्थिति में हैं ? महाराष्ट्र में भूमि सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत है नियमित वन विभाग के अन्तर्गत नहीं। हम सामाजिक वानिकी के लिए योजना बना रहे हैं इसमें कितना समय लगेगा आपने यह कभी सोचा है ? इस भूमि को आप निजी लोगों को, छोटे किसानों की पेड़ उगाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं ? उन्हें उगाने दीजिए। यदि वह वन भूमि है, तो पेड़ काटना रुक जायेगा। बांधों में मिट्टी जमने की समस्या का भी हल हो जाएगा।

हमारी सरकार एक ऑरकेस्ट्रा की तरह काम कर रही है। हर वाद्य यन्त्र अपनी धुन बजा रहा हैं। वन मन्त्रालय चाहे जितनी भूमि छानना चाहता है। वह लोगों को भूमि से वंचित करना चाहता हैं तथा साथ ही साथ वह बड़े बांध बनाकर, और गाद जमा करके सिंचाई के मार्ग में रुकावट पैदा कर रही है। आप सिंचाई विभाग से क्यों नहीं सलाह लेते हैं, उन्हें सर्वाधिक कठिनाई है। भाखड़ा नंगल में 40% गाद जमी है। यह इसलिए है क्योंकि यह आपके पास है। यदि यह छोटे किसानों के पास होता तो वह इसकी सुरक्षा कर सकते थे।

12.00 मध्याह्न

उन्होंने बांध बनाए होते जो आप लगाना नहीं चाहते। सरकार जल्दी बाजी में काम कर रही है। वह परिणामों को समझे बिना ही कार्य करना चाहते हैं। मैंने भी कुछ करना चाहा। 1980 में परिणामों को देखे बिना ही अधिनियम पारित करवा दिया गया। मैंने अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहा। पुराने हैदराबाद राज्य तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदिवासियों को भूमि आबंटित की गई थी। ऐसे हजारों लोगों को भूमि दी गई थी। परन्तु सारी भूमि छीन ली गई है। क्या यह संशोधन अधिनियम उन्हें कुछ अधिकार देगा ? इसको राज्य सरकारों पर क्यों नहीं छोड़ा गया है ? महाराष्ट्र से 145 मामले

पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए लम्बित हैं। आप स्वीकृति कब से दे रहे हैं। इस मामले को जल्दी निबटाना चाहिए। सरकार एक के बाद दूसरा संशोधन विधेयक ला रही है। वह स्वीकृति देकर संरक्षण क्यों नहीं दे रही है। मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि आप जनजातीय क्षेत्रों में बिजली व टेलीफोन की लाइनें डालने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में उग्रवादियों ने वनों का दुरुपयोग किया है। वह घने जंगलों में चले जाते हैं। मैंने इस मामले पर वन-विभाग से बातचीत की है। (व्यवधान) वन विभाग लोगों को सड़कें बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है। क्या आप ऐसा लम्बे समय तक चलते रहने की अनुमति देंगे। जब मैंने यह बात वन-विभाग से कही तो वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे पीने के पानी के लिये पाइप लाइन तक डालने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। सरकार वहां क्या कर रही है? सरकार क्या चाहती है कि जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, वह वहां रहें या न रहें। उन्हें सड़क सुविधाएं दिए बिना, उनके लिए बिजली, टेलीफोन की व्यवस्था किए बिना क्या आप उन्हें 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं? क्या वह दासों की भांति ही रहेंगे? क्या उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार होना चाहिए? इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह पिछले अधिनियम और इस संशोधन विधेयक पर फिर से विचार करें। मंत्री महोदय को पता चलेगा कि वह जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ ऐसे लोगों तक पहुंचे। आप उन्हें इन लाभों से वंचित कर रहे हैं। आपने इतने वर्षों तक उन्हें वंचित रखा है। और इस विधेयक के द्वारा आप उन्हें आगे भी वंचित रखने जा रहे हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक के निहिताओं पर पुनः विचार करें। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकर देखें कि, जिन आदिवासियों के पास भूमि नहीं है उन पर क्या अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्हें पुरानी हैदराबाद स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट द्वारा उनकी हड़ताल के दौरान भूमि दी गई थी। किन्तु अब आप उन्हें उससे वंचित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस पर फिर से विचार करें और सम्भव हो तो जिन्हें 15 या 20 वर्ष पूर्व भूमि आबंटित की गई थी उनके लिए कुछ करें। यह भूमि बेकार पड़ी है क्योंकि आपके पास पेड़ लगाने के लिए धन नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि भूमि को बेकार न रखें। सरकार को चाहिए कि वह भूमि खाली न रखें, जब तक कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसकी आवश्यकता न हो। यदि किसान को भूमि दी जाती है तो वह इसके चारों ओर बंध बनाएगा जिससे भूमि का कटाव रुकेगा। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे।

महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू लाना चाहूंगा। यहां वन अधिकारियों को सजा देने का सुझाव दिया गया है। मैंने वन विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ इस बारे में चर्चा की है उन्होंने कहा कि उनके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत काम करना असम्भव है। यदि कोई ऐसा करता है और यदि वह कहता है कि यह बड़े अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है, तो उसे 15 दिन की सजा दी जा सकती है और उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। आप एक आदमी से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अपने नियंत्रण में सम्पूर्ण वन, पूरे डिविजन की देखभाल करे। इसलिए यह सब दण्ड आदि सुझाने से पहले आप कृपया भगवान के लिए इस पर फिर से नजर डालें। हम आपके साथ हैं। जंगल से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं आपके साथ हूं। वन्य जीवन में भी मेरी रुचि है। किन्तु सरकार को इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं करना चाहिए, जो पिछले 15 या 20 वर्ष से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं। जिन्होंने इस भूमि के सुधार के लिए नियमित सहकारी समितियों से ऋण लिए हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं, मगर अभी इस संशोधन के बाद इसमें और संशोधन करने की भी आवश्यकता है। वन की रक्षा में देश की भलाई और विश्व की भलाई है। देश में लाखों हैक्टेयर जमीन वन के लिए पड़ी है, लेकिन वहां पर एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है और न ही वह जमीन गरीबों को, भूमिहीनों को दी गई है। मेरा कहना है कि जितनी भी जमीन वन के अन्दर है, उसका सर्वे किया जाना चाहिए और अगर वहां पर पेड़ नहीं लगाए जाते हैं तो उनके पट्टे भूमिहीनों को, गरीबों को दिए जाने चाहिए। जमीन को खाली रखने से वन की उन्नति नहीं होगी और न ही गरीबों की भलाई होगी। माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहां पर दिए हैं, उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए निर्देश दिए जाने चाहिए। जंगलों में जो ठेकेदार रहते हैं···। (व्यवधान)

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : मैं हूं यहां पर, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जी० भूपति : आप जंगल के बारे में जानते हैं कि कितना जंगल देश में है ?

उपाध्यक्ष महोदय, जंगल में जो ठेकेदार और चौकीदार रहते है वे लोग जंगल की रक्षा नहीं करते हैं। वे जंगल में कहीं पर पड़े रहते हैं और लोगो को पेड़ काटने से नहीं रोकते। जब लोग पेड़ काटकर गाड़ी में रखकर जा रहे होते हैं तब उनको पकड़ते है और कहते है कि हजार रुपया जुर्माना दो। इस तरह से उनको कहते हैं कि नहीं तो तुमको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे वहां पर दस गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से उनसे पैसा वसूल करते हैं। जब पेड़ काटे जा रहे होते है, उस वक्त उनको मना नहीं किया जाता। जब लोग कहते हैं कि इतना पैसा हम कहां से दें तो उनको कहा जाता है कि हमको डी०एफ०ओ० को भी पैसा देना पड़ता है, जब डी०एफ०ओ० से पूछते हैं तो वह कहता है कि चीफ कंजरवेटर को पैसा देना होता है। इस तरह की हालत जंगल की चल रही है। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। जिस तरह से आदमी की हत्या करने की सजा होती है उसी तरह से पेड़ काटने की सजा होनी चाहिए। ऐसा करने से ही जंगल की रक्षा हो सकती है और देश तथा विश्व की रक्षा हो सकती है। इस बारे में मैं कुछ और सुझाव भी देना चाहता हूं।

मेरा एक सुझाव यह है कि मेरे क्षेत्र में 20-20 मील जंगल में जाने पर 10-15 घरों के गांव बने हैं, उनकी कोई उन्नति नहीं हो पाती है। वहां पर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, हमको सड़क बनानी होगी, वहां पर बिजली देनी होगी, सरकार को वहां पर उन्नति के साधन उपलब्ध कराने होंगे। वहां पर सड़क बनाने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। अगर हरिजन, गिरिजन की उन्नति होगी तो इससे वन की शोभा बढ़ेगी, लेकिन ऐसा करने के पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार को लिखना पड़ता है और यहां से परमीशन आने में बहुत समय लग जाता है। कहीं पर सड़क बनानी हो, बिजली की लाइन डालनी हो तो इसके लिए केन्द्र सरकार से परमीशन लेनी होती है। अगर ये पूरे अधिकार राज्य सरकार को दिए जाएं तो जल्दी से जल्दी जंगलों की उन्नति हो सकती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक पहाड़ है। वहां पर एक टी०वी० रिले सेंटर बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने पचास लाख रुपए कलैक्ट किए हैं। जब वहां पर इस काम के लिए प्रयास किया गया तो वहां के फारेस्ट आफिसर ने कहा कि यहां पर नहीं बना सकते क्योंकि यह फारेस्ट की लैंड है। लेकिन वहां पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। पेड़ अगर लगाये तो भी पैदा नहीं होंगे। रिले सेंटर के लिए उपकरण भी आ गये। यह कहा गया कि इसकी परमीशन के लिए सेंट्रल

गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा तभी परमीशन मिलेगी। उसकी परमीशन के लिए हमें लिखना पड़ा। ऐसी छोटी-छोटी चीजों में बहुत दिक्कत आ रही है। अगर ऐसी कुछ पावर्स राज्य सरकार को दी जाएं तो वहां अधिक उन्नति हो सकती है। बहुत से गरीब लोग जंगल में रहते हैं। ये आधे एकड़ में या पाव एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो फारेस्ट के ठेकेदार या चौकीदार उनको पकड़ लेते हैं। जबकि वे न तो पेड़ काटते हैं और न ही जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। फारेस्ट वाले उन पर जुर्माना कर देते हैं। जुर्माना देने के बाद उनको परमीशन मिलती है तो एक साल के बाद फिर उनके साथ ऐसा ही किया जाता है। इस तरह के संशोधन इस बिल में लाने चाहिए। अगर कोई पेड़ काटे तो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसा संशोधन लाना चाहिए जैसे कि आदमी की हत्या होने पर सजा होती है, उसी प्रकार की सजा होनी चाहिए तभी वनों की उन्नति हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए हमने दो घंटे का समय आबंटित किया था; किंतु हमने लगभग 6 घंटे का समय ले लिया है। यदि सभा इस विधेयक के लिए और समय बढ़ाना चाहती है तो इसका निर्णय उसे लेना होगा कि हम कितना और समय दे सकते हैं ?

श्री राधा किशन मालवीय : हम एक घण्टे का समय और बढ़ा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों की सूची का क्या होगा ? मेरे पास जो सूची है उसे एक घंटे के भीतर निपटाना संभव नहीं है। इसमें दो-तीन घंटे लगेंगे। क्या हम दो घंटे का समय बढ़ा सकते है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस सभा की इच्छा इस विधेयक के लिए समय बढ़ाने की है। किंतु इस समय के भीतर ही सदस्यों को अपने भाषण तथा मंत्री जी को अपना उत्तर समाप्त करना है। हम इस विधेयक के लिए और अधिक समय नहीं बढ़ा सकते।

श्री शान्ति धारीवाल बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं इस फारेस्ट कन्जरवेशन अमेंडमेंट बिल का स्वागत करता हूं। वे अधिकारी जो स्वयं कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दण्ड देने का प्रावधान नहीं था, वह प्रावधान भी इस बिल में आपने दिया है इसलिए मन्त्री महोदय को इसके लिए बधाई देता हूं। कामर्शियल क्राप के लिए आपने कहा है कि उसको काटने के लिए केन्द्र की स्वीकृति होनी चाहिये। यह किसानों के प्रति बड़ा भारी अत्याचार होगा। मान लीजिये अगर कोई अपनी भूमि पर सफेदे के पेड़ लगाता है और पांच साल के बाद क्राप लेना चाहता है तो क्या आपसे परमिशन लेगा। अगर वह परमिशन लेगा तो समझ लीजिए कि सालों तक आपसे परमिशन नहीं मिलने वाली है।

यह जंगल बढ़ाने का जो काम है यह एकदम रुक जायेगा। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कई जगह राज्यों में आप एन० आर० ई० पी० के तहत जंगल लगाने की बात कहते हैं। तो यह क्या चीज हुई कि हर काम एन० आर० ई० पी० के तहत ही हो, कहीं स्कूल का भवन बनाना हो, रोड बनानी हो या औषधालय का भवन बनाना हो तो सभी काम एन० ई० आर० पी० के तहत हों। आप जंगल के लिए अलग से प्रावधान करें। जंगल पर हमको गम्भीरता से विचार करना

[श्री शांति धारीवाल]

चाहिए। इसको एन० आर० ई० पी० से अलग रखें और अलग फण्ड की व्यवस्था करें। जहां तक कंजर्वेशन का सवाल है हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपके दूसरे कार्यक्रम हैं जैसे सोशल फारेस्ट्री का है, इसके लिए भी अलग से फण्ड की व्यवस्था करें। कंजर्वेशन के लिये अधिकारियों की व्यवस्था भी अलग से करें और सोशल फारेस्ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अधिकारियों की नियुक्ति हो। जिससे सुचारू रूप से काम चल सके। कई जगह पर गांव और शहर भी कई सालों से बसे हुए हैं जहां पर कीमती खनिज मोजूद है और पेड़ का नामोंनिशान नहीं है, लेकिन वह भी फारेस्ट्री के खाते में दर्ज है। इसको देखने के लिए आप वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करें जो देखें कि अमुक जिले में या डिवीजन में इतनी जमीन कीमती खनिज की जमीन है और इतनी जमीन पर पचासों सालों से मकान बने हुए हैं, वे वहां के अधिकारियों से मिलकर उस जमीन को चेंज कर सकें जिससे उनके पास जो फारेस्ट की जमीन आ गई है मगर उसमें पेड़ नहीं हैं वह जमीन उनको दे दें और मिनरल्स का दोहन हो सके। मेरे क्षेत्र में काफी जमीन मिनरल्स की फारेस्ट में है, लेकिन उसका दोहन नहीं हो सकता, क्योंकि वह फारेस्ट में है। इसलिए जो मिनरल्स की जमीन है, रिवाइन्स की जमीन है जहां पर पेड़ नहीं हैं उस जमीन को आप वन में दर्ज न करें और रिलीज करें ताकि जहां पर मकान बने हुये हैं उन लोगों को वह अलाट हो सके और खनिज का भी दोहन हो सके। इससे राज्य और केन्द्र सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर गम्भीरता के विचार करने की जरूरत है। आप प्लांटेशन के लिए जो धनराशि देते हैं उसका समय पर सदुपयोग नहीं होता, उन्हीं अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ की जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आपने जो संशोधन में प्रावधान किया है उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। जैसे संयुक्त क्षेत्र में वन है उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। जैसे लकड़ी का प्रयोग है, अभी एक पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि इसका कम से कम प्रयोग किया जाये। हाउसिंग बोर्ड के मकान बनते हैं उसमें आप दरवाजे, खिड़कियों और चौखटों के लिए लकड़ी का प्रयोग न करके एल्यूमिनियम, लोहे का प्रयोग कर सकते हैं तभी जाकर यह कंजर्वेशन हो पायेगा। आपकी जो टिम्बर और प्लाईवुड की आयात नीति है उसमें भी उदारता होनी चाहिये। अगर लिबरल नहीं होंगे तो जो मांग है उसको मीट आउट नहीं किया जा सकता। माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस पर जो इन्डस्ट्रीज बेस्ड हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि काश्तकार ज्यादा से पेड़ लगाये और उसे सही दाम मिलें। इसके अलावा जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, जिनको रॉ-मेटिरियल फोरेस्ट से आता है उनके लिए प्रावधान होना चाहिए कि वह कैप्टिव प्लांटेशन लगाएं और वहीं से रा-मेटिरियल लें उन पर यह पाबन्दी होनी चाहिए कि वे अपनी कैप्टिव प्लान्टेशन को बढ़ाएं उन पर पूरी मेहनत करें। उसके जरिये काफी प्रोडक्शन लेवें। जहां तक प्रोटैक्शन के लिए फण्ड दिये जाने का प्रश्न है, आज की तारीख में वे पूरे नहीं दिये जाते और यही वजह है कि जंगलों के आसपास जो आदिवासी लोग रहते हैं, चूंकि उनके पास जमीनें बहुत कम होती हैं, किसी के पास डेढ़ बीघा, किसी के पास दो बीघे, उस जमीन से उनकी उदरपूर्ति नहीं हो पाती और वे अन्त में पेड़ों की अवैध कटाई करने लग जाते हैं। इसे रोकने के लिए, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में एम्प्लायमैंट गारन्टी स्कीम चलाई गई है, उसी तरह की आप कोई स्कीम आदिवासी इलाकों और खासकर जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में लागू करें। अगर आप उन्हें एम्पलायमैंट गारन्टी दे देते हैं तो सम्भव है वे अवैध तरीके से जंगलों को काटे जाने से रोकेंगे और खुद जंगलों को बचाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

जहां तक फौरेस्ट रॉ-मैटीरियल का सम्बन्ध है, उनके प्राइसेज आज से बसियों साल पहले फिक्स किये गए थे। उन्हें आज की परिस्थितियों के अनुसार रिवाइज और इन्क्रीज किया जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय, आप देखिये कि जब एक काश्तकार को उसकी उपज का पूरा दाम नहीं मिलेगा तो वह इस दिशा में कैसे उत्साहित होगा। मैं इस विचार से भी सहमत हूं कि फौरेस्ट्री के मामले में वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स और कोआपरेटिव्ज का बिल्कुल पार्टिसिपेशन होना चाहिये, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

जंगलों के आसपास रहने वाले लोग जंगलों से लकड़ी काट कर ही अपना चूल्हा जलाते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे इलाकों में आप एल०पी०जी० के गैस कनैक्शन्स प्राथमिकता के आधार पर दीजिये। जब उन काश्तकारों या किसानों या मजदूरों के घरों पर एल० पी० जी० गैस सप्लाई होने लगेगी तो उससे भी जंगलों की अवैध कटाई को रोका जा सकता है क्योंकि फिर उन्हें अपने चूल्हे के लिए जंगलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

डा० दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा को दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो सरकार को सम्बोधित है और यह केवल संशोधन विधेयक से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि जहां तक वनों के संरक्षण का सम्बन्ध है उससे भी सम्बद्ध है। दूसरी बात मैं, सभी संसद सदस्यों से कहूंगा। मैं आशा करता हूं कि संसद का प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में वन सम्पदा के संरक्षण से उतना ही सम्बद्ध है जितना की वह इस सदन में दावा करता है।

मुझे इस बात का अनुभव है कि कायदे भुला दिए जाते हैं। हम यहां पर कुछ कहते हैं किन्तु जब हम अपने मतदाताओं से बात करते हैं तो कुछ और कहते हैं। हम में से कितनों को यह कहने का साहस है कि वन भूमि में 3000 लोग गैर कानूनी रूप से बसे हुए हैं, हमें उनके वोट नहीं चाहिए, उन्हें हटा दिया जाए? हम में से कितनों में यह साहस है। मैं यह सब संसदीय पर्यावरण मंच की ओर से कह रहा हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से हम सांसदों में पर्यावरण के प्रति कम से कम प्रतिबद्धता तो है। किन्तु विधान सभा स्तर पर वह नगण्य है। वहां यह नहीं है। हम इस प्रकार की राजनैतिक इच्छा शक्ति किस प्रकार उत्पन्न करें—चाहे जो भी बल हो वह अगले चुनावों में वोट पाने के अल्पकालीन लाभ को भूलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़ा हो। इसलिए, मेरा अनुभव यह है कि राज्य सरकारें पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए बातों की सहानुभूति करती है और केन्द्रीय सरकार को फुसलाती और खुश रखती है और कानून को लागू करने के लिए कभी भी कड़े कदम नहीं उठाती। संशोधन विधेयक पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मैं बधाई देता हूं। मैं उस सदस्य से सहमत हूं जिसने पहले यह कहा कि हम इस संशोधन विधेयक का वन संरक्षण अधिनियम में विलय करके उसका ही अंग क्यों नहीं बना देते। शायद, वैधानिक दृष्टि से यह अधिक सही है, किन्तु जहां तक संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है, मैं खण्ड 1, 2, 3क और 3ख से पूर्णतया सहमत हूं। किन्तु 2 (क) (iv) के बारे में मुझे शंका है जो इस प्रकार है।

> "किसी भी वन भूमि या उसके किसी भाग पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को पुनः वन लगाने के प्रयोजन से साफ किया जा सकता है।"

हम यह आशा करते हैं कि स्वाभाविक रूप से उगे हजारों किस्मों के पेड़ों को एक ही प्रकार के पेड़ लगाकर नहीं बदला जा सकता क्योंकि वन विकास एक ही किस्म के पेड़ लगाना नहीं है।

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : हमने इसके लिए मना कर दिया है।

डा० दिग्विजय सिंह : बहुत अच्छी बात है। अब मैं पांच आम सुझाव दूंगा। एक यह है कि जिस प्रकार मानव वन्य जीवन वार्डन होते हैं हमें उसी प्रकार वन जीवन वार्डन बनाने होंगे जो वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके उसकी सहायता कर सकें। मेरा यह सुझाव भी है कि जिला पर्यावरण समितियां बनाई जाएं जिनके पास न केवल पर्यावरण सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने उन पर निगरानी रखने और लोगों में जागरूकता पैदा करने का अधिकार हो बल्कि एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य करें जिनके पास अपराधियों को पकड़ने की पर्याप्त शक्ति हो। दुर्भाग्य से किसी भी राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया यद्यपि यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का अंग है। इसकी छानबीन होनी चाहिए और राज्य सरकारों को समय दिया जाना चाहिये ताकि वह ऐसी समितियां स्थापित कर सकें जो जिला और निचले स्तर पर निगरानी रख सकें।

मेरा हमेशा ही यह विश्वास रहा है कि जो लोग वनों की देखभाल करते हैं उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ? उन्हें फारेस्ट गार्ड, गश्ती गार्ड या मुख्य वन संरक्षक बनाया जा सकता है। किन्तु जो लोग निचले स्तर पर वनों की रक्षा के कार्य से जुड़े हैं उन्हें जो कुछ भी प्रोत्साहन आज दिया जा रहा है उससे अधिक दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत सी राज्य सरकारें पकड़े गए माल, जो पेड़, घास या वन उत्पाद हो सकते हैं के मूल्य का पांच प्रतिशत देती हैं। वह पकड़ने वालों को पांच प्रतिशत तक नकद पुरस्कार देती है। इसलिए इससे विभिन्न वन कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मैं यह भी जानता हूं कि थोड़ा अधिक प्रोत्साहन देने से उल्टा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं पेड़ काटना आरम्भ करके अधिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगे। किन्तु राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। मेरे विचार से कोई ऐसा तरीका खोज निकालना होगा जैसा पुलिस या सीमा शुल्क विभाग में खोज निकाला गया है।

[अनुवाद]

श्री के० एच० रंगनाथ (चित्रदुर्ग) : क्या आप कृपया एक मिनट के लिए बैठेंगे ? मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण करना है जो खण्ड 2 (क) (ii) के सम्बन्ध में है। हम आरम्भ से ही कहते आ रहे हैं कि हमें वनों का संरक्षण करना पड़ेगा और उस नीति के प्रतिपादन में यह उपखंड किस प्रकार संगत है, जिसमें कहा गया है :

> "कि कोई वनभूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या अन्य संगठन को जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए।"

कर्नाटक में, प्राइवेट कम्पनियों जैसे बिरला कम्पनियां और अन्य ऐसी कम्पनियों को हजारों एकड़ भूमि दे दी गई है और यह खण्ड किसी भी सरकार को उन सभी लोगों को आसानी से भूमि देने के पर्याप्त अधिकार देता है। एक श्वास में तो आप कहते हैं कि वनों का संरक्षण करेंगे और दूसरी ओर आप इस उप-खंड में ऐसी शक्तियां दे रहे हैं। आप किस प्रकार अपनी नीति से इसका सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं ?

डा० दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं वन कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के बारे में कह रहा था।

श्री के० एच० रंगनाथ : महोदय, कल चाय बागान से सम्बन्धित लोग आकर कहेंगे फिर रबड़ बागानों से संबंधित लोग आकर कहेंगे। शक्ति का दुरुपयोग होगा। वास्तव में यह उचित समय है कि सरकार को यह संशोधन वापस ले लेना चाहिए।

डा० दिग्विजय सिंह : अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि वनों की सुरक्षा करने वालों को कुछ विशेष प्रोत्साहन देना बड़ा आवश्यक है। इस प्रणाली पर सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय से काम किया जा सकता है।

महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि हम वनों की बात करते हैं किन्तु मैं समझता हूं कि हमारी हरित पट्टियां तथा वन भूमि में घास का अधिक शोषण और उसे नष्ट करने की समस्या ऐसी है जिसकी उपेक्षा की गई है, अत: मैं कहना चाहता हूं···

श्री के० एच० रंगनाथ : महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत से सदस्यों में इसे कहने का साहस और इसके बारे में भरोसा नहीं है। किन्तु सदन के सदस्य के रूप में आप इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे ? हम तनिक भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। विधेयक सदन के समक्ष है···

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सिंह, कृपया आप भाषण जारी रखिए।

डा० दिग्विजय सिंह : फिलहाल हमें इसमें सहायक बनना चाहिये; हमें समर्थन करना चाहिए।

मैं अच्छी तरह जानता हूं—मैं प्रोत्साहन देने के विषय पर ही बोल रहा हूं—कि जहां तक हरित पट्टियों का सम्बन्ध है, हमारी हरित पट्टियां अधिक चराई के कारण नष्ट की गई हैं विशेषकर देश के अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में। वहां कुछ भी नहीं उगता है। न केवल घास नष्ट हो गई है, भूमि भी खराब हो गई है और बीज भी। इनको बचाने का एक अत्यन्त प्रभावशाली ढंग वन क्षेत्र के अन्दर पिंजड़ा पोल बनाना और उन पिंजड़ा पोलों को वन विभाग द्वारा चलाया जाना और यदि पिंजड़ा पोलों में गैर कानूनी चराई होती है तो कवेशियों को उनमें बन्द किया जाना चाहिए और उनसे प्राप्त किया गया शुल्क वन कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। फिर देखिए क्या होता है। यह अवैध चराई को रोकने के लिए एक कठोर उपाय होगा और इस प्रकार हरित पट्टियों का बचाव होगा।

महोदय, मैं केवल दो मुद्दों पर बोलना चाहूंगा। एक है राष्ट्रीय बंजर-भूमि विकास बोर्ड। इसका लक्ष्य 50 लाख हेक्टेयर है। वास्तव में वन अथवा हरित भूमि कितनी है इस बात को बताने वाले वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। हो सकता है कि यह 10 लाख हेक्टेयर का एक चौथाई है अथवा जितना भी हो; हमें यह आशा करनी चाहिये कि यह 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। किन्तु मैं समझता हूं कि राज्य सरकार, वन विभाग और बंजर भूमि विकास बोर्ड के बीच कोई वास्तविक समन्वय नहीं है। कितनी राज्य सरकारों ने अपने वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बंजर भूमि विकास बोर्ड स्थापित किये हैं ? राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि विकास बोर्ड स्थापित किए बिना, आप कैसे समन्वय करते हैं ? क्या राज्य सरकार का वन विभाग केन्द्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के साथ समन्वय करता है ? नीति तो है किन्तु कार्यान्वयन नहीं है। मेरे विचार से इस क्षेत्र में और भी अधिक ध्यान देना है।

मैं ऐसे विषय पर बोलने के पश्चात भाषण समाप्त करूंगा जिस विषय पर संभवत: किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं बोला है क्योंकि मैं पर्यावरण सम्बन्धी योजना से ज्यादा परिवार नियोजन के प्रति वचनबद्ध हूं। परिवार नियोजन के बिना आप वन संरक्षण नहीं कर सकते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं

[डा० दिग्विजय सिंह]

जिसने किसी एक क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति के क्षेत्र में बहुत अनुसंधान किये हैं। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो हम जानते हैं कि उससे गरीबी होती है। दुर्भाग्य से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जरूरत है और यह बढ़ती ही जा रही है। आप के यहां अभी भी जनसंख्या विकास दर 2 प्रतिशत है। और जनसंख्या में यह वृद्धि समाज के ऐसे स्तर में है जहां लोग गुजारा स्तर से नीचे रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप अपने वनों को बचा सकते हैं अर्थात आप बंजर भूमि के 50 लाख हेक्टेयर भूमि वापस ले सकते हैं। यह असंभव है। अतः यह जरूरी है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय एवं वन तथा वन्यजीवन मन्त्रालय में निकट का समन्वय हो और किसी एक क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति के विषय की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया है। किन्तु ऐसा करना है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का जो समय दिया गया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वन संरक्षण संशोधन विधेयक पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये।

मुझे ऐसा लगता है कि 1980 में वन संरक्षण विधेयक बना था। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 1988 में इसको फिर से संशोधन के जरिये से लाने की क्या जरूरत पड गई ? इसके साथ मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि 1980 मे हमारे यहां कितने क्षेत्र में वन थे और आज कितने क्षेत्रों में वन हैं कानून तो हम बहुत से बना देते हैं लेकिन उनको कार्यान्वित नहीं करवा पाते हैं। आज वनों का विनाश होता जा रहा है। आपके वन अधिकारी इसके सबसे बड़े दोषी हैं। हमारे यहां केवल 8.9 प्रतिशत क्षेत्र में ही वन रह गये हैं। राष्ट्रीय नीति के आधार पर यह तय हुआ था कि 33.3 प्रतिशत क्षेत्र में वन रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम इस क्षेत्र में असफल रहे हैं।

आप तो जानते ही हैं कि वृक्ष मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं और इनका महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन काल से हमारे देश में वृक्षों की पूजा होती आई है। यदि वृक्ष नहीं होते तो हमारा जीना दूभर हो जाता। वृक्षों से हमें केवल लकड़ी और फल ही प्राप्त नहीं होते बल्कि वे हमें जीवनदायिनी आक्सीजन प्रदान कर स्वयं वायुमण्डल में फैले हमारे प्राणघातक कार्बनडाईआक्साइड गैस को भी ग्रहण करते हैं। इतना सब जानते हुए भी आज हम अपने तात्कालिक लाभ और दूरदर्शिता के अभाव में वनों के विनाश पर तुले हुए हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि वनों के कटने से ऋतु चक्र पर भी असर पड़ता है और किसी सीमा तक बाढ़ और सुखाड़ भी वन विनाश का कारण है चेरापूंजी में सवा दो सौ वर्ष पूर्व प्रतिवर्ष एक हजार इंच से अधिक वर्षा होती थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1939 से 1961 की अवधि में यह औसत 456 इंच रह गई और अब चार सौ इंच से भी कम है जिसके चलते अब सूखा देखने को मिल रहा है। हम बराबर कानून ला रहे हैं लेकिन वह कानून ऐसे बना रहे हैं जिससे कुल लोग लखपति, करोड़पति और अरबपति तक हो गये हैं।

हमने किसानों के लाभ के लिए अनेक कानून बनाये जिससे कि किसानों का विकास हो। लेकिन इसका फायदा आपके अधिकारी उठाते हैं। यही वजह है कि वे अब लखपति, करोड़पति और अरब-

पति हो गये हैं। कानून बनाने से आम जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वन संरक्षण कानून सख्ती से लागू क्यों नहीं हो रहा है ? वनों को काटने वाला इसका सबसे बड़ा दोषी है।

यह कानून आदिवासियों पर तो लग सकता है जो जंगल से थोड़ी-सी लकड़ियां लेकर अपना जीवन-निर्वाह करते थे। आपने कानून बनाकर उनको रोक दिया। ठीक है, उन्हें तो आपने रोक दिया लेकिन जो लोग लाखों-करोड़ों के बड़े-बड़े पेड़ काटकर ले जा रहे हैं उनको आप नहीं रोक सके। और जब आपने यह कानून बनाया था तो लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की थी कि इसमें तो सजा देने की बात है। लेकिन सजा का प्रावधान किस कानून में नहीं है ? और अगर सजा देने से काम चल रहा है तो फिर वनों का क्यों नाश हो रहा है ? इसलिए हमें गम्भीरता से इस चीज पर विचार करना है कि कानून तो हम बनाते जा रहे हैं लेकिन वह लागू नहीं होते हैं। हर साल दस-बीस लाख हेक्टेयर वन साफ हो रहे हैं। इसके क्या कारण हैं ? वन-सम्पदा के विनाश के कारणों को यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो शहरीकरण, कृषि, चारे के लिए, उद्योग लगाने के लिये, लकड़ी—ऊर्जा के लिए—यह सभी चीजें जो हो रही हैं वह वन काटकर ही हो रही हैं। मैं सुझाव दूंगा कि जो उपजाऊ जमीन है उस पर तो वन नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि उससे नुकसान होता है, अनाज कम पैदा होगा, लेकिन जो बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं जो कि खेती के लायक नहीं हैं उनके ऊपर वन लगाये जाने चाहिये। आपने इसी सन्दर्भ में एक बोर्ड का भी गठन किया था ताकि वह उसका प्रबन्ध कर सके, परन्तु वह बोर्ड केवल कागज पर ही सुशोभित हो रहा है। आज वनों की जो स्थिति है, वनों को जो लोग काट रहे हैं वह बड़े-बड़े लोगों के लड़के हैं जो कि वन अधिकारियों के मेल से वनों को काट रहे हैं। वे लोग पकड़े भी गये हैं। उनमें बहुत के लड़के बड़े घरानों के हैं, राजनीतिज्ञों के घरानों के हैं, उन पर मुकदमे भी चले हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि यह कानून लागू किस पर होगा ? करने वाले तो आप लोग बैठे हैं और आपके बेटे-बेटी यह सब कर रहे हैं तो कानून उन पर लागू कैसे होगा ?

एक माननीय सदस्य : आपका बेटा भी तो होगा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मेरा बेटा तो आप ही की सेवा में लगा हुआ है। वह करेगा तो उस पर कानून लागू होगा और हम आपके यहां, मंत्री के यहां पैरवी में आएंगे कि हम एम० पी० हैं, मेरा लड़का पकड़ा गया है उसको छोड़ दीजिये।

आज सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके यहां भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा समुद्र बन गया है। उस समुद्र को सुखाया नहीं जायेगा, कम नहीं किया जायेगा तो काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना तो आपके बूते के बाहर की बात है लेकिन यदि आप चाहें तो उसको कम कर सकते हैं। और कम तभी कर सकते हैं जब वन काटने वाला चाहे कोई बड़े आदमी का बेटा हो, कोई राजनेता का बेटा हो, उसके ऊपर भी निर्मम कार्यवाही की जाये। ऐसा करने पर हो कुछ हो सकता है लेकिन यदि आप निर्मम कार्यवाही कीजियेगा तो आप उस स्थान पर नहीं रहियेगा, इस स्थान पर आपको आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो गरीब किसान हैं, लघु किसान हैं जो चाहते हैं कि अपने खेत में लकड़ी और वन लगाएं उन्हें आप प्रोत्साहन दें और निःशुल्क पौधे सप्लाई करें। इस प्रकार से वनों की सुरक्षा भी होगी और विकास भी होगा। और जहां-जहां आपने ग्राम पंचायतों में वन लगाये हैं वहां ग्राम पंचायतों को आप यह जिम्मेदारी सौंपें, उनक जवाबदारी करें तभी वनों की सुरक्षा हो सकेगी और वनों का विकास हो सकेगा। यही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फारेस्ट (कंजर्वेशन) अमेन्डमेन्ट बिल 19 7 का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के पहले पैराग्राफ में दिया है :

[अनुवाद]

वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए अन्धाधुन्ध परिवर्तन रोकने की व्यवस्था के लिए अधिनियमित किया गया था।

[हिन्दी]

यह ऐक्ट 1980 में आपने पास किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस ऐक्ट को बनाने के बाद में आपने कितनी लैंड एफारेस्टेशन के लिए सुपुर्द किया है और एफारेस्टेशन आपने कितनी लैंड का किया है उसके बाद में—यदि इसके आंकड़े आपके पास हों तो निश्चित तरीके से आप बताने की कृपा करेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि जो हमारी सरकार की नीति जंगलों को बनाने की है, उस नीति पर सरकार चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि फारेस्ट जितना होना चाहिए, आज उतना फारेस्ट हमारे देश में नहीं है। जैसा कि अभी बताया गया है कि हमारे देश में पर्यावरण को ठीक रखने के लिए 8.9 परसेंट फारेस्ट है, जबकि हमारे देश में 33 परसेंट फारेस्ट होना चाहिए। मगर आबादी बढ़ने की वजह से इतने जंगल हमारे देश में रह नहीं पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो फारेस्ट बचे हुए थे, उनको प्रोटैक्ट करने की आपने क्या कोशिश की है ? राजाओं-महाराजाओं को हमने खत्म किया और जागीरदारी प्रथा को हमने समाप्त किया। पहले के राजा-महाराजा लोगों की भलाई के लिए जंगल नहीं लगाते थे, गरीब आदमी के प्रोत्साहन या सहायता के लिये नहीं लगाते थे, बल्कि अपना शिकार खेलने के लिए लगाते थे। अपने शौक को पूरा करने के लिये जंगल रखते थे। उस वक्त देश में 562 रियासतें थीं, इन रियासतों में बड़े-बड़े जंगल थे, इन सब जंगलों को हमने इन 40 वर्षों के अन्दर समाप्त कर दिया है। इसके लिये बिल में प्रावधान है कि जो गलत काम करेगा, हम उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया, जिन्होंने इसका उल्लंघन किया ? अब आपने इस बिल में एक और नया प्रावधान रखा है। स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा है कि जंगल को कटवाने के लिए जो काम करेगा, उसको भी सजा देने की हम कोशिश करेंगे। वह है—

[अनुवाद]

और खंड 3ख में आपने कहा है :

"(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध—

(क) सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है वहां विभागाध्यक्ष; या

(ख) किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किये जाने के समय उस प्राधिकरण के कारबार के संचालन के लिए उस प्राधिकरण का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह प्राधिकरण भी।"

[हिन्दी]

अब आप एक नया कानून ला रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन अधिकारियों के

खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिन्होंने करोड़ों रुपयों के जंगलों को बर्बाद कर दिया। जब सारे के सारे जंगल बर्बाद हो चुके हैं, तब आप नया कानून ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसको और ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जो कानून आप ला रहे हैं, मुझे उसमें आशंका है। इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

"खंड 3 क में आपने यह लिखा है, अर्थात पार्श्विक शीर्षक में : आधिनियम के उपबन्धों के लिये उल्लंघन के लिये शास्ति।"

जो कोई धारा 2 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि पन्द्रह दिन तक की हो सकेगी, दण्डनीय है।

[हिन्दी]

सिम्पल इम्प्रीजनमेंट और वह भी 15 दिनों का। हमारे यहां एक कहावत है, जो आदमी एक पेड़ को काटता है, इसका मतलब है उसने एक आदमी की गर्दन काटी है। एक आदमी को उसने मारा है। इसलिए मारने की जो सजा होती है, वही सजा जंगल के पेड़ काटने की होनी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान पुराने जमाने में हिन्दुस्तान में कहा करते थे। इस वजह से हिन्दुस्तान के जंगल पहले काफी विस्तृत पैमाने पर था। आपने पहले जो किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं रखी थी और अब जो आपने पनिशमेंट रखी है, वह मामूली-सी रखी है, जिसका कि कोई असर नहीं होने वाला है। जिस आदमी ने लाखों एकड़ जमीन के जंगल काट डाले हों, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत हो, उस अधिकारी को कंट्रावेंशन में 15 दिन की सजा दी जायेगी, क्या यह उचित होगा और आप इस वजह से जंगलों को बचा सकेंगे। इसलिए इस व्यवस्था को भी माकूल बनाने की आवश्यकता है, ताकि जंगलों के जो अधिकारी लोग हैं, ये इन बड़े-बड़े लोगों से मिलकर निश्चित तरीके से गड़बड़ी न कर सकें। बीच में हमारे एक माननीय सदस्य ने सफाई मांगी थी कि आपने इसमें प्रावधान किया है कि कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी एजेंसियों को जमीन एलाट करेंगे सोशियल फारैस्ट्री के लिये। हमने देखा है कि सोशल फारैस्ट्री के लिए जिन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने जमीनें एलाट की हैं, वे सब बड़े-बड़े पूंजीपतियों को एलाट की हैं। इसलिए उनको एलाट की हैं कि वे उसमें जंगल लगाएं। वे किस लिये जंगल लगाना चाहते हैं, वे किस लिये खेती करना चाहते हैं। ये जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, ये इसलिए जमीन लेना चाहते हैं कि वे अपने काले धन को छिपा सकें। काले धन को छिपाने के लिये वे यह कहेंगे कि यह फारेस्ट की प्रोड्यूस से धन अर्जित किया है। इसलिए इस तरीके के लोगों को जमीन एलोट न की जाये। सोशल फारेस्ट्री के लिए गरीब लोगों को आप जमीन दीजिये ताकि वे उस पर फारेस्ट लगा सकें न कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, जैसे कि बिरला, टाटा वगैरह। इस तरह की व्यवस्था निश्चित तरीके से आपको करने की आवश्यकता है।

एक बात और कहना चाहता हूं। आपने जो हर काम के लिए भारत सरकार से इजाजत लेने का प्रावधान रखा है, उससे लोगों के सामने बहुत ज्यादा अड़चनें आती हैं। आप कानून जरूर बनाइये मगर ऐसा कानून बनाइये जो कि ठीक हो और जिससे लोगों को तकलीफ न पहुंचे। मैं अपनी जमीन में जंगल लगाता हूं, पेड़ लगाता हूं और मुझे उसे काटने की आवश्यकता आ पड़ती है, तो उसमें इजाजत लेने की बात नहीं होनी चाहिए। 10—5 बीघा जमीन के अन्दर में जंगल लगाता हूं और मैंने जो मेहनत की है, उसके एवज में पैसा प्राप्त करने की मुझे जरूरत है और उसके लिए पेड़ काटना जरूरी है, तो इसकी इजाजत भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी। अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कितने दिनों में इजाजत

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

मिलेगी, यह कोई नहीं जानता है। आप जंगलों को कटने नहीं देना चाहते, इसलिए इस तरह की अड़चनें लगाते हैं। इस तरह के प्रावधान करके आप जंगलों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, यह मैं कहना चाहता हूं।

आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

पेड़ लगाना बहुत जरूरी है पर दिन-पर-दिन वन कम होते जा रहे हैं। ये कम क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में कई मेम्बर साहबान ने बताया। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम उतने वन नहीं रख सके हैं, जितने हमारे पास पहले थे और इसकी वजह यह है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं, उतने पेड़ लगाये नहीं जाते। मैंने मसूरी की तरफ देखा है कि नये पेड़ पहाड़ी इलाके में कतार में लगाये गये है लेकिन उतने नही लगे हैं, जितने लगने चाहिए या जितने कटते हैं। जितना हम जंगलों में पेड़ों को काटते हैं, उतने नहीं लगा पाते और इसलिए जंगलों में कमी होना स्वाभाविक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में गांव सभा की जो जमीन है, उसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह आर्डर, गांव पंचायतों को जाना चाहिए कि वे वहां पर पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना बहुत आसान है लेकिन उसकी परवरिश करना मुश्किल है। मैं यह देखता हूं कि हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट की जो जमीन है या जो दूसरी भूमि है, उसमें जो पेड़ लगाये जाते हैं, वे 50 फीसदी कम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि पेड़ों का सर्दी से बचाव नहीं होता है। कम से कम एक साल तक सर्दी से उनका बचाव किया जाये और उनमें पानी देने के साधन भी होने चाहिएं क्योंकि पेड़ लगाना भी एक बच्चे की परवरिश जैसा है। यह मामूली बात नहीं है। किसान अपने खेतों में ट्यूबवेलों के पास पेड़ लगाते हैं क्योंकि पेड़ बड़ी सेवा चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब भी आप पेड़ लगाएं, तो कम से कम सर्दी से उनके बचाव का आप इन्तजाम करें और पानी डालने का साधन भी उपलब्ध करें। किसान वहां पर पेड़ लगाते हैं, जहां ट्यूबवेल होता है। आप सड़कों के साथ-साथ या ड्रेनों के साथ-साथ या जहां पर जगहें खाली पड़ी हैं, वहां पर पेड़ लगाते हैं। ऐसी जगहों पर जब आप पेड़ लगाएं, तो उसमें पानी देने वाले की व्यवस्था आप जरूर करें। इससे गरीब लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा और पेड़ भी आपके लग जाएंगे। पेड़ों को मवेशी खा जाते हैं और इससे पेड़ खत्म हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए गमला रखना बहुत जरूरी है। अगर इस किस्म का इन्तजाम हो जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे आबोहवा भी अच्छी हो जायेगी। दिल्ली में बोस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 गज का प्लाट भूमिहीन हरिजनों को दिया गया है। इसमें आप कम से कम यह कर दें कि जिस वक्त प्लाट दिया जाए, तो जिसको प्लाट दिया जाए, उसको कम से कम 5 पेड़ लगाने होंगे। किसान खेतों की मुंडेर पर या पटरी पर, जहां भी वह ठीक समझता है, पेड़ लगाता है। मेरा कहना यह है कि इस किस्म के पेड़ लगाने चाहिए, जो कि मकान बनाने में भी काम में आ जाएं। देहातों में जो मकान बनाये जाते हैं, उनमें कड़ी, दरवाजे और शहतीर जो बनते हैं, वे लकड़ी के बनते हैं। इस तरह के पेड़ वहां पर लगें, जिनसे ये चीजें बनाई जा सकें और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को पेड़ फ्री में देने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पेड़ देहातों में लग सकें।

अभी आबोहवा का जिक्र आया था। हमारी दिल्ली में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बहुत

धुआं छोड़ती हैं और उससे भी यहां की आबोहवा खराब होती है। मैं सुझाव दूंगा कि जो भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं उन सब में पेड़ लगने चाहिएं। फैक्ट्रियों के मालिकों पर आप यह जिम्मेदारी डालें कि वे अपनी-अपनी फैक्ट्रियों में पेड़ लगाएं। इसकी आप जांच करवा कर यह काम कराएं।

मेरे इलाके में बसरा गांव है। वहां फोरेस्ट भी अच्छे हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं। वहां ट्यूबवेल्स का इन्तजाम है। इसी तरह से और भी कई जगहें हैं जहां जमीन है और वहां फोरेस्ट भी हैं। वहां आप ट्यूबवेल लगवा कर बहुत अच्छी तरह से पेड़ लगवा सकते और उनकी रक्षा कर सकते हैं।

यहां पर एक चर्चा यह भी हुई कि कोयले वाले पेड़ काट लेते हैं। कोयला भी जरूरी है। अगर भारतवर्ष में कोयला नहीं बनेगा तो कोयला कहां से आयेगा। इससे कोयला और भी महंगा हो जायेगा। इसलिए कोयला भी बनना जरूरी है। इसके लिये आप यह कर दें जो कोयला बनाएं, उनकी यह जिम्मेदारी हो कि अगर वे पांच सौ पेड़ काटते हैं तो वे एक हजार पेड़ लगाएं। इसी तरह से हमारी आबोहवा भी ठीक हो सकती है और कोयला भी बन सकता है।

मेरे इलाके में नजफगढ़ ड्रेन है। उसके साथ-साथ पेड़ होने चाहिएं। आप उसके साथ-साथ पेड़ लगाने के लिये वहां के गरीब लोगों को कहें। जिससे कि उनको रोजगार भी मिल सके और वे चोरी से लकड़ी काटने का काम भी छोड़ दें। इससे वहां पेड़ों की कटाई भी रुकेगी और गरीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नजफगढ़ ड्रेन के दोनों तरफ जमीन पड़ी हुई है जिस पर कि लाखों पेड़ लग सकते हैं।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पेड़ लगाना तो आसान है लेकिन उनकी परवरिश करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक बच्चे की परवरिश की जाती है उसी तरह से पेड़ की परवरिश भी करनी होती है। जहां भी सड़कें हैं, नहर हैं वहां आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेड़ लगवाएं और उनको लगवाने के बाद उनकी रखवाली भी बहुत जरूरी है जिससे कि उन्हें पशु न खा जाएं, उन्हें पानी भी मिलता रहे। हर साल जितने भी पेड़ लगें उनमें कम से कम 50 परसेन्ट पेड़ तो बचने ही चाहिएं। उनमें अगर पेड़ मरें भी तो 25 परसेन्ट पेड़ ही मरें। लेकिन बगैर पेड़ों की हिफाजत के पेड़ों की रक्षा नहीं हो सकती। उनकी हिफाजत बच्चे की तरह से होनी चाहिए।

किसान तो अपने-आप पेड़ लगा लेते हैं। वे जानते हैं कि उनसे उन्हें फल भी मिलेंगे और उनके बैलों को छाया भी मिलेगी। फलदार पेड़ हों तो बहुत अच्छा है। जामुन के पेड़ की लकड़ी काम में आती है, शीशम के पेड़ की लकड़ी के तख्ते बनते हैं। आप किसानों को कहिये कि वे और भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। अपने-अपने ट्यूबवेल पर वे पांच-पांच पेड़ लगाएं। बीससूत्री कार्यक्रम में जो प्लाट दिये गये हैं उनमें भी पेड़ लगें। ग्राम सभा की जो जमीन है उस पर पेड़ लगाने के लिए पंचायत की जिम्मेदारी करिए। पेड़ लगाने पर जो खर्चा हो वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगें और आबोहवा भी अच्छी हो।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिर्की (अलीपुर द्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक देश की पारिस्थितिकी बनाये रखने के लिये लाया जा रहा है। उससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यदि मंत्री महोदय एक व्यापक विधेयक लाते वह और अधिक अच्छा होता।

[श्री पीयूष तिरकी]

महोदय, इस में यह स्पष्ट नहीं है कि निर्धारित वर्ष कौन सा है जिस में वृक्षारोपण करना है। कोई निर्धारित वर्ष तो होना चाहिए। मंत्री महोदय को हमें बताना होगा कि निर्धारित वर्ष क्या है और हमारे देश में सरकार वृक्षारोपण किस वर्ष से आरम्भ करेगी।

महोदय, जब आप रेल द्वारा यात्रा करेंगे आप देखेंगे कि पहाड़ियां और टीले वृक्षरहित होते जा रहे हैं; भूक्षरण बढ़ रहा है और पारिस्थितिकी बिगड़ रही है। छोटा नागपुर में एक अति सुन्दर पठार था जहां विदेशी तथा भारत के लोग जाया करते थे। जिन ठेकेदारों को पेड़ों की कोई परवाह नहीं है वे लाभ उठा रहे हैं और गरीब लोग जो वनों के पास या वनों में रहते हैं उन्हें व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

1.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.04 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.04 बजे म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक (—जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पीयूष तिरकी अपना भाषण जारी रखें।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, मैं कह रहा था कि मंत्री महोदय ने हमें स्वयं बताया है कि वन विभाग के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि आती है। निसन्देह 1970 से 1975 तक कुछ सुधार हुआ है। पहले तो यह क्षेत्र केवल 5,55,180 वर्ग कि०मी० था जो अब 6,42,041 कि०मी० हो गया है। इतना क्षेत्र वनरोपण के अन्तर्गत आता है। महोदय, किन्तु कोई निर्धारित वर्ष होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमें 1930 निर्धारण वर्ष रखना चाहिए और हमें इस स्थिति तक पहुंचने के लिए शीघ्र कार्य आरम्भ करना चाहिए और सभी लोगों को इस काम के साथ सम्बद्ध करना चाहिए। फिर यह स्पष्ट होगा कि देश में अपने वनों को हमने कहां तक नष्ट किया है। देश में वनों के कटाव में वृद्धि हुई है। हिमालय को भी हमने नहीं छोड़ा है, छोटी पहाड़ियों की तो बात ही नहीं। मैंने पहले ही छोटा नागपुर पठार, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का उल्लेख किया है। सभी पहाड़ियाँ दिन प्रतिदिन खाली हो रही हैं। भूमि पर खेती करने के लिए पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई होती है। किंतु हमने देखा है कि बहुत सी भूमि खेती के लिये उपयुक्त नहीं है और बंजर हो रही है। अत: यह सारा सर्वेक्षण में आना चाहिए और सरकार को इस बात की पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यह छोटी पहाड़ियां, पर्वतीय क्षेत्र और बंजर भूमि कितने वर्ग कि०मी० पर है जहां शीघ्र वनरोपण किया जा सकता है।

फिर हमें मालूम होगा कि वनरोपण के विकास के लिए हमें कितनी शक्ति और ऊर्जा खर्च करनी है। केवल ऐसा करने से ही हम यह कह सकते हैं कि हमें वनों और देश के प्रति कुछ प्यार है।

हमें पशुओं के लिये चारा चाहिए और इस बंजर भूमि अथवा पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है। हमें ईंधन चाहिए। हम एकदम एल०पी०जी० का प्रयोग नहीं कर सकते हैं किंतु हम शीघ्र ईंधन की लकड़ी को स्वीकार कर सकते हैं जिसके पेड़ तेजी से उगते हैं और इनको काटा भी जा सकता है और फिर लगाया जा सकता है। जहां भी पुन: वृक्षारोपण नहीं किया जाता है वहां होना चाहिए। आपके पास आंकड़े हैं, कुछ राज्यों में वनरोपण का कार्यक्रम ही नहीं है। अत: राज्य सरकारों को बताया जाना चाहिए कि अपने राज्यों में वनरोपण कार्य को तेज करें।

सामाजिक वानिकी के सम्बन्ध में आप ने व्यक्तियों, निगम और एजेंसी तथा अन्य संगठनों को भी अनुमति दे दी है। इसी प्रकार विभिन्न स्कूलों तथा कालिजों में हमारे बच्चों को भी इस काम से सम्बद्ध करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारे बच्चे वन के पेड़ों से प्रेम करना आरम्भ करेंगे। प्रारम्भिक स्कूल के बच्चों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। हमारे देश में माध्यमिक पाठशालाओं तथा कालेजों के बच्चों को कुछ भूमि दी जानी चाहिए ताकि वे वनरोपण में अपनी शक्ति लगाएं और वे इस प्रकार तैयार किये गये वनों को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे जिनकी उन्हें बहुत जरूरत है। फिर अपने देश में शीघ्र वनरोपण होगा और जनता समझेगी कि यह केवल सरकार का काम ही नहीं है किंतु यह विद्यार्थियों, महिलाओं और बच्चों के समेत सभी क्षेत्रों के लोगों का कर्तव्य है। अत: वनों के कटाव को रोकने के लिये और जनता में वनों के प्रति तथा पशुओं के प्रति प्यार उत्पन्न करने के लिये इस प्रकार का क्रांतिकारी काम आरम्भ किया जाना चाहिए। धन्यवाद!

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष जी, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 1988 जो पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है इसमें आपने अच्छी तरह से सारी चीजों को रखा है और मंत्री जी ने अच्छी तरह से बनाया है। इससे हमारे वनों की रक्षा हो सकेगी। मैं आपके सामने चन्द सुझाव रखना चाहता हूं। मैं इस सदन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं जो एक पहाड़ी राज्य है परन्तु पहाड़ी राज्य होने के बावजूद वहां जिस मात्रा में वन होने चाहिएं, उसका सर्वथा अभाव है। हमारे यहां कम से कम 60 प्रतिशत भाग में वन होने जरूरी हैं। वनों के अभाव में हमारे यहां भारी मात्रा में इरोजन होता है जिसका बुरा प्रभाव नीचे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। उसकी वजह से मैदानों में बाढ़ की स्थिति बनती है। यहां हमारे कई माननीय सदस्यों ने जितने सुझाव दिये हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा वनों की प्लान्टेशन करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी हमें अपनी पंचायतों को सौंप देनी चाहिए। जिन दिनों हमारे हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग, जैसे शिमला, कांगड़ा और कुल्लू आदि पंजाब में था तो उन दिनों एक कानून होता था और उसके तहत तमाम शामलात लैंड, जिसे कामन लैंड भी कहते हैं, ग्राम पंचायतों की मलकियत थी। उसके बाद एक संशोधन लाकर सरकार ने उस भूमि को अपने कब्जे में कर लिया। उस जमीन में जितने वृक्ष थे, कुछ तो पहले ही कट गये, उसके बाद 1977 से 1979 तक उनका बहुत ज्यादा मात्रा में कटान हुआ क्योंकि उस समय हमारे यहां एक सरकार ऐसी बन गई थी जिसने यह फैसला ले लिया था कि हम एक आदमी को उसकी एप्लीकेशन पर 5 दरख्त काटने की अनुमति दे देंगे। इससे भी भारी मात्रा में पेड़ काटे गये और राष्ट्र की सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। मैं हिमालय क्षेत्र के सम्बन्ध में मंत्री जी के सामने दो-तीन

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

सुझाव रखना चाहूंगा। हमारे यहां बहुत सी पत्थरों की, चूने की क्वैरीज हैं, जिनसे स्लेट का पत्थर और दूसरी तरह का पत्थर निकाला जाता है परन्तु उनमें से इतना ज्यादा पत्थर निकाल लिया गया है कि उसकी वजह से पहाड़ों पर इरोजन होता है और नीचे मैदानी क्षेत्रों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है।

आप जानते हैं कि हमारा इलाका पहाड़ी होने की वजह से सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। इस समय शिमला में जीरो डिग्री सैं० से भी कम तापमान चल रहा है और ऊपरी भागों में तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। सर्दी से बचने के लिये और अपने घरों को गर्म रखने के लिए लोग पेड़ काट कर या कोयले जलाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के तमाम गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है, हिमाचल में सभी जगह बिजली उपलब्ध है, यदि सर्दी के मौसम में भारत सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि वे जितनी बिजली का उपयोग हीटर जलाने या अपने घर को गर्म रखने के लिये करें, उसे भारत सरकार री-अम्बर्स कर दे, उसका खर्चा भारत सरकार वहन कर ले, तो निश्चय ही बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने से रोका जा सकता है। इससे हमारे जंगल सुरक्षित रह सकेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय हमारे ब्रह्म दत्त जी के पास है, वे भी हमारे इलाकों में गैस एजेंसीज एलाट करके इस समस्या को काफी मात्रा तक कम कर सकते हैं। हमारे इंटीरियर के इलाके, किन्नौर, लाहौल स्पिति, काजा, पांगी ऐसे हैं जहां दरख्तों का बिल्कुल नामो-निशान नहीं है, अब कुछ लगने शुरू हुए हैं, यदि हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा गैस एजेंसीज खोली जाएं, लोगों को गैस सप्लाई की जाए। दूसरे हमारे वन विभाग के अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वे जो आंकड़े हमारे सामने रखते हैं कि हमने 40 सालों में इतने ज्यादा पेड़ लगा दिए, राष्ट्र की सम्पत्ति को बचाने के लिए भारी फारमिंग कर दी, बड़ी संख्या में प्लान्टेशन कर दिया, वैसा हकीकत में नहीं होता। हमारे यहां सेब की खेती होती है और बिरानी जमीन पर सेब के दरख्त लगाये जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बिताने वाले ट्राइबल लोगों को जमीन एलाट करें, वहां रहने वाले आदिवासी, हरिजन आदि लोगों को जमीन एलाट करें, जिनके पास मात्र 5-5 या 10-10 बीघे जमीन है, जो अपनी जमीन पर बैठे हुए हैं, उन्हें प्लांटेशन करने के लिये जमीन दीजिए ताकि वे उन जमीनों से फल भी पैदा कर सकें और फौरैस्ट की वैल्थ को भी बढ़ा सकें।

आजकल हमारे यहां नदियों में भारी कटाव हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में नदियों में काफी पानी होता है जो पहाड़ों से बहकर नीचे आता है, यदि हम उन नदियों के किनारे प्लान्टेशन करें तो जहां हमारी धरती का इरोजन होने से रुक जाएगा दूसरे पेड़ भी लगेंगे क्योंकि इरोजन की वजह से ऊपर पहाड़ियां कट रही हैं।

जहां तक अधिकारियों का सवाल है, हमारे रंगा साहब ने बहुत अच्छा कहा कि जिस तरह से बुद्धिष्ट ने वनों की रक्षा की थी, उसी तरह से हमें वनों की रक्षा करनी है। ग्राम पंचायत को हम डेमोक्रेसी की बुनियाद कहते हैं। यदि हम फारेस्ट गार्ड को ग्राम पंचायत के अधीन कर दें और उन को रेस्पांसिबल बनाएं, तो यह काम ज्यादा अच्छी तरह से चल सकता है। पूरे पंचायत एरिया में प्लांटेशन करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बना दें, तब यह काम अच्छा चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि कितने क्षेत्र में कितने पौधे लगने चाहिएं, इसका भी सर्वे कराया जाना चाहिए। मैंने शिमला में पूछा, तो मुझे बताया कि 12 सौ दरख्त लगते हैं। मैंने जब उनसे यह पूछा कि आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत आपको कितने दिन

अलॉट हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 50 हजार मैन डेज हैं और इनमें हम कवर कर लेंगे। जब मैंने पूछा कि एक मजदूर कितने गड्ढे बनाता है, तो बताया गया कि एक मजदूर एक दिन में पहाड़ी क्षेत्र में 30 गड्ढे खोदता है। अगर हम इसको 30 से तकसीम कर के देखें तो जितने दिन ये बताते हैं, उतने दिन नहीं लगते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी मानिटरिंग होनी चाहिए। जहां कहीं गड़बड़ी होती है, उसको देखिए। जंगल का विनाश कभी अनगहली में भी हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में कोई सिगरेट पी रहा है, कोई जंगल में आग जला रहा है, उससे भी हमारी सम्पत्ति को नुकसान होता है। इसके बारे में भी मैं कहूंगा कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि दरख्तों के कटान के कारण ही आज हमारे मैदानी क्षेत्रों में तेज बहाव के कारण बाढ़ें आती हैं। चाहे वह बंगाल हो, यू०पी० हो या पंजाब का क्षेत्र हो, इन सभी में इस दफा बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। इसका मुख्य इरोजन है। मुझे यह कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि हमारे शिमला में एक राहत होटल बना है। उसमें 25 पेड़, जो दो-तीन सौ साल पुराने थे, उनके ऊपर लैंटर डाल दिया गया है जिससे उनको बढ़वार बन्द हो गई है और उनको पानी इत्यादि भी नहीं मिलेगा जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मैंने इस बारे में पता किया, तो मुझे बताया गया कि हाईकोर्ट ने बन्द करा दिये हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे यहां शिमला नगर निगम ने कानून बनाया हुआ है कि यदि इतने पुराने पेड़ को काटा जाएगा तो जुर्माना और सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस बारे में जांच कराएं और तथ्यों का पता लगाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां वन माफिया था जिन्होंने सारे जंगलों को लूटा। अब हमारे यहां के मुख्य मंत्री महोदय ने जंगलों को लूटने से बचाने के लिये स्पेशल कोर्ट्स बनाई हैं और उनमें ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे चलेंगे और स्पेशल ट्रायल होगी। प्रधान मंत्री जी ऊना गये थे वहां से वे शिमला तक गये, हम साथ थे। उन्होंने देखा है कि वहां कितना प्लांटेशन का नुकसान हुआ है। यदि इस प्लांटेशन के नुकसान को पूरा करना है और सही तौर पर फारेस्ट फार्मिंग करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रकबा है उसकी आईडेंटिफिकेशन कर ली जाए कि कितना हैक्टेयर रकबा है, जिसमें प्लांटेशन की जाएगी और कितना रकबा ऐसा है जिसमें फारेस्ट से प्लांटेशन करवाया है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह एन०आर०ई०पी० और दूसरे जो प्रोग्राम हैं इनके अन्तर्गत दिए जाने वाले पैसे का बिसबूज होगा। हमारे प्रधान मंत्री जी ने सही बात कही थी कि दिल्ली से जो छः रुपये जाते हैं उनमें से 5 रुपये दूसरे लोग खा जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इस तरफ तरजीह देंगे। मैं इस विधेयक की ताईद करता हूं और समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता था कि सदन के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा ताकि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वनों के सम्बन्ध में उचित रूप से चर्चा की जाए। किन्तु इस विशेष विधेयक में चर्चा के लिए सीमित गुंजाइश है। फिर भी मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि जहां तक वन संरक्षण का सम्बन्ध है गत दो या तीन वर्षों में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। यद्यपि देश एक है किन्तु समस्त देश के लिए वन संरक्षण के लिए एक ही मानदण्ड नहीं लागू कर सकते हैं। ऐसे स्थान भी हैं जहां वृक्ष काटे गए हैं, जहां

[श्री मनोरंजन भक्त]

किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के बिना निर्दयता से वृक्ष काटे गए हैं। ऐसे क्षेत्र भी है जहां पेड़ों का उचित संरक्षण नहीं होता है। मेरे चुनाव क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में हम 86 प्रतिशत वन क्षेत्र का दावा करते है किन्तु सेटालाइट चित्र से पता चलता है कि 91.7 प्रतिशत वन क्षेत्र है। अत: आप कल्पना कर सकते हैं कि उस विशेष इलाके मे किस प्रकार वनों का संरक्षण किया गया है।

महोदय, इस बात का दावा किया गया है कि देश को 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की जरूरत है जबकि मेरे विचार से हमारे पास 22 प्रतिशत अथवा 18 प्रतिशत है या वास्तव में 16 प्रतिशत ही है। किन्तु हमें उस क्षेत्र के मुद्दे पर विचार करना है जो वनों का संरक्षण करता है। वही जीवन रेखा है। हम अपना काम जानते हैं। आप यही मापदंड लागू करना चाहते हैं। किन्तु हम द्वीप समूहों में रहने वाले लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं। यह अत्यन्त अनोखी बात है। और भी कुछ विषय है जिनके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने बात नहीं की है। एक ओर तो आप गलत काम करने वाले अधिकारियों को दण्ड देना चाहते हैं और दूसरी ओर आप वन सम्पदा की सुरक्षा और संरक्षण चाहते हैं। आप वन कर्मचारियों अर्थात जो लोग वनों में वन पहरेदार और वन अधिकारी (फॉरेस्टर) आदि के रूप में काम करते हैं उनके प्रति तरफदारी का व्यवहार करना चाहते हैं। वे अपनी वेतन वृद्धि तथा अन्य मामलों के लिए शोर मचा रहे हैं। किन्तु सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहती है। सदा इन लोगों की अवहेलना की जाती है। दूसरी ओर सरकार ने उन्हें बहुत सी शक्तियां दी हैं कि उन्हें यह करना चाहिये उन्हें वह करना चाहिए। बात यह है कि सरकार की नीतियों और इसके कार्यान्वयन में कोई समन्वय नहीं है। आप किस प्रकार अपनी नीतियों का कार्यान्वयन कर रहे है? जब तक कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों की उचित देख भाल नहीं की जाती है, यदि वे सन्तुष्ट नहीं हैं, तो आप यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

दूसरा मुद्दा वनों के कटाव के सम्बन्ध में है। वन क्यों काटे जाते है? यह इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि हमें ईंधन और चारा चाहिये; हमें निर्माण आदि के लिए लकड़ी चाहिये। जब आप वनों का संरक्षण चाहते हैं, तो ईंधन, चारा और देश में लकड़ी की जरूरत को पूरा करने के लिए आपने कौन से वैकल्पिक प्रबन्ध किए हैं? जब तक आप इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक जो भी कानून अथवा विधान हम यहां बनाएंगे उससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं होंगे और अन्ततः लोग कानून तोड़ने के लिए विवश होंगे। इन बातों से वन सम्पदा की सुरक्षा नही की जा सकती है। अत: जब तक साथ-साथ ऐसे प्रयास नहीं किये जाते हैं जिनसे इन मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाता है, सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करना बहुत कठिन होगा। अत:, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन मुद्दों की ओर ध्यान दें।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1980 से पूर्व जब वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो सरकार द्वारा कुछ वचन दिये गये। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ भूमि का आबंटन किया। अब आप क्या करना चाहते हैं? अब सरकार पुन: इन वचनबद्धताओं को तोड़ना चाहती है। यह इतनी सहजता से नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व सरकार की ओर से जो भी वचनबद्धताएं है उनको पूरा करना चाहिए उनका आदर करना चाहिए अन्यथा यह उचित नहीं होगा और यह सार्वजनिक मुकदमें का मामला हो जाएगा।

फिर मेरे अनेक मित्रों ने किसी परियोजना को मंजूरी दिये जाने का उल्लेख किया है। अन्तत:

हम क्यों वनों का संरक्षण तथा परिरक्षण करना चाहते हैं ? मानवता के लिए, लोगों के लिए जनता के लिए। जनता के बिना आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। अतः सभी विधान, सभी प्रयास जनता की सहायता के लिए किए जाते हैं। हां, जब सड़क की आवश्यकता होती है आप इसकी मंजूरी नहीं देते हैं; जब बांध की जरूरत होती है तो आप सिंचाई के उद्देश्य से इसे भी मंजूरी नहीं देते है ,मेरेचुनाव क्षेत्र में एक ग्राम अर्थात बारातांग में 96 प्रतिशत वन हैं और 4 प्रतिशत भूमि है। और छोटा नागपुर के सभी जनजातीय लोग और रांची के लोग वहां बसे हुए हैं। और हम उन्हें उस क्षेत्र में एक मकान बनाने के लिये भूमि उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। लोग बार-बार शोर मचा रहे हैं और वे कहते है हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम मकान बनाने के लिये भूमि नहीं दे रहे हैं।

वहां एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भी है। पाठशाला का कोई मैदान नहीं है। बच्चे वहां नहीं खेल सकते हैं क्योंकि वन संरक्षण के नाम पर हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादती है, और जहां जनता की मांग है उनकी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के सभी लम्बित मामलों को तुरन्त ही निपटा देना चाहिये ताकि यह जन-आन्दोलन हो सके। लोगों को यह नहीं समझना चाहिये कि वन विभाग उनका दुश्मन है। लोगों को समझना चाहिये कि यह उनका मित्र है तथा वह लोगों की मदद करना चाहता है। साथ ही, वन संरक्षण के वास्ते हमें वन विभाग की मदद करनी होगी। यह हमारे ही फायदे के लिए है। जब तक इस तरह का वातावरण नहीं बनाया जाता, तब तक वनों का संरक्षण करना कठिन है।

एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है, यह है कि वन एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे बहुत सारे रोजगार के साधन पैदा किये जा सकते हैं। जब सारे देश में बेरोजगारी की समस्या है तो वन से काफी बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। हमारे देश में बहुत से स्वयंभू पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। वे अपनी महत्ता दिखाने के लिए अखबार में कुछ लेख लिखना चाहते हैं। मुझे भारतीय फोरेस्टरों पर पूरा भरोसा एवं विश्वास है कि वे आश्चर्यजनक कार्य करके दिखा सकते हैं। स्वयंभू पर्यावरण विशेषज्ञों के बजाय हमें भारतीय 'फोरेस्टरों' पर भरोसा करना चाहिये और इस काम के लिए उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। मेरे विचार से वे ज्यादा अच्छा परिणाम दिखा सकते हैं।

वनों को श्रेणीबद्ध करने का एक मसला और है। आरक्षित वन, संरक्षित वन, सामाजिक वन आदि-आदि हैं। लेकिन मूल बात यह है कि वन सीमा कहीं भी नहीं दर्शाई गई है। ये सभी नक्शों या सम्भवतः काल्पनिक सीमाओं में ही है। दूसरे, आरक्षित वन के मामलों में कतिपय निर्धारित औपचारिकताएं होती हैं, उनका अनुसरण करना होता है और ये आदेशात्मक हैं। मैं जानता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा आदेशात्मक अपेक्षा का अनुसरण नहीं किया गया और उन्होंने साधारण तरीके से अधिसूचना जारी कर दी तथा इससे आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। मेरे विचार में, इन कुछ मसलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए तभी आप वस्तुतः इस विधेयक को लाये जाने के उद्देश्य में कामयाब होंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि मन्त्री महोदय को ऐसा संशोधन विधेयक लाना चाहिए था जो

[श्री वी० सोमनाथीश्वर राव]

इस चर्चा पर व्यक्त किए गए कई माननीय सदस्यों के विचारों के अनुरूप हो न सिर्फ अभी के, अपितु मांगों पर तथा साफ ही परामर्श समिति की बैठकों में हुई चर्चा के विचारों के भी अनुरूप हो। इस अधिनियम, 1980 के कुछ कठोर प्रावधानों के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी गम्भीर शंकाओं को व्यक्त किया है।

सच तो यह है कि मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा था कि वन क्षेत्र न्यूनतम 33 प्रतिशत होना चाहिए जबकि वन विभाग के आंकड़े 25 प्रतिशत के बारे में है; परन्तु 'इन्सेट' द्वारा प्राप्त चित्र से पता चलता है कि यह क्षेत्र 18 प्रतिशत से अधिक नहीं है। वन क्षेत्र में इतनी अधिक गिरावट आने से देश में काफी नुक्सान हो रहा है।

थोड़ी सी ही बरसात की वजह से बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। तथा मृदा की उपजाऊ ऊपरी सतह भी बह जाती है। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग दो हजार करोड़ रुपए लागत की मृदा की ऊपरी सतह बह जाती है। खेद की बात है कि यह सारी की सारी मिट्टी जलाशयों में जा रही है जिससे इनकी क्षमता कम होती जा रही है। अत: सरकार ने वन कटाई की दर को कम करने की आवश्यकता को महसूस किया है।

इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि पहले जब हम खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर थे तो सरकार ने स्वयं ही वनों के काफी सारे क्षेत्र को अनारक्षित करने की अनुमति दी थी तथा इसे कमजोर वर्ग के लघु तथा सीमान्त किसानों को देने की बात कही थी ताकि वे अतिरिक्त खाद्य उत्पादन कर सकें और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर बना सकें। इसके अलावा, जैसाकि सभी लोग जानते हैं कि इस वन विभाग में काफी भ्रष्टाचार है क्योंकि वन क्षेत्र अधिकांश लोगों की संविक्षा के बाहर है। इन सभी बातों के कारण वन क्षेत्र में कमी आई है। यह अच्छी बात है कि सरकार ने इसे महसूस किया है।

खेद की बात है कि वन, जो कि पहले राज्य की सूची में था उसे केन्द्रीय सूची में डाल दिया गया था तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बना दिया गया है। जैसा कि मेरे मित्र ने अभी-अभी कहा कि इस अधिनियम के कठोर प्रावधानों से न सिर्फ देश की प्रगति ही रुक रही है अपितु यह सिंचाई परियोजनाओं विद्युत परियोजनाओं, को मंजूरी दिए जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है जबकि ये चीजें मानवजाति की समृद्धि तथा विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं – यह अधिनियम पुन: वनीकरण में भी बाधक बन रहा है।

वर्तमान विधेयक में चाय, कॉफी तथा रबर की खेती के लिए गैर-वन क्षेत्र की परिभाषा का विस्तार किया जा रहा है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इन बागानों में काफी सारे पेड़ हैं जिनकी छाया में चाय के पौधे उगते हैं। इन गैर-वन क्षेत्रों के अन्तर्गत बागवानी की फसलें भी शामिल हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अधिकारीगण इस तरह के संशोधन विधेयक को कैसे ले आए। बहुत बड़े आम के पेड़ों से उसका क्या तात्पर्य है? क्या यह पुन: वनीकरण करने के समान ही नहीं है? सच तो यह है कि बहुत सारा क्षेत्र है जिनका दर्जा कम किया गया है तथा जिनकी कटाई की गई हैं। यदि इन क्षेत्रों में आम की खेती की जाती है तो दशकों तक ये वृक्ष वहां लगे रहेंगे जबकि निर्धन लोगों को इसके उपयोग से लाभ मिलेगा। उन्हें आम प्राप्त होंगे वे उन्हें बेचेंगे तथा जीविका चलाएंगे। लेकिन अब आप इन आम के पेड़ों एवं बागवानी फसलों को वन क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं तथा इसे गैर-वन क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए है, न कि गैर-वन क्षेत्र के लिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : इस संशोधन विधेयक से आप गैर-वानिकी उद्देश्य की गुंजाइश का विस्तार कर रहे हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : आप गैर-वानिकी क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। इन बागानों को गैर-वानिकी उद्देश्यों में शामिल किया गया है। इन्हें वानिकी उद्देश्य के समान नहीं समझा जाएगा।

श्री वी०शोभनाद्रीश्वर राव : मेरा कहना है कि बागवानी, फसलों, उदाहरण के लिए आम की फसल को भी वन क्षेत्रों में ही माना जाना चाहिए। यह मेरा कहना है। इस संशोधन विधेयक में एक और महत्वपूर्ण मद है धारा 2 में खण्ड IV का जोड़ा जाना। 1980 के मूल अधिनियम में स्पष्ट रूप में कहा गया है —

> "इस धारा के उद्देश्य के लिए गैर-वन उद्देश्य का अर्थ है, पुनः वनीकरण के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वन भूमि या उसके हिस्से की कटाई करना।"

अब पुनः वनीकरण के लिए भी आप मंजूरी लेने को तथा केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति लेने को अनिवार्य कर रहे हैं। यदि राज्य सरकार किसी ऐसे कटाई किए गए क्षेत्र का पुनः वनीकरण करना चाहती है जहां कोई भी पेड़ नहीं हैं तो राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। मेरे विचार में यह सही नहीं है। आखिरकार, पुनः वनीकरण के इस महान कार्य अर्थात नई वन नीति के अनुसार प्रति वर्ष 50 लाख हेक्टेयर भूमि में वन क्षेत्र की वृद्धि के कार्य में संघ सरकार, राज्य सरकारों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाना चाहिये। तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

सच तो यह है कि इस पुनः वनीकरण कार्यक्रम को जन आन्दोलन बनाया जाना चाहिए। चीन में बहुत ही कम समय में कई गुना क्षेत्र में पुनः वनीकरण किया जा चुका है। तो हम अपने देश में वैसे ही प्रयास क्यों नहीं करते। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को वापिस लेकर एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। जिसमें वन क्षेत्र में वृद्धि के हमारे उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी सिंचाई परियोजनाएं विद्युत परियोजनाएं, सड़क तथा अन्य विकास सम्बन्धी कार्यों जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हो सकते हैं, को शुरू करने के अवसर प्राप्त हो सकें। जितनी भूमि पर परियोजना लगाई जाती है राज्य सरकारें इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए उससे दुगुनी जमीन पर वनीकरण किए जाने के लिए कदम उठ रही हैं। अतः केन्द्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने की प्रक्रिया में कीमती समय बर्बाद हो जाता है। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। 'नागार्जुन सागर लेफ्ट केनाल सिस्टम' के अन्तर्गत आठ बड़ी और छोटी नहरें थीं जिसमें मात्र 80 हेक्टेयर वन भूमि अन्तर्ग्रस्त है परन्तु वास्तव में कोई वन नहीं है लेकिन इसको मंजूरी देने में तीन वर्ष का समय लगा। आपने इसे इस अक्तूबर में ही स्वीकृति दी है। सरकार का उद्देश्य है कि उत्पन्न की गई सिंचाई सम्भावनाओं का देश के हित में तुरन्त ही पूरी तरह से उपभोग किया जाना चाहिए जबकि यहां पर आप उस प्रस्ताव को रोक रहे हैं जिससे पानी बर्बाद हो रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि आप इस विधेयक को वापिस लीजिए तथा जनता एवं राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक लेकर

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

आएं। राज्य सरकारों को जो भूमिका निभानी है उन्हें आप को भी कम करके नहीं आंकनी चाहिए। मैं यह भी कहूंगा कि आप इस मामले में अपने आपको सर्वेसर्वा मत समझिए तथा राज्यों को भी विश्वास में लीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक एम० पी० कल से धरने पर बैठे हुए हैं। बिहार की छः करोड़ जनता के सवाल को लेकर बैठे हैं। महत्वपूर्ण बात है। उनसे माननीय मन्त्री जी को बात करनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री माणिकराव होडल्या गावित, (नन्दरबार) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, इसलिए मैं मराठी में बोलना चाहता हूं। मैं वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं। देश और विशेषकर महाराष्ट्र में बहुत सी पहाड़ियां, जिन पर घने वन हुआ करते थे, बंजर और पूर्णतः वन-विहीन हो गई हैं। बहुत से खण्डों में 500 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाने का काम आरम्भ किया गया है। इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि पेड़ लगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने कुल कितनी वन भूमि खोई है। संसदीय समिति के सदस्य के रूप में मैंने जाम्बिया और जिम्बाब्वे की यात्रा की थी। वहां पर हमने लाखों हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगे हुए देखे और हमने पाया कि वहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे देश के सभी राज्यों में भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम उतने ही बड़े पैमाने पर आरम्भ किया जाए।

चूंकि हमने अपने देश में अपनी अधिकांश प्राकृतिक वन सम्पदा खो दी है, इसलिए हमें सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और वन भूमि पर रहने वाले आदिवासी लोग तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गैर-आदिवासी लोग इसके पहले शिकार होते हैं। यदि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें इस प्रकार से वनों के संरक्षण की उपेक्षा करती रहीं, तो मुझे डर है कि वन भूमि पर आश्रित आदिवासी लोगों के भूखा मरने की नौबत आ जाएगी और बहुत से लोगों को तो आजीविका की तलाश में शहरों की ओर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि शहरी लोग उन्हें शहरों में रहने न दें। क्योंकि मैं स्वयं आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हूं इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक के उपबंधों को और अधिक कड़ा बनाएं ताकि वन भूमि में रहने वाले आदिवासियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो सके।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इमारती लकड़ी के व्यापारी तथा आरा मिल मालिक गैर-कानूनी तरीकों से पेड़ों को काट कर बेचारे आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। किन्तु अब तक कम से कम महाराष्ट्र में तो किसी भी वन अधिकारी ने किसी दोषी व्यक्ति को पकड़कर उसे सजा नहीं दिलवाई है। हालांकि गैर-कानूनी लकड़ी ले जाने वाली बैलगाड़ियों ट्रैक्टरों और ट्रकों को पकड़ने की कानून में

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

व्यवस्था है, तथापि महाराष्ट्र में किसी को भी नहीं पकड़ा गया और बहुत से मुजरिम सजा के बिना बच गए हालांकि उनके खिलाफ अदालतों में कार्यवाही आरम्भ की गई। कई बार न्यायालय पांच या दस रुपए जुर्माना करता है। यह जुर्माना जुर्म को रोकने के लिए बहुत ही कम है और मजाक सा लगता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करे और जुर्माने की रकम को पर्याप्त रूप से बढ़ाए।

महाराष्ट्र में लाखों हेक्टेयर वन भूमि पर अधिकृत कब्जा कर लिया गया है। विपक्ष के सदस्यों तथा कुछ संगठनों ने आदिवासियों को वनभूमि पर कब्जा करने के लिए उकसाया है। धुले और थाणे जिले में कुछ संगठनों ने आदिवासियों के नाम पर आवेदन करके 1982 में उच्चतम न्यायालय में वन भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए। किन्तु महाराष्ट्र सरकार या केन्द्रीय सरकार ने उस स्थगन आदेश को खारिज करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। हालांकि मैं पिछले कई वर्षों से इस मामले के संबंध में केन्द्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य के मंत्री से पत्र-व्यवहार कर रहा हूं, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। मुझे बताया गया है कि चूंकि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में एक पक्ष है इसलिए उसे यह मामला उठाकर स्थगन आदेश खारिज करवाना चाहिए।

पिछले वर्ष बम्बई से कुछ विपक्षी नेता धुले जिले में आए और उन्होंने आदिवासियों को वन भूमि पर कब्जा करने के लिए उकसाया और उनसे कहा कि उन्हें वहां से भगाया जा रहा है, जहां वे रहा करते थे। उस क्षेत्र में इस मामले पर बहुत से आंदोलन हुए।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि चूंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं उनकी समस्याओं से पूरी तरह से वाकिफ हूं। आदिवासियों की आजीविका के लिए वनों का होना आवश्यक है। वनों के बिना वे जी नहीं सकते और अपनी आजीविका कमा नहीं सकते। यदि हमारे देश में वनों का संरक्षण न किया गया तो आदिवासी भूखे मर जाएंगे और उनकी आजीविका असंभव हो जायेगी। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गौर करें और उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश खारिज करवाएं। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में एक पक्ष है, इसलिए उसे स्थगन आदेश खारिज करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि यह आदिवासियों के अस्तित्व का प्रश्न है, अतः महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री शरद पवार ने इस वर्ष के आरम्भ में मुझे आश्वासन दिया था कि वह इस स्थगन आदेश को यथा सम्भव शीघ्र खारिज करवाने का प्रयत्न करेंगे। वन हमारी राष्ट्रीय सम्पदा हैं और जो इन्हें नष्ट करें, उन्हें इस देश के गद्दार समझा जाना चाहिए और इस संशोधनकारी विधेयक के उपबन्धों को अधिक कड़ा बनाकर उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। विशेषकर उन इमारती लकड़ी के व्यापारियों तथा आरा मिल मालिकों को, जो गैर-कानूनी तरीके से पेड़ काटकर आदिवासियों का शोषण करते हैं तथा जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से भारी धन जमा कर लिया है, कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वन अधिकारी उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने में पूर्णतः असक्षम सिद्ध हुए हैं। यद्यपि मैं किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, तथापि यह आम जानकारी की बात है कि वन अधिकारी, इमारती लकड़ी के व्यापारियों और आरा मिल मालिकों से रिश्वत के रूप में भारी रकम लेते हैं और इसलिए पेड़ों के गैर-कानूनी ढंग से काटे जाने को रोकने के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने भ्रष्ट वन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उन्हें निलम्बित किया गया है या मुअत्तिल किया गया है। मैं मांग करता हूं कि इमारती लकड़ी के ठेकेदारों और आरा मिल मालिकों की मिलीभगत से काम करने वाले इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित करके जेल में डाल दिया जाना चाहिए।

[श्री मालिकराव होडल्या गावित]

महोदय, चूंकि मैं इस क्षेत्र से हूं इसलिए, मैं इस समस्या पर विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। किन्तु, चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं, मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह स्थगन आदेश को खारिज करवाने के लिए कार्यवाही करें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मराठी में बोलने का अवसर दिया है।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में मुझे भाग लेने की अनुमति देने पर मैं आपका ही कृतज्ञ हूं। इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं इस विषय पर दो अथवा तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

उष्ण कटिबन्धी वनों को खतरा एक विश्वव्यापी घटना है। हर वर्ष 110 लाख हैक्टेयर उष्ण कटिबन्धी वनों को जो कि आस्ट्रेलिया से बड़ा क्षेत्र है, नष्ट किया जा रहा है। यह केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारा देश एक उष्ण कटिबन्धी देश होने के नाते, हमें भी उतना ही खतरा है। अतः हमें इस विषय के बारे में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा हमारा देश एक विकासशील देश है। अतः जबकि हमें वनों का संरक्षण करते हुए और उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, इसी प्रकार अन्य विकासात्मक गतिविधियों को भी रोका नहीं जाना चाहिए। हमें उस पहलू को भी देखना चाहिए।

वनों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ से पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्रों में भी भू-कटाव होगा। अतः सरकार को, विशेषकर हमारे माननीय मंत्री जी को जो कि इस संबंध में बहुत ही उत्सुक हैं, इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी वनों के बारे में बहुत ही उत्सुक हैं और उनमें रुचि रखते हैं और यही बात स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी में भी थी। हमारी पर्यावरणीय व्यवस्था को वनों की कटाई अथवा वायु में किसी प्रकारी के प्रदूषण से बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट से कुछ लाइनें उद्धृत करना चाहता हूं :

> "हमारे ग्रह के आस-पास वायुमण्डल के नाजुक सन्तुलन को छोड़कर मानवता के एक दूसरे के प्रति निर्भरता को कहीं भी इससे अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। तेज हवाएं समताप मण्डल तक चल रही हैं, प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती है। यह अम्लीय वर्षा के रूप में गिरकर झीलों और वनों को नष्ट करता है, यह ओजोन परत के रसायन को नुकसान पहुंचाता है जो कि पृथ्वी पर सूर्य की अल्ट्रा-वायलेट किरणों से जीवन की रक्षा करता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता रहता है ...।"

महोदय, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और हमारे पड़ोसी देशों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम समिति के सुझाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। न केवल हमारे देश को बल्कि सम्पूर्ण विश्व के देशों को इस पहलू को देखना चाहिए ताकि उनका प्रदूषित पर्यावरण पड़ोसी देशों के पर्यावरण को प्रभावित न करे।

इस सभ्यता के शुरू होने के समय से ही, कृषि और औद्योगिक कार्य तापमान के परिवर्तन पर निर्भर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यह अनुमान लगाया था कि 2030 ईसवी तक ताप-

मान 1.5 और 4.5 डिग्री सैंटीग्रेड तक बढ़ जायेगा। अत: यदि हम वनों की कटाई अथवा इस तरह की चीजों को जारी रखेंगे तो हमें वायुमण्डल के तापमान की वृद्धि के परिणामों का सामना करना होगा।

वर्ष 1982 में प्रकाशित रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस बात के लिए सावधान किया है कि जिस तरीके से यह कार्य जारी रहा है। वर्ष 2000 ईसवी तक उष्ण कटिबन्धी वनों का कम से कम आठवां भाग कट जायेगा। यदि हम वनों की कटाई करते हैं तो शेष क्षेत्र भी उससे प्रभावित होता है। हमें इस बात का अनुभव है कि पहाड़ी और वन क्षेत्रों में जहां पर सड़क संचार सुविधा नहीं है, लोग वहां ईंधन के प्रयोजन के लिए पेड़ों पर निर्भर हैं। अत: सरकार को उन क्षेत्रों को खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के माध्यम से ईंधन प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा, उस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि लोगों को अपनी दिन-प्रति-दिन की जीविका अर्जित करने के लिए वन पर निर्भर न रहना पड़े।

अन्त में, महोदय, मैं माननीय मंत्री से केवल इतना अनुरोध करता हूं कि वन अपना कम से कम पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिये लोगों में जागृति पैदा की जानी चाहिए। अब तक वन रोपण के बारे में जो भी प्रयास किया जा रहा है वह केवल शहरी क्षेत्रों में ही किया जा रहा है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में पेड़ लगाने का जो भी कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किया गया है, उसके लिये एक निगरानी कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे यह देखा जाये कि विभिन्न शिक्षा संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अहातों में जो पेड़ लगाए जाएं उन्हें सुरक्षित रखा जाये। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वन रोपण पर किया गया काम व्यर्थ नहीं गया है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के नाम का समर्थन करता हूं क्योंकि इसके नाम में 'वन संरक्षण' की बात कही गई है। लेकिन लघु कोष्ठक में वहां 'संशोधन' शब्द है और उस संशोधन में किसी भी संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं केवल माननीय मंत्री की सूचना के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा नहीं हुआ है—क्योंकि उन्हें इस विषय के बारे में हर बात मालूम होगी—लेकिन उनसे यह अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि वह कृपया इस चर्चा के पीछे जो भावना है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

अब खंड 2 में कहा गया है :

> "कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या अन्य संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाये।"

महोदय, मैंने इस खण्ड के लिए संशोधन रखा है जिसमें कहा गया है कि यदि आप किसी संगठन अथवा परियोजना के लिये कुछ वन भूमि देते हैं तो उस संगठन को परियोजना के हेतु दिये गये क्षेत्र के बदले में उससे दुगने क्षेत्र में वन रोपण के लिये आवश्यक धनराशि अवश्य लेनी होगी। इससे वनों की सुरक्षा और संरक्षण का इस देश में जो महत्व है उसकी पूर्ति होगी।

मेरे विचार में माननीय वन मंत्री श्री अंसारी को बहुत ही कठिन कार्य पूरा करना है, क्योंकि हमारे इतिहास के बहुत ही कठिन समय में, उन्हें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखना है और

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

पर्यावरण की रक्षा करनी है। यदि हम अपने वनों को काटते हैं तो यह कार्य करना कठिन होगा।

महोदय, मैंने इस खण्ड 2 का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। खण्ड 2 के स्पष्टीकरण में कहा गया है :

—"इस धारा के प्रयोजन के लिये "वनेतर प्रयोजन" से,—

(क) चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, पाम, तेल वाले पौधे, अन्य उद्यान-कृषि फसलों या औषधीय पौधों की खेती के लिए; और 10

(ख) पुनर्वनरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये, किसी वन भूमि या उसके प्रभाग का तोड़ना या काट कर साफ करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण, विकास और प्रबन्ध से संबंधित या उसका आनुषंगिक कोई कार्य, अर्थात, चौकियों, अग्नि लाइनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाढ़, पुल और पुलियों, बांधों, जल छिद्रों, खाई चिह्नों, सीमा चिह्नों, पाइप लाइनों का निर्माण या अन्य वैसे ही प्रयोजन नहीं है।" 15

इससे माननीय मंत्री द्वारा अन्य मंत्रालयों और विभागों को दिये गये सहयोग और रियायतें देने की उनकी भावना का पता चलता है। लेकिन संरक्षण के बारे में क्या हुआ? वास्तव में माननीय मंत्री जैसा कि मैंने कहा था कि वह एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अन्य विभागों को इस प्रकार की रियायतें देने की बजाये उन्हें अपनी बहुमूल्य वन भूमि को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी वन सम्पदा अधिक बहुमूल्य है और सम्पूर्ण देश मार्गदर्शन के लिये केन्द्रीय वन मंत्रालय की ओर देखता है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारा केन्द्रीय वन मंत्रालय उतना अधिक संगठित नहीं है जितना कि अन्य मंत्रालय, क्योंकि 'वन' अभी भी राज्य के विषय के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इस मंत्रालय को और संगठित किया जाये। जब अन्य मंत्रालयों को किसी प्रयोजन के लिये वन भूमि की आवश्यकता हो तो मंत्रालय को बार-बार उनसे तर्क करना चाहिए। मुझे आशा है कि वन मंत्री इस मुद्दे पर विचार करेंगे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये रियायतें दी गई हैं वे बहुत अधिक हैं। आप यह बहुमूल्य वन भूमि प्राइवेट संगठनों और अन्य प्रयोजनों अर्थात परियोजनाओं के लिए पट्टे पर देते हैं। वास्तव में ये परियोजनाएं भी राष्ट्र से सम्बन्धित हैं और ये राष्ट्र के विकास के लिये बनाई गई हैं। लेकिन वन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। हम अपने वनों के बिना अपनी सम्पूर्ण संस्कृति से वंचित हो जाएंगे। एक बार यदि हम अपने वनों को खो बैठेंगे तो जीवन की मोहकता कहां रह जायेगी?

एक माननीय सदस्य : वन, जीवन की मोहकता नहीं हैं। वे स्वयं अपने में 'जीवन' हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां, मैं इससे सहमत हूं। वनों को हरा सोना' माना जाता है और यह बात सही भी है। वन हमारा जीवन हैं। मैं जानता हूं कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, जहां हमारे मुख्य मंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला हमारे वनों को सुरक्षित रखने में हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां भी तस्कर मौजूद हैं।

3.00 म०प०

कभी-कभी न्यायपालिका भी इन तस्करों को छोड़कर सरकार के विरुद्ध स्थगन आदेश देकर

गलती करती है। लेकिन हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक कि हमने रेलवे को स्लीपरों की सप्लाई भी रोक दी है। ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि हम कुछ अन्य सामग्रियों का सहारा लेते हैं लेकिन उस इमारती लकड़ी का नहीं, जो हमें देवदार जैसे पेड़ों से मिलती है।

जो भी हो, मैं यह स्पष्ट कर रहा था कि मैंने किस प्रकार एक संशोधन प्रस्तुत किया है, जो कि बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं हो सकता। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि—मुझे नहीं कहना चाहिए—मैं मंत्री पर इस बात के लिये जोर डालना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तुलना में वे अधिक समझदार हैं, वह मेरे बड़े भाई हैं और तथा वह एक विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए ताकि वनों को सुरक्षित रखा जाये और उनका संरक्षण किया जाये। हम यही बात चाहते हैं। हम पार्टी मतभेद को भुलाकर मंत्री जी को यह बताना चाहते हैं कि—हम चर्चा के लिये एक ऐसा विधेयक चाहते हैं जिसके द्वारा इस देश में वनों को सुरक्षित रखा जा सके, न कि ऐसा संशोधन जिससे अन्य संगठनों को भूमि दी जा सके।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में—माननीय मंत्री जी जानते है कि 100 लाख हैक्टेयर अथवा इसके लगभग भूमि में वन रोपण शुरू करने का कार्यक्रम था। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार आपने वह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। तब हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले, मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन अब जब आप आठवीं योजना बना रहे हैं इस पर कुछ निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। आप पर्वतीय क्षेत्रों के जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी-पूर्वी राज्यों के कुछ संसद सदस्यों को बुलाकर इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आठवीं योजना में वन संरक्षण की नीति को कैसे लागू किया जाये।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। केन्द्रीय वानिकी बोर्ड में उन्होंने कहा था कि वनों से वृक्ष नहीं काटे जाने चाहिए। हम इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ कहने मात्र को है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपसी सहयोग बिल्कुल नहीं है। आप वन संरक्षण कैसे कर सकते हैं? आप गैस सिलेंडर सप्लाई करिये। एक मेरे मौखिक प्रश्न के उत्तर में पैट्रोलियम मंत्री महोदय ने कहा था कि "हम 8 किलोग्राम गैस के छोटे सिलेंडर बनाएंगे ताकि जो किसान शहर आते हैं वे उन्हें हाथ में उठाकर ले जा सकें" लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि देश में ऊर्जा की कमी है। कश्मीर की घाटी में पिछले चार दिनों से बिजली नहीं है। अतः यदि हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, यदि गैस नहीं है तथा यदि हमारा आपस में सहयोग/समन्वय नहीं है—वास्तव में शायद कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने कार्यक्रमों में असफल हो गया है—हम इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह मालूम नहीं है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय क्या कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक मंत्रालय ऐसा हो जो मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करे यदि हमारे पास गैस नहीं है, यदि हमारे पास ऊर्जा नहीं है यदि हमारे मंत्रालयों में अच्छा समन्वय नहीं है तो आप वनों का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। केन्द्रीय वानिकी बोर्ड सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से सिफारिशें या संकल्प बना रहा है जो बाद में कागजी कार्रवाई बनकर रह जाते हैं। इसे कोई लागू नहीं करता है। इस प्रकार की बातों या ऐसी सिफारिशों का लाभ है?

मुझे आशा है माननीय मंत्री महोदय मेरे अनुरोधों पर ध्यान देंगे।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अधिकतर माननीय सदस्यों ने विधेयक का विश्लेषण किया है तथा अनेक मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मैं सिर्फ एक बात पर बल देना चाहता हूं। इस बात से किसी को इकार नहीं है कि पर्यावरण का सम्बन्ध मानवजाति के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। हम अपने सारे विकास के मूल्य पर पर्यावरण से समझौता नहीं कर सकते। यह मानी हुई बात है। हम सब इसके प्रति वचनबद्ध हैं। लेकिन मैं सिर्फ पर्यावरण तथा वनों के संरक्षण के विषय में बात नहीं कर रहा हूं अपितु सिंचाई, विद्युत तथा सड़कें आदि के विकास के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी कह रहा हूं। इन क्षेत्रों को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता, इन्हें द्वितीय श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

3.05 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

सारे भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तथा विशेषरूप से गरीब लोगों तथा जो लोग वनों में रह रहे हैं तथा आदिवासी हैं उनके विकास के लिए हम वन विभाग तथा पर्यावरण से लड़ने की बात सोचते हैं। उड़ीसा सहित सारे देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिए लम्बित पड़ी हैं। अनेक विद्युत परियोजनाएं इसी कारण से लम्बित पड़ी हैं। सिंचाई व विद्युत भी ऐसे मूल निवेश हैं जिनके जरिये हम लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं तथा किसी भी विकास कार्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी तैयार कर सकते हैं।

अत: मेरा अनुरोध है कि हमें अपना रवैया बदलना चाहिए। इन सब विभागों को अपने आप को प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं समझना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम विकास के लिये अपनी मूल सम्पत्तियों जैसे वनों को जो भविष्य में मानवजाति के लिये जरूरी हैं नजरंदाज नहीं करें। यह देखने के लिये पर्यावरण से जुड़े लोगों को बहुत सख्ती बरतनी चाहिए व कड़ी निगरानी करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि कार्यालय सम्बन्धी विलम्ब के कारण या किसी के द्वारा कट्टर रवैया अपनाया जाने के कारण किसी परियोजना को स्वीकृति दिये जाने में कोई विलम्ब न हो। यह राष्ट्र के प्रति भी अपराध होगा तथा राष्ट्र की प्रगति की मूल भावना के प्रति भी अपराध होगा। अतएव मेरा अनुरोध है कि हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे आपस में उचित समन्वय व सहयोग स्थापित हो ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षण तथा वन संरक्षण का कार्यक्रम आर्थिक विकास में बिना कोई रुकावट डाले चल सके। हमें ऐसी नीति या फार्मूला अपनाना चाहिए। अन्यथा, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इससे मानसिक परेशानी होगी। जब भी हम किसी वन अथवा आदिवासी क्षेत्र में विद्युत या सिंचाई परियोजना शुरू करने पर विचार करते हैं तो वहां कुछ वन काटे ही जाएंगे। लेकिन वन संरक्षण के समान आर्थिक प्रगति, सड़कें तथा विद्युत भी जरूरी है। अतएव हमें इन दोनों के मध्य में संतुलन स्थापित करना है।

किसी भी परियोजना को स्वीकृति दिये जाने के पूर्व भूमि संरक्षण तथा वानिकीकरण के संबंध में अनेक शर्तें पूरी करनी होती है ताकि यदि किसी परियोजना के कारण वन काटे जाते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि कम से कम 10 प्रतिशत अधिक पेड़ लगाये जाएं। केवल तभी हमें उस परियोजना को स्वीकृति देनी चाहिए। हमें इस प्रकार की शर्त लगानी होगी। लेकिन पर्यावरण के बनाये रखने के लिये यदि हम किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं देते हैं तो इससे गरीब लोगों के विकास पर प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव खाद्य उत्पादन पर पड़ेगा तथा विद्युत जैसे मूल साधन प्रदान करने में रुकावट आयेगी।

दूसरे इन नवीन पद्धतियों को शुरू करते समय सदा यह परम्परा रही है कि शीर्षस्थ निकायों

के लोगों पर अधिक विश्वास किया जाता है, जिनका न तो लोगों के प्रति और न ही इस सदन के प्रति कोई उत्तरदायित्व होता है, जबकि जन प्रतिनिधियों को तथा उन लोगों को जिन में जनता तथा देश के प्रति वास्तविक रूप में जिम्मेदारी की भावना होती है उन्हें नजरन्दाज कर दिया जाता है। ऐसी विचार-धारा है व जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि इस प्रकार के लोग वोटों के लिए तथा अन्य कारणों से कभी-कभी कुछ समझौते कर लेते हैं। लेकिन संसद सदस्य होने के नाते यदि हम वन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक नहीं तो समान रूप से गंभीर हैं क्योंकि हम लोग सदा मानवीय समस्याओं पर विचार करते हैं तथा मानवता काफी हद तक पर्यावरण पर निर्भर करती है।

तीसरे, राज्य सरकारों को भी पूर्णतया नजरन्दाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कानून बनाते हैं उन्हें हम राज्य सरकारों के जरिये लागू करते हैं। अतः उन्हें भी पूरा-पूरा स्थान दिया जाना चाहिए। अत. हमें कुछ मिसालों के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जैसा कि रेलवे तथा विभिन्न सरकारों के हाउसिंग बोर्डों में है। उससे हमें मिलने वाले वोटों में कमी नहीं आयेगी। हमें देखना है कि एल्यूमीनियम तथा प्लास्टिक उद्योग के रूप में नया स्रोत बनाया जा सकता है जिसका विकास किया जा सकता है।

औद्योगिक विकास के लिए भी उन्हें उत्पादन में सहायता करने के लिए संरक्षित वनों का विकास करना चाहिए। हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए तथा हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए लोगों के विभागों में यह भावना उत्पन्न करनी चाहिए। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कोई वैकल्पिक स्रोत है। फिर पेड़ों को काटने की यह प्रवृत्ति उनमें नहीं रहेगी। यह कार्य-क्रम सिर्फ कानून के जरिए नहीं लागू किया जा सकता। इस विचार को जीवन का अंग बनाना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। हम सब को इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि वन मानव जाति के भविष्य से जुड़े हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उत्तम भाई ह० पटेल (बलसार) : सभापति महोदय, मैं इस वन संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और साथ में जो जोखिम है, इस तरफ मंत्री जी का ध्यान खींचते हुए थोड़े से सुझाव भी देना चाहता हूं। जंगल और वनों के साथ आदिवासी प्रजा का प्रगाढ़ सम्बन्ध है। जैसा पति-पत्नी का सम्बन्ध होता है, ऐसा ही सम्बन्ध जंगल और आदिवासियों का है। इसलिए जो कुछ भी कानून बनें, उनमें आदिवासियों का सम्पूर्ण संरक्षण होना चाहिए। भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सन् 1980 में जब यह कानून बना था, तब मुझे आश्वासन दिया था उत्तम भाई चिन्ता मत करो, जंगल के साथ ही आदिवासियों का सम्पूर्ण रक्षण होगा। इसका पालन होना चाहिए। इस बात को मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र बलसार में डांग डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां सारा का सारा जंगल का विस्तार है और वहां सारे आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पत्थर निकालने पर और नदी में से रेत निकालने पर रोक लगा दी है। कोई भी विकास का काम इस रोक लगने के कारण वहां नहीं हो सकेगा, चाहे वह बांध का काम हो, चाहे वह रास्ते का काम हो और चाहे वह स्कूल का काम हो। इसलिये इस रोक लगने से वहां के आदिवासियों में ज्यादा असंतोष बढ़ गया है। मेरा निवेदन है कि आदिवासियों के विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए, वनों में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए और ऐसे कामों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस तरफ भी खींचना चाहता हूं कि जितने जंगल लगते हैं उससे ज्यादा जंगल कट जाते

[श्री बलवन्त भाई ह० देसाई]

हैं। इन जंगलों को कटवाने में हाथ तो बड़े बड़े लोगों का होता है लेकिन छोटे-छोटे लोग पकड़ लिए जाते हैं और जो बड़े-बड़े मगरमच्छ होते हैं, वे अधिकारियों से मिलकर छूट जाते हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जबकि जंगलों का विनाश ये बड़े लोग ही करते हैं और ये लोग ही आदिवासियों के लिए हथियार बनाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कड़े से कड़ा कदम उठाकर इनको सजा मिलनी चाहिए और आदिवासियों की सुरक्षा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर खींचना चाहता हूं जितने भी खेत के मालिक हैं जो लोग जंगल उगाना चाहें, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अभी कानून में सागवान और खैर के झाड़ों में सरकार का आधा भाग होता है। इसको समाप्त कर देना चाहिए और जिन लोगों के खेत हैं, उनको दरख्त लगाने में प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि इस प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया जाएगा तो उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। जो जंगल में फालतू जमीन है, उस फालतू जमीन को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को पट्टे पर दे देना चाहिए और सरकार की भागीदारी में जंगल उगाने चाहिए। इससे दो लाभ होंगे, एक तो जंगलों का रक्षण होगा और दूसरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा।

इस बिल का मैं अन्त में समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खींचता हूं कि वे डांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ ध्यान देंगे और जो सागवान और खैर के झाड़ों पर आधा भाग सरकार का होता है, उसको समाप्त कर देना चाहिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : आदरणीय चेयरमेन साहब, इस बिल के माध्यम से एफोरेस्टेशन की कोशिश की गई है। जैसा मेरे मित्र श्री रावत जी ने कहा था कि एक कम्प्रीहैंसिव तरीके से इस बारे में सोचना चाहिए, मैं भी इस सम्बन्ध में दो, तीन बातें कहना चाहता हूं।

वैसे इस देश को जंगल का धन कुदरत ने दिया है, लेकिन वह धन आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जा रहा है, सरकार लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वह और वृक्ष लगाएं और जो कमी आती है उसको पूरा किया जाए। जो धन कुदरत ने पहाड़ों और जंगल के रूप में इस देश को बहुतायत में दिया है, उसकी कमी को रोकने के लिए पहले ही बहुत कोशिश की गई है और इस बिल के द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं। मेरी नजर में जो प्रैक्टिकल होना चाहिए उसका वर्णन मैं करना चाहता हूं।

स्टेट्स में जो फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, मैं जब अपनी कान्स्टीट्यूएंसी में जाता हूं, अक्सर 10 शिकायतें होती है तो उन में दो शिकायतें यह भी होती हैं कि नहर, सड़क और रास्ते के किनारे लगे दरख्तों को काटकर फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बेच रहे हैं और रकम का गबन कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इसके लिए क्या किया जाए ? मेरा सुझाव है कि जो भी इलाज हो वह सख्त होना चाहिए। आज पंचायत को उसमें हिस्सेदार बना दें। आज पंचायत को सुपरवाइजरी पावर्स दे दें कि अगर जंगल काटने में डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं तो उनकी शिकायत पर उनके खिलाफ एक्शन हो।

हरियाणा ने यह कर दिया है कि जिस किसान की जमीन के सामने जो वृक्ष लगेंगे, सरकारी जमीन पर भी उसकी देखरेख होनी चाहिए। क्योंकि उसके मैच्योर होने पर उसका आधा या 40 प्रतिशत हिस्सा उसको मिलता है। इस तरह की गाइड लाइन्स सर्विस स्टेट्स को भेजनी चाहिए।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में ज्यादा अनाज व्हीट और राइस उगाया

जाता है । उस इलाके के लोगों को आपने प्रोत्साहित किया, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में यूकेलिप्टिस के वृक्ष लगाए । मुझे याद है, मैंने अपने खेत में सफेदा लगाया और गांव में जगह-जगह सफेदा लग गया । लोग, जनता पार्टी की सरकार हो या आपकी पार्टी की सरकार हो, यह कहते हैं कि सरकार ने किसानों के साथ ठगी की है, धोखा किया है । उनको कहा गया कि एक एकड़ जमीन पर लगे सफेदे के 50, 60 हजार रुपये मिलेंगे, लेकिन पोजीशन यह है कि एक एकड़ सफेदे में 8 साल के बाद भी 25 हजार रुपये नहीं मिल रहे हैं । अब सरकार द्वारा यूकेलिप्टिस के बारे में प्रचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सफेदा मत लगाओ क्योंकि यह जमीन से भी पानी खींच लेता है और वायु-मंडल से भी पानी खींच लेता है जिससे हरियाणा और पंजाब में जमीन का पानी बहुत नीचे चला गया है । इसका एक और भी कारण है कि पानी खींचा जाता है पैडी के लिए । अब इस आशंका को सरकार के जरिये बड़े पैमाने पर साफ किया जाना चाहिए । क्या वाकई सफेदा पानी खींचता है, इस बारे में आप गम्भीरता से सोचिए ।

मेरे प्यारे मित्र मुशरान जी, जो कि मेरे प्रति हमदर्दी रखते हैं, उन्होंने ठीक कहा कि जंगल कट गये हैं लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने वृक्षारोपण किया, उनको क्या होसला मिला ?

सभापति महोदय, किसान वह हर काम करने के लिए तैयार होता है जिसमें उसको ज्यादा इकोनमिक फायदा दिखाई देता है । आपने प्रचार किया कि यूकेलिप्टस लगाओ । उसके बाद से एक मुहिम चल गई और लोगों ने घरों के पास खाली जगह में यूकेलिप्टस लगाये । इसी प्रकार से खेतों के आसपास भी लोगों ने इसको लगाया । मेरा आपसे यह कहना है कि आप अपने रिसर्च एण्ड डेवलप-मेंट डिपार्टमेंट को कहें कि वह ऐसे पेड़ निकालें जिन को लगाने से हैंडर्ड परसेंट किसान को फायदा हो । इससे किसान अपनी जमीन के किनारे में उन दरख्तों को लगाने की कोशिश करेगा ।

हर सूबों का मुझे पता नहीं मगर नार्थ के सूबों में जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पंचायतों के पास तीन एकड़ से लेकर 30 एकड़ व 40 एकड़ तक जमीन है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई गाँवों में 100 एकड़ जमीन पंचायतों के पास है और वहां कुछ जमीनों पर नाजायज कब्जा भी हो गया व कुछ जमीन का दुरुपयोग भी हो गया । अगर आप पंचायतों को यह सुझाव दें कि वह दरख्त लगाओ और इससे मुनाफा पाँच साल बाद और दस साल बाद बढ़ जाएगा तो इससे बहुत अधिक वृक्षारोपण हो सकता है । इसलिए मैं बहुत जोर देकर यह कहना चाहता हूं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को आप ऐसे सुझाव दें । इसके साथ ही जो यूकेलिप्टस इस वक्त खड़ा है उसके अच्छे भाव दिये जाएं और उन महकमों के खिलाफ कार्यवाही की जाये जिनके कर्मचारी दरख्तों को काटते हैं और गबन करते हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री शंकर लाल (पाली) : सभापति महोदय, मैं वन संरक्षण संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । निस्संदेह वन हमारे राष्ट्र की एक अमूल्य सम्पत्ति है । इस बात को जान कर ही हमारी कांग्रेस की सरकार व उसके नेताओं ने समय-समय पर वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाये और उन्हीं कानूनों के अन्दर वह कुछ और संशोधन करने अब जा रहे हैं । धारा दो के अन्दर संशोधन करके उसमें कुछ और मुद्दे जोड़े गये हैं और उसकी सीमा बढ़ाई गई है । धारा तीन (ए) में संशोधन करके उसमें 15 दिन की सजा देने का प्रावधान रखा गया है । यह एक बहुत अच्छा कदम है ।

[श्री शंकर लाल]

अक्सर देखने में यह आया है कि जंगलों की कटाई के अन्दर जंगलात के नीचे के अधिकारी मिले होते हैं। बड़े-बड़े ठेकेदार उन अधिकारियों की मिलीभगत से जंगलों को काट देते हैं और फिर उस लकड़ी को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। हमारे पाली के अन्दर भी ऐसा देखने को मिलता है। वहां जो फैक्ट्री लगी हुई है उसको जलाने की लकड़ी दी जाती है। ट्रक के ट्रक भरकर उस फैक्ट्री में आते हैं जबकि रेवेन्यू के अन्दर यह कानून बना हुआ है कि जरूरत के मुताबिक ही लकड़ी दी जाये। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए बड़े-बड़े लकड़ी के ट्रक भरकर उन फैक्ट्री वालों के पास आते हैं। इससे बड़े-बड़े जंगल कट गये हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फारेस्ट को हमारे संविधान के कानकरेन्ट लिस्ट में रखा गया है, आइटम (17) में लेकिन यदि आप वनों को राष्ट्रीय सम्पदा मानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जंगलों का संरक्षण करना चाहते हैं तो यह आवश्यक होगा कि वनों को यूनियन लिस्ट में सम्मिलित किया जाए।

इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि हमारे राजस्थान प्रान्त में लगातार अकाल पड़ते रहते हैं और इस बात को सभी जानते हैं कि वृक्ष जहां होते हैं, जंगल जहां होते हैं वहां वर्षा के लिए आकर्षण होता है और वहां अधिक वर्षा होती है और जहां पर वनों की कटाई हो जाती है वहां वर्षा कम होती है और इसीलिए राजस्थान जैसे प्रान्त में वृक्षों के अभाव में अकाल पड़ते रहते हैं और जो वहां पर जंगलों की कटाई हुई है उससे तो हालत और भी बुरी हो गई। हमारे यहां राजस्थान में जो अरावली पहाड़ियां हैं वह पहले हरी-भरी थीं लेकिन आज नंगी पहाड़ियां बन गई हैं। उसके लिए हमारी राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया है। हमारी भारत सरकार का जो हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अन्तर्गत :

[अनुवाद]

अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के विकास कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए क्योंकि अरावली के विकास की विशाल समस्या को राजस्थान जैसा आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य प्रभावी ढंग से हल नहीं कर सकता है।

राज्य वन विभाग ने 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वानिकीकरण चारागाह विकास, भूमि तथा नमी संरक्षण के लिए 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक बहुउद्देशीय परियोजना तैयार की है। इस परियोजना को लागू किए जाने से बंजर हुए पहाड़ों पर वानिकीकरण के द्वारा पेड़ लगाए जाएंगे, प्रति वर्ष दो लाख टन घास व चारे का उत्पादन होगा तथा 93 लाख टन ईंधन और छोटी इमारती लकड़ी का उत्पादन होगा। इससे ग्रामीण तथा प्रदेशीय क्षेत्रों में लगभग 6 करोड़ लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। जैसे ही अरावली पर्वत श्रृंखला को केन्द्रीय पर्वत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाता है यह परियोजना लागू किए जाने की दृष्टि से तैयार है।

[हिन्दी]

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि राजस्थान में जो अरावली हिल प्रोग्राम है उसे सैंट्रल हिल स्कीम में इनक्लूड किया जाए। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार का वेस्टलैंड पर जो एफोरेस्टेशन का जो प्रोग्राम है वह इन्दिरा गांधी कैनाल के अन्तर्गत बनाया गया है।

[अनुवाद]

तदनुसार 12 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना तैयार की गई तथा मई 1987 में एन०डब्ल्यू०डी०बी० को भेज दी गई थी। 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना में चारागाह विकास पर बल दिया गया है तथा आई०जी०एन० पी० में 25000 हेक्टेयर से अधिक रेत के टीलों के बढ़ने पर रोक लगाए जाने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जो जून 1990 में भेज दिए गए थे। अभी तक इस योजना को, जिसे तेजी से चलाया जाना चाहिए, स्वीकृति नहीं मिली है।

3.28 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

[हिन्दी]

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर, राज्य सरकार द्वारा एफारेस्टेशन की जो स्कीमें सेन्टर के पास भेजी गई हैं उनको आप मंजूर करें ताकि हर साल राजस्थान में अकाल की स्थिति में जो आपको करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, वह खर्च न करना पड़े। हमारे यहां राजस्थान में जंगल काटने का प्राब्लम नहीं है बल्कि प्राब्लम जंगल लगाने की है। इसलिए राजस्थान में जंगलात बढ़ाने पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1987 का स्वागत करता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है उसके लिए एक शायर ने ठीक ही कहा है : मर्ज बढ़ता गया, ज्यू-ज्यू दवा की। 1980 में फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया और उसके बाद एक वातावरण देश में बना। फारेस्ट, इकोलाजी, एन्वायरन्मेन्ट की तरफ आम आदमी का रुझान हुआ। लोग समझने लगे कि हम प्राकृतिक विपदाओं का इसलिए सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की धरती से वन कटते जा रहे हैं और उसके कारण इकोलोजिकल बैलेन्स बिगड़ता जा रहा है और इसी के कारण यह सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसके प्रति कई तरह के आंदोलन चलाये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में एक भावना जागृत हुई कि वन हमारी सम्पदा है। अगर ये वन सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उससे हमें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस एक्ट के आने के बाद से, जो अभी मन्त्री महोदय लाये हैं, जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, जंगल के सबसे बड़े रक्षक ही भक्षक बन गये। जो फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनकी मिलीभगत से सबसे ज्यादा जंगलों की कटाई हुई है। इस बिल के माध्यम से उन लोगों के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है कि उनको भी सजा दी जा सके, यह बहुत ही स्वागत योग्य बात है। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई हैं।

मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अजमेर के एक छोटे से मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर एक बस्ती पहाड़ों पर बसी हुई है पिछले 50 सालों से। वह फारेस्ट में दर्ज थी। सन् 1980 से पहले स्टेट गवर्नमेंट का वहां बहुत ज्यादा ध्यान था, लेकिन अब क्या हो रहा है। वहां के रहने वालों की मूलभूत सुविधाएं भी हासिल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वह क्षेत्र फारेस्ट में है। अब मास्टर प्लान में तबदीली नहीं हो सकती और कुछ कार्यवाही नहीं हो सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि फारेस्ट लगाने की बात होती है, कंजरवेशन की बात होती, फारेस्ट को बढ़ाने की बात होती है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को माध्यम से करते हैं, लेकिन जहां ऐसे मसले हैं कि इस एक्ट के आने के बाद से जो

[श्री विष्णु मोदी]

फारेस्ट लैण्ड किसी अदर-परपज के लिए काम आई, तो उसके लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट के लैवल पर कमेटी बना रखी है। उससे उसको आप कहते हैं अदर परपज के लिये काम ली जाएगी तो हम वहां से एप्रूवल देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के सन्दर्भ में मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 1980 से आज 1988 तक मुश्किल से चार-पांच केसेज एप्रूवल के अदर-दैन परपज के लिए दे पाये होंगे। लेकिन इससे काफी परेशानी बढ़ गई है। अभी एक आदिवासी भाई बोल रहे थे—आदिवासी का रिश्ता तो जंगलों से पति-पत्नी का रिश्ता है। कोटिल ने कहा था—देश की खनिज सम्पदा एक इतनी बड़ी सम्पदा है, जिससे हम देश का विकास कर सकते हैं। आज जब बजट आता है, तो हम बजट में रिसोर्स-मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन आज जो स्थिति पैदा हो गई है, अगर हम इसका सरलीकरण नहीं करेंगे, तो समस्या पैदा हो जायेगी। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस तरह का प्रावधान कर दीजिये कि अगर दो हैक्टेयर जमीन किसी फॉरेस्ट के काम में आएगी उसके अन्दर फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, इतनी जमीन दी जायेगी वे सारे अधिकार आप अपने यहां सुरक्षित न रखें, स्टेट गवर्नमेंट की जो आपकी एजेंसी है, जिसके माध्यम से आप फॉरेस्ट को देखते हैं, आप कृपा करके स्टेट लैवल पर इस तरह की कमेटी बनाईये जो अदर-दैन फॉरेस्ट परपज के लिए काम में आने वाली जो भूमि है, उसको अधिकार देकर उसका निपटारा वहीं कर सकें। आप वन उनसे लगवायेंगे, वनों की सुरक्षा उनसे करवाएंगे अगर परमिशन की आती है तो सैंट्रल लैवल पर देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज सम्पदा को देखते हुए, खनिज दोहन को ध्यान में रखते हुये राजस्थान स्टेट के अन्दर दो सौ करोड़ रुपये से ज्यादा साल की आमदनी खनिज विभाग से है। उसके ऊपर कम से कम नहीं तो राजस्थान के अन्दर 20 लाख आदमियों को रोजगार मिला हुआ है। अगर यही परिस्थितियां रहीं तो मैं समझता हूं कि आगामी आने वाले समय के अन्दर स्थिति स्टेलमेट की आ जाएगी, ग्राइंडिंग हाल्ट आ जाएगा। नये आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन पुराने एरियाज के रिन्युअल का वक्त आ रहा है। उनके लिए माइन्स मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट से और दूसरे प्रोजेक्ट्स के क्लीयरेंस को तरीके को सरलीकरण कर दें। जिससे जो बहुत छोटे-छोटे लोग हैं, जो ज्यादा टैक्नीकेलिटीज में नहीं पड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात होगी।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : सभापति महोदया, इससे पहले कि मैं इस डिबेट में जो इशूज रेज किये गये हैं, उनका जवाब दूं, मैं आनरेबिल हाउस के आनरेबिल मैम्बर्स का जिन्होंने इस अमेंडमेंट बिल और फॉरेस्ट के मसायल में जो दिलचस्पी दिखाई है, उनका बहुत आभारी हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं। मौजूदा जो यह एमेंडमेंट बिल है, इसका स्कोप बहुत मुख्तसर है। 1980 का जो फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट है, उस वक्त से इस वक्त तक उसको इम्पलीमेंट करने में जो कठिनाइयां और जो बाज-बाज शुबहा पैदा हुये, उन शुबहात को दूर करने के लिए और एक सही दिशा देने के लिये दरहकीकत यह एमेंडमेंट बिल हम लाये हैं लेकिन यहां पर जो डिस्कशन हुआ है और सही तौर पर माननीय सदस्यों ने जिस तरह की इसमें दिलचस्पी दिखाई है, उससे डिस्कशन का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि जो रुख आनरेबिल मैम्बर्स ने अख्तियार किया है, वह किसी तरह से अनुचित है। मैं कहता हूं कि वाकया यह है कि एक बहुत ही उचित रुख उन्होंने अख्तियार किया है और पूरे के पूरे फौरेस्ट्री सेक्टर के ऊपर इसमें बहस आ गई है। इसमें बहस आई है उन चीजों के मुताल्लिक भी, जिनका डाइरेक्ट फौरेस्ट (कंजरवेशन) एमेंडमेंट बिल से ताल्लुक है और उन इश्यूज पर भी बहस आई है, जो बाहर के थे।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : किसी भी साल इस मिनिस्ट्री के बजट पर बहस नहीं हुई। अब मौका आया है, इसलिये माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह आपको बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मन्त्री महोदय, आप जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : ये हमारे भतीजे हमको इस तरह से परेशान न करें, जरा इनसे प्रोटेक्ट कीजिये।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं इसको एप्रिशियेट कर रहा हूं और यह सही बात है कि जिस तरह से मेम्बर साहबान ने दिलचस्पी दिखाई और जो उनको मौका मिला, उसको उन्होंने पूरा-पूरा इस्तेमाल किया है और यह बिल जिसके लिये दो घंटे का समय रखा गया था, उससे कहीं ज्यादा, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 8 घंटे और उससे भी ज्यादा वक्त इस हाऊस ने इस पर डिवोट किया है।

मैं पहले उन बातों के बारे में, जो इस फौरेस्ट (कंजरवेशन) एमेंडमेंट बिल के मुताल्लिक नहीं हैं और जो फौरेस्ट की जनरल पालिसी के मुताल्लिक हैं, आपसे अर्ज करना चाहूंगा और जो इश्यूज आनरेबिल मेंम्बर्स ने रेज किये हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा और उसके बाद जो फारेस्ट (कंजरवेशन) एमेंडमेंट बिल हमारे सामने है, उस बिल के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहूंगा।

एक सवाल पर्टीनेन्टली यहां पर उठाया गया कि आखिर हमारा जो फौरेस्ट एरिया है, वह कितना है। मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि दो अलग-अलग चीजें हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज है फौरेस्ट एरिया रिकार्डेड और दूसरी चीज है ट्री कवर। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। यह जरूरी नहीं है कि सारे का सारा फौरेस्ट एरिया ट्री-कवर के अन्डर हो। फौरेस्ट से हम यह मुराद लेते हैं कि वह एरिया, जो फौरेस्ट एरिया के तौर पर रिकार्डेड है हमारे पास। इस मुल्क में कुदरत ने जो वेराइटी दी है क्लाइमेट में, तो उन क्लाइमेटिक रीजन्स में वेराइटी की वजह से।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : जो फौरेस्ट एरिया बोल कर रिकार्ड में आ जाता है, उसी को फौरेस्ट मान लेते हैं। जो सही तौर पर फौरेस्ट हैं, उनको मानना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यदि मेरा भाषण पूरा होने के बाद प्रश्न पूछे जायें तो मैं उसकी सराहना करूंगा। अन्यथा निरन्तरता टूट जायेगी।

श्री अजय मुशरान : महोदय, एक चौथाई क्षेत्र वन का सर्वेक्षण नहीं किया गया। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय आप जारी रख सकते हैं मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस समय हस्तक्षेप न करें। उनको अपना उत्तर पूरा करने दें। इसके बाद आप स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : तो मैं यह अर्ज कर रहा था जिसको हम फोरेस्ट एरिया कहते हैं उसमें हमारे जो क्लाईमेटिक रीजंस में जो कोल्ड एरियाज हैं, जो डेजर्ट एरियाज हैं जहां पर कि सैंड, टू सैंड है, उसको भी हम फोरेस्ट एरिया में इंक्लूड करते हैं। हमारे पास ऐसी झाड़ियां हैं, उनको भी हम फोरेस्ट लैंड में इंक्लूड करते हैं। हमारे पास कुछ ग्रास लैंड है जहां पर कि सिवाय घास के कुछ नहीं उगता, उसको भी हम फोरेस्ट एरिया में इंक्लूड करते हैं। जहां पर घने दरख्त हैं और इतने घने दरख्त हैं कि जिनके बीच से आदमी आर-पार नहीं जा सकता, आर-पार जाना मुमकिन ही नहीं हो सकता, ऐसे नेचुरल फोरेस्ट को भी हम फोरेस्ट एरिया में इंक्लूड करते हैं।

हमारे पास जो रिकार्डिड फोरेस्ट एरिया है वह है 75.29 मिलियन हेक्टेयर जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 22.9 परसेंट है और जो हमारे पास ट्री कवर्ड एरिया है वह 64.29 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 20.2 परसेन्ट बनता है। तो ये दोनों अलग-अलग हिस्से हैं—ट्री कवर्ड 20.2 परसेन्ट और रिकार्डिड फोरेस्ट एरिया 22.9 परसेंट।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मैं आपकी रक्षा करूंगी चिन्ता न करें।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : धन्यवाद महोदया!

(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती हूं वह जो कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिये। पहले उन्हें जवाब देने दीजिये।

श्री अजय मुखराम : महोदया आप मेरी रक्षा करें। हमारे पास मंत्री महोदय के रूप में अंग-रक्षक हैं। मेरे पास कोई नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया जारी रखें।

श्री वी० सोमन्नाईकर दास : आपको पता है कि आप सेना से हैं आपको किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं अब इस बात की तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूं—यह बात सही है कि ओवर द इयर्स लम्बे अर्से में फोरेस्ट का बुरी तरह से इन्वेजन हुआ है। इसकी क्या वजह है इसको हमें ठीक से समझ लेना चाहिये।

मेडम, सबसे बड़ा सबब हमारे फोरेस्ट एरियाज के इन्वेजन का है पापुलेशन का बढ़ना, आबादी का बेतहाशा एक्सप्लोजन और साथ में कैटल पापुलेशन का भी बढ़ना है। इन सबके बढ़ने से टिम्बर इंडस्ट्री का बढ़ना, इंडस्ट्रीयलाईजेशन आफ टिम्बर इंडस्ट्री का बढ़ना जिसके कारण टिम्बर की मांग का बढ़ना है। इन सब वजहों से फोरेस्ट का इवेजन बहुत तेजी से हुआ। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि अब हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गये हैं जहां पर इसको नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें अपनी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का पूरे तौर पर आभार प्रकट करना चाहिये। हमें उनका जितना आभार प्रकट करना चाहिये, उनका जितना एहसानमन्द होना चाहिये, वह हम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले इस बात की नजाकत को समझ कर इकोलोजिकल बेलेंस को कायम करने की तरफ मुल्क की तवज्जोह दिलाई।

मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान की तवारीख में स्टोकहोम का कंवेंशन एक लेंडमार्क है जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इकोलोजीकल बेलेंस और एनवायरनमेंट को कायम करने के लिए, एक कन्ट्री में नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के इकोलोजिकल वेलेंस और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मजबूती के साथ तकरीर की। उससे पूरी दुनिया में एक फिजा बनी। इसके बाद हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री जी ने जो इंपोर्टेंस इसको दी, जिस तरह से डिपार्टमेंट आफ एन्वायर्नमेंट अलग बनाया, अलग मिनिस्ट्री कायम की, उससे भी काफी लाभ हुआ है। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पास वह महकमा है जो इस मुल्क की जिन्दगी के लिए, जमीन की जिन्दगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए इंतहाई अहम है। मैंने आपसे अर्ज किया कि बायोटिक प्रेशर और फ्युअल वुड, फाडर, टिंबर, इंडस्ट्रियल वुड की जो कमी है वह दर-हकीकत रियल काज है हमारे फारेस्ट के डेनुडेड होने का। सवाल यह है कि अगर हम डेनुडेड बचाना चाहते हैं तो सिर्फ लोगों में प्रचार करके कि दरख्तों को बचाओ फ्यूचर जनरेशन के लिए, महज इस प्रचार से और महज परपंच से आप फारेस्ट रेसोर्सेस को नहीं बचा सकते हैं। फारेस्ट रेसोर्सेस को बचाने के लिए जरूरी है कि लोगों की बेसिक जरूरियात जो उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी में होती हैं, उनको पूरा करने के लिए कोई प्रोग्राम होना चाहिये और यही सबब है कि हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड का कयाम किया और इसका कयाम करते वक्त उन्होंने जो अल्फाज कहे थे वे अल्फाज आज भी हमारी पालिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कहा था कि लार्ज स्केल डीफारेस्टेशन से इकलाजिकल इंबेलेंस हुआ है, इकालाजिकल इमबेलेंस खड़े हुए हैं और बहुत से सोशो-इकनामिक प्राब्लम्स आये हैं। उन्होंने कहा था कि डीफारेस्टेशन प्रोसेस रुकना चाहिये। डीफारेस्टेशन रोकने के लिए जब उन्होंने कहा दिया, यह बात उन्होंने उस वक्त कही थी जब वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि इसीलिए वेस्ट लैण्ड डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया जा रहा है। इसके टारगेट के अनुसार फ्युअल वुड, स्माल टिंबर, फाडर आदि की लोगों की रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए 5 लाख मिलियन हेक्टेयर पर इयर प्लांटेशन किया जाना था लोगों की बेसिक जरूरियात को पूरा करने के लिए यह बोर्ड कायम किया गया था और इसके लिए बोर्ड ने काफी प्रयास किये, लेकिन इसके लिए लोगों की क्रिटिसिज्म बहुत हद तक सही है। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड का काम सिर्फ यह नहीं था कि जगह-जगह प्लांटेशन करता रहे, इसका सबसे बड़ा काम यह था कि देश भर में ऐसी जागृति पैदा की जाये, ऐसी बेदारी पैदा की जाए जिससे लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए लोग स्वयं खड़े हो जाएं। महज गवर्नमेंट के भरोसे पर, सरकारी खजाने के भरोसे पर अवाम की बढ़ती हुई नीड्स को पूरा नहीं किया जा सकता जब तक लोगों का एन्वाल्वमेंट उसमें न हो। वेस्ट लैण्ड डेवलपमेंट बोर्ड का काम सिर्फ प्लांटेशन नहीं था, उसका काम यह था कि किस तरह से इसमें लोगों को इन्वाल्व किया जाये, किस तरह से यह एक पीपुल मूवमेंट बने, किस तरह से उनमें यह धारणा पैदा की जाए कि वेस्ट लैंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह प्रोग्राम लोगों की भलाई के लिए है, इसका फायदा आप लोगों को ही पहुंचता है।

इसमें कोताहियों की बात मैं बहुत सफाई के साथ इस हाउस में कहना चाहता हूं वेस्ट लैण्ड डेवलपमेंट बोर्ड को जिन लाइन्स पर चलना चाहिए था, उन पर चलने में कोताहियां हुई हैं, इसमें कोई

[श्री जियाउर्रहमान अन्सारी]

शक नहीं है, कोई शुबह नहीं है, इस बात को मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं। बाई एंड लार्ज इस बोर्ड का काम सिर्फ प्लांटेशन का रहा है। और वह प्लांटेशन का प्रोग्राम भी कहीं-कहीं पर ऐसा हैपहैजर्ड रहा है जिसने बहुत सी प्राबलम्स पैदा कर दी हैं। मसलन यूक लिप्टस का प्लान्टेशन। यह सही है कि हमको जरूरत थी कि कोई ऐसी स्पेसीज का प्लान्टेशन हो जिसमें बायोमास जल्दी से मिल सके ताकि हमारी आवश्यकता पूरी हो सके। महज उस चीज को नजर में रखकर एक ही स्पेसीज के दरख्त का प्लान्टेशन करना और लोकल लोगों की नीड्स को सामने न रखना, उसने हमारे सामने बहुत सी समस्याएं पैदा कर दीं। हाल ही में जो वेस्टलैंड डवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने पुराने कार्यकलापों को रिव्यू किया। उसमें हम कुछ बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमने 140 जिलों की पूरी मैपिंग इस तरह तैयार की है कि उसमें विलेजवाइज और कहां-कहां पर वेस्टलैण्ड है वह हमको मालूम है। हमने वेस्टलैण्ड डवलप करने का प्रोग्राम लिया हुआ है लेकिन हमारे सामने वेस्टलैण्ड की साफ तस्वीर नहीं थी कि वेस्टलैण्ड कहां-कहां कितनी मात्रा में है और किन-किन कार्यों के लिये उसको यूटिलाईज किया जा सकता है। उसकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी कि पर्टिकुलर एरिया में लोगों की क्या नीड्स हैं। लोगों की आवश्यकता का पता नहीं था जिस प्रोग्राम में हम प्रोसीड करना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी का इसमें पूरा संरक्षण है। हमने विलेज और डिस्ट्रीक्ट लेवल पर जिन लोगों के लिये हम प्लान्टेशन करना चाहते हैं आइडेंटीफाई वेरट लैण्ड एरिया में एक प्रोग्राम बनाया जो उनकी कंसल-टेशन से होगा कि कितने हिस्से में हमको ग्रास लैण्ड डवलप करनी चाहिए और कितने एरिया में फ्यूअल वुड लगाना चाहिए और कितने हिस्से में ऐसे दरख्त लगाने चाहिए कि उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी में कुछ फल खाने को मिल जाएं और स्माल टिम्बर के लिये इस्तेमाल हो सकें। अगर कोई जमीन रहती है तो वे स्माल फारमर्स अपनी-अपनी होल्डींग्स में ऐसे दरख्त लगाएं जो इंडस्ट्रीयल गुड्स के तौर पर काम आ सकते हैं और जिनसे उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। इस शक्ल में इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं। हमारा यकीन है कि अगर वेस्ट लैंड डवलपमेंट का प्रोग्राम इस तरह से चले जो लोगों की सलाह से और लोगों को इन्वाल्व करके हो तो हमारा ख्याल है कि पूरे मुल्क में ऐसी फिजा कायम होगी कि लोग उसमें अपना पार्टिसिपेशन समझने लगेंगे और उन वनों को जिनको वे एक्स-प्लायट करते हैं, उनको समझेंगे कि यह हमारी सम्पत्ति है जिसे हमें ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहिए और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। अगर हमने उनकी बेसिक जरूरतों को नेगलेक्ट किया तो हमें अंदेशा है कि जो बाकी फारेस्ट एरियाज हैं उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और जो वक्ती जरूरतें होती हैं उनको पूरा किये बगैर नहीं रह सकते। केरोसीन ऑयल, गैस देना और पावर कनेक्शन देने के लिए सुझाव आये हैं। जो लोग देहात की जिन्दगी से वाकिफ हैं वे जानते हैं कि ये सारे प्रपो-जल्स बहुत छोटे सैक्शन आफ पापुलेशन के लिये है। आज भी देहातों में जो गरीब लोग हैं उनके घरों का कोई न कोई औरत या बच्चा दिन भर अपने चूल्हे में जलाने के लिये मुफ्त की लकड़ी खोजता है। कहीं पर गोबर मिल जाता तो गोबर ले लेता है और कहीं से लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है तो वह ले लेता है। उस मुफ्त के ईंधन से बच्चों के लिए खाना तैयार किया जाता है। आज अगर हमने उनको गैस और बिजली के कनेक्शन देने का इन्तजाम कर लिया तो उनके पास इतना पैसा कहां है कि जिस चीज को वे मुफ्त में हासिल कर सकते थे उसके लिए पैसा खर्च करके लाएं। इसलिए जरूरत है कोई दूसरा विलल्प नहीं है जब तक कि हमारा जीवन स्तर उस स्तर तक नहीं पहुंच जाये कि हम हर शख्स को इस लायक बना दें कि वह अपनी जरूरत की चीजों को पैसा देकर खरीद सकता हो, उस वक्त तक हमारी मजबूरी है कि हमको फ्यूल वुड के इन्तजाम के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा फारेस्ट डेनोडेशन नहीं बच पायेगा। मैं यहीं पर एक बात और कहना चाहता हूं।

अभी दो-तीन रोज पहले नई वन नीति घोषित हुई है, उस नई नीति में बहुत सी ऐसी चीजें कही गई हैं जो हमारी 1952 की पुरानी राष्ट्रीय नीति में नहीं थी। बेसिक इश्यू वही है कि टोटल लैंड एरिया का एक बटा तीन अण्डर फारेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन उसमें सवाल यह है कि जो इस किस्म के डी-ग्रेडेड फारेस्ट एरिया है उनका एफारेस्टेशन हम करना चाहते हैं तो जंगलों में जो गांव हैं जहां आदिवासी रहते हैं जो फारेस्ट एरिया का पार्ट एन्ड पार्सल है उसको वन से अलग नहीं किया जा सकता। वह वनों में शामिल है। जब तक हम उसको शामिल नहीं करेंगे हमको अंदेशा है कि हम पूरे तौर पर डी-ग्रेडेड फारेस्ट एरिया का एफारेस्टेशन नहीं कर सकते। हमें इससे अंदेशा है कि हमारी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उन डी-ग्रेडेड फारेस्ट एरियाज में आदिवासियों को, गांव के रहने वालों को शामिल करें और डेन्यूडड फारेस्ट एरिया को एफारेस्टेशन करें। ट्राइबल के सिलसिले में बात कही गई। नई वन नीति में ट्राइबल की रुचि को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बड़ी जोरदारी के साथ कहा है और हम इस बात के लिये वचनबद्ध हैं कि ट्राइबल और विलेज कम्यूनिटी के इन्टरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे और उसके लिये जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। हम उसमें एक कदम भी पीछे हटने के लिये तैयार नहीं हैं। हम वन क्षेत्र को उद्योगपतियों को देने के लिए हरगिज तैयार नहीं हैं। इसलिये कि अगर हमने एक मर्तबा तय कर लिया और वन क्षेत्र में उद्योग बना दिये तो फारेस्ट एरिया इस मुल्क में रहने वाला नहीं है। सारे का सारा एरिया डी-न्यूडेड होता चला जायेगा और फिर हमारे सामने ऐसी भयावह स्थिति और भयानक सूरत आ जायेगी कि इस भयानक सूरत से बचने का रास्ता मुश्किल से ही हमको नजर आयेगा। इसलिये हमारा फर्म डिसीजन है कि हम डी-ग्रेडेड फारेस्ट एरिया को इन्डस्ट्रियल पर्पज के लिये उद्योगपतियों को नहीं देंगे। अलबत्ता जो हमारे छोटे किसान हैं, कम्युनिटी लैंड्स है उस जगह वृक्षारोपण होता है और इंडस्ट्रियल गुड्स पैदा होती हैं तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन फारेस्ट एरिया को हम उद्योगपतियों को देने को तैयार नहीं हैं। अलबत्ता जो फारेस्ट एरिया में बीकर सेक्शन रहते हैं, ट्राइबल हैं, हरिजन हैं या दूसरे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको हम सुरक्षा देने के लिये पूरे साहस और पूरी ईमानदारी के साथ हर कदम उठाएंगे। यह हमारा निर्णय है। मैं बहुत ज्यादा, वन नीति जो नई घोषित हुई है, उसके बारे में नहीं कहना चाहता, मैं एक-दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक बात तो सख्त-से-सख्त सजा देने के बारे में कही गई है। हां, आपका सम्बन्ध जबान से जरूर हो सकता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था। (व्यवधान)

4.00 म० प०

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मंत्री महोदय, अब हम कार्य-सूची का अगला विषय चार बजे लेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं सदन के समक्ष उसके विचारार्थ एक बात रखता हूं। हमारी अनेक समस्याएं हैं क्योंकि कल एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रखा जा रहा है तथा 16 तारीख को सभा का यह सत्र समाप्त हो जाएगा यदि सभा सहमत हो तो हम कुछ समय तक इस पर चर्चा जारी रखते हुए इस विधेयक को आज ही पारित कर सकते हैं। इसमें अधिक से अधिक आधा घंटा लगेगा।

सभापति महोदय : क्या सभा इससे सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदया : मैं समझता हूं कि यह सभा की सर्वसम्मत राय है। मैं विधेयक के पारित होने के बाद चर्चा को लूंगी।

(व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : हम विधेयक को पारित करने में सहमत हैं, बशर्ते इसमें सुरक्षोपाय रखे जाएं तथा हमारे प्रश्नों का सन्तोषप्रद उत्तर मिले।

सभापति महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें तथा मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। विधेयक पारित करने के बाद हम अगला विषय लेंगे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं विशिष्ट व्यवस्था की बात करता हूं···

सभापति महोदया : आपको कितना समय और चाहिए ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : कम से कम 15 मिनट।

सभापति महोदया : अच्छा आप जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैडम, मैं अब इस स्पेसिफिक फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट से संबंधित बिल पर यहां जो कमैंट्स किये गये हैं, उनके मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले यह बिल 1980 में सदन में लाया गया। हमारे बहुत से आनरेबल मैम्बर्स ने एक बात कही है कि इसकी कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को क्यों नहीं डेलीगेट कर दी जातीं, इसमें क्या हर्ज है। मैं उनकी दिक्कतों, उनकी कठिनाइयों को समझता भी हूं और उनसे सहानुभूति भी रखता हूं लेकिन आपके माध्यम से अर्ज करता हूं कि इससे बेहतर होगा कि हम इस बिल को ही स्क्रेप कर दें। उसकी वजह भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मैडम, 1951 से 1980 तक इस बिल का सम्बन्ध फौरैस्ट की डीन्यूडेशन से नहीं था, बल्कि इसका परपज था फौरैस्ट एरियाज को नॉन-फौरैस्ट्री परपजेज के लिये डाइवर्ट करना था। नॉन-फौरैस्ट्री परपजेज में कोई प्रोजैक्ट भी शामिल था, सड़कें भी शामिल थीं, मतलब यह है कि किसी भी कार्य के लिये फौरैस्ट एरिया को डाइवर्ट किया जा सकता था। उस स्थिति में यह बिल या यह एक्ट इनवोक होगा। अब मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल या इस एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सन् 1951 से 1980 तक लगभग 4.238 मिलियन हैक्टेयर फौरैस्ट लैंड अन्य परपजेज के लिए डाइवर्ट हो गई। इसके माने यह हुए कि लगभग 1.5 मिलियन हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से फौरैस्ट लैंड डाइवर्ट हुई, दूसरे परपजेज के लिये। यह बात सही है। उस समय तक फौरैस्ट कन्जर्वेशन का हमारे सामने कोई कंसैप्ट नहीं था, सिर्फ रिवैन्यू यील्डिंग के उद्देश्य से फौरैस्ट लैंड का प्रयोग किया जा सकता था जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिवैन्यू मिल सके, ज्यादा से ज्यादा यील्ड ली जा सके, मतलब यह कि जितना इसे दुहा जा सके, उतना दुह लिया जाये। उसके बाद अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम सामने आया। उसकी तलवार भी फौरैस्ट एरियाज पर चली, उसके लिए भी फौरैस्ट एरिया क्लिअर किया गया। कहा गया कि इस जमीन को काश्त के लिये कन्वर्ट करो ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा हो सके। फिर इरीगेशन प्रोजैक्ट्स की जरूरत पड़ी, उसका नजला भी फौरैस्ट लैंड पर पड़ा कि जो कुछ करो, फौरैस्ट एरियाज पर करो। फिर हाइडल प्रोजैक्ट्स की जरूरत महसूस की गई और उसका नजला भी फौरैस्ट एरियाज पर पड़ा। मैं यह नहीं कहता कि देश में फौरैस्ट को बचाने के लिए डेवलपमैंट प्रोजैक्ट्स न बनाये जाएं, डेवलपमैंट एक्टिविटीज न की जाएं, वे भी जरूरी हैं,

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं और इस एक्ट की यह मंशा भी नहीं है कि देश में कोई डेवलपमैंट एंक्टिविटीज न की जाएं···

हम डेवलपमैंटल एक्टिविटीज के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि डेवलपमैंटल एक्टिविटीज बहुत काफी अर्से तक बरकरार रहें। ऐसा न हो कि डेवलपमैंटल के नाम पर ऐसी स्टेज आ जाये जिस स्टेज पर मालूम हो कि अब हम कुछ करने के लायक नहीं रहे हैं और हमारा सारा डेवलपमैंट का प्रोसैस खत्म हो गया। अभी कुछ मैम्बरान ने तस्किरा किया कि बगैर सोचे-समझे हुए, बगैर एनवायरनमेंट प्लान बनाये हुए बहुत से ऐसे प्रोजैक्ट बने हैं पास्ट में, डैम्स बने हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजैक्ट हैं इरिगेशन प्रोजैक्ट हैं या मल्टी परपज प्रोजैक्ट्स हैं, उनमें आज सिल्टेशन होकर इस हद तक हम पहुंच गये हैं कि आज हम कठिनाई में हैं, मुसीबत में हैं और हमें यह अंदाजा हो रहा है कि सारा पैसा जो उसमें खर्च किया गया था वह सारा डूबा जा रहा है। रीवर्स में सिल्टेशन हो रहा है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जब भी कोई प्रोजैक्ट बनाया जाये, उस प्रोजैक्ट में उसके कैचमेंट एरिया में ट्रीटमेंट का क्या प्रपोजल है, जो वहां के आउस्टीज हैं, ज्यादातर उनमें हरिजन होते हैं, आदिवासी होते हैं, वीकर सैक्शंस होते हैं, उन आउस्टीज को रीहैबिलिटेट करने के लिये क्या प्रावीजन रखा गया है और जैसा कि अभी हमारे दोस्त ने कहा कि डैम तैयार हो गया, लेकिन कमांड एरिया का डवलपमेंट नहीं हुआ। कमांड एरिया में डवलपमेंट का प्रोजैक्ट डैम के प्रोजैक्ट को प्रपोज करने के वक्त नहीं दिया गया था। डैम का प्रोजैक्ट अलग दिया गया था और कमांड एरिया के डवलपमेंट का प्रोजैक्ट बाद में रखा गया। नतीजा यह हुआ कि डैम बन करके तैयार हो गया और पानी भर गया और वह पानी निकल नहीं रहा है जब तक यह प्रोजैक्ट या यहां से क्लियर न हो। तो ये कठिनाई ऐसी आईं जिन कठिनाइयों की वजह से हमने यह जरूरत महसूस की। सन 1980 में कि फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट लाना चाहिए। इसके लिये हम फारेस्ट को क्रंक्रेन्ट लिस्ट में लाये और कान्करेन्ट लिस्ट में आने के बाद फारेस्ट को बचाने के लिये यह फारेस्ट कान्जरवेशन एक्ट आया। उसके बाद नतीजा यह हुआ कि वह फारेस्ट लैंड जो 1.5 लाख हैक्टेयर पर ईयर के हिसाब से डाईवर्ट हो रही थी वह डाइवर्शन आज 16 हजार हैक्टेयर पर ईयर के ऊपर आ गया है। इतना हमने रिड्यूस किया है।

मैडम, मैं स्टेट गवर्नमेंट की और ऑनरेबल मैम्बर्स की कठिनाइयों से वाकिफ हूं। मैं देहात से आता हूं। हमने यह कोशिश की है कि उस प्रॉसीजर को बहुत ज्यादा सिम्पलीफाई करें, लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि उसमें से इन्फार्मेशन मंगाते हैं। प्रोजैक्ट अथॉरिटीज से वह इन्फार्मेशन आती नहीं और हमारे नाम लिख दिया जाता है कि वह हमारे पास केस पैंडिंग है। इंडीविजुअली स्टेट के केसेस बताने का वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता। हमारे पास एक्चुली बहुत कम केसेस पैंडिंग हैं। हमने उस वक्त तीन कैटेगरीज बनाई थीं—पहली वह जो केसेज एप्रूव्ड हो गये, दूसरे वे केसेस जिनमें हमारे मांगने के बावजूद एडीशनल इन्फार्मेशन नहीं आई, उनको एक वक्त तक इन्तजार करने के बाद हम क्लोज कर देते थे, जब इन्फार्मेशन आ जायेगी, तब री-ओपन करेंगे और फिर वे केसेस जो ऑन मेरिट रिजैक्ट होते हैं। अब हमने यह क्लोज वाला बिजनैस बन्द कर दिया है। क्योंकि क्लोज केसेस में खामखां यह गलतफहमी रहती थी कि वे हमारे पास पैंडिंग हैं, हालांकि वे हमारे पास पैंडिंग नहीं होते थे। इसलिए हमने दो कैटेगरीज रखीं···

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : आपका क्या मतलब है, गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र गलत बोलती है ?

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जब मैं अपना भाषण पूरा कर लूं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

अब दो कैटेगरीज हैं, एक तो एप्रूव्ड केसेस की और दूसरी रिजैक्टेड केसेज की। हमने यह डाइरेक्शन्स और गाइड लाइन्स दे दी हैं कि जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट हमारे पास कम्पलीट आ जायेगी, उसे छः हफ्ते के अन्दर फारेस्ट एंगल से डिसीजन लेकर क्लियर कर देंगे या 6 हफ्ते के अन्दर ऑन मेरिट्स उसको रिजैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम इन 6 हफ्तों में यह महसूस करते हैं कि कुछ और एडीशनल इन्फार्मेशन की जरूरत है, तो एक ही मर्तबा, हमारे आफीसर्स को इस बात का हक होगा कि जो कुछ भी कमियां हैं, वे एक ही मर्तबा स्टेट गवर्नमेंट या प्रोजैक्ट अथारिटीज को लिखकर भेजें। एक्सचेंज आफ लवलैटर्स को बन्द कर दिया है।

4.10 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

खत जा रहे हैं, फिर एक इन्फार्मेशन आई और फिर हमने इन्फार्मेशन मंगाई तो इस तरीके को हमने अब बंद कर दिया है। हमने यह कोशिश की है कि एक महीने के अन्दर जो इन्फार्मेशन हमने मंगाई है, वह अगर आ जाती है तो हम उसको एक महीने के बाद देखकर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेंगे, इस तरफ या उस तरफ फैसला करेंगे। अगर, एक महीने के बाद भी इन्फार्मेशन नहीं आती है तो वह केस हम रिजैक्ट कर देंगे, मैरिट्स पर नहीं, बल्कि फार नान-फर्निशिंग दी इन्फार्मेशन। इस तरह से हमारे ऊपर कुछ बोझ हल्का हो जायेगा। हमने जो स्ट्रीम लाइन यह किया है इस पर प्लानिंग कमीशन का एक वर्किंग ग्रुप बैठा था और जो गाइड लाइन्स हमने इश्यू की हैं, उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो उनको करना चाहिए।

कुछ चीजें छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में हैं जैसे कोई छोटी-सी सड़क है, ट्रांस्मिशन लाइन है या मामूली-सा कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर हम खसूसियत के साथ उन केसेज को एक्सपीडाइट करते हैं और आनरेबल मेम्बर्स को यकीन दिलाते हैं कि जिस वक्त भी वह चाहें हम उनसे जाप्ता कायम कर सकते हैं। उन्होंने एक सजैश्चन दिया कि स्टेट लैवल पर इस किस्म की कमेटी बनें।

जनाबेआला, मैंने यह कहा है कि मैं स्टेट्स के हैडक्वार्टर्स पर गया हूं चीफ मिनिस्टर से जाप्ता कायम करके, महाराष्ट्र, यू० पी० और दूसरी जगह गया हूं और जहां भी जरूरत हो जाने के लिए तैयार हूं, मैं और मेरे आफिसर्स और उनके चीफ मिनिस्टर और उनके आफिसर्स बैठकर बात करेंगे और प्रोजेक्ट को क्लीयर करने में जो दिक्कतें होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रोजेक्ट पर कोई फैसला जल्दी से जल्दी हो सके। मैं इसके लिये तैयार हूं, इसमें जरूरत नहीं है कि स्टेट लैवल की कोई कमेटी बने। मैं खुद अपने डिपार्टमैंट के कन्सर्न्ड आफिसर्स को लेकर जाने के लिये और बात करने के लिये स्टेट्स में जाने के लिये तैयार हूं और अभी भी कर रहा हूं जहां-जहां से इस किस्म की डिमांड आती है।

टाप सायल इरोजन के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सही है। टाप सायल इरोजन की वजह से सिल्टेशन होता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट हरेक बात से कम्पलीट

हो कि उसके कैचमैंट एरिया का क्या प्रावीजन है, उसको डैवलप करने और कमांड एरिया का क्या प्रावीजन रखा गया है ताकि प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद ऐसा न हो कि पानी वेस्ट हो रहा हो। जो वहां से इफैक्टेड होंगे, जो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे उनके मुताल्लिक क्या प्रावीजन होंगे, इन सारी चीजों को हमने उसमें कवर किया है।

एक बात इस बिल के सिलसिले में कही गई है, कुछ गलतफहमी लोगों को हुई। हमारे क्लाज 2 के बाद जो थर्ड क्लाज बढ़ाया गया है, उसकी मंशा यह है कि हम एक तरह से पाबन्दी लगाना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमैंट किसी लीज या किसी और जरिये से, किसी भी तरीके से फोरेस्ट एरिया को डाइवर्ट न कर सकें। यह एक रोक लगाने की चीज है। हमारी मंशा यह बिल्कुल नहीं है कि हम प्राइवेट पर्सन को एनक्रेज करें···। हम तो प्राइवेट पर्सन की इस पर रोक लगा रहे हैं और उन पर एक तरह से पाबन्दी लगा रहे हैं।

हार्टिकल्चर, कॉफी, टी, रबड़ आदि चीजों के मुताल्लिक यह कहा है कि इनको नान फोरेस्टी परपजिज ट्रीट करेंगे। अगर इनको नान फोरेस्टी परपजिज ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे अंडमान-निकोबार के सारे नैचुरल फोरेस्ट रैड पाम में कनवर्ट हो जाएंगे और वह रैड पाम में प्लांटेशन करेंगे।··· (व्यवधान)·· मैं अर्ज कर रहा था कि वेस्टलैंड के डेवलपमेंट में हम इन चीजों को रेकॉगनिशन देते हैं। साथ ही आमदनी बढ़ाने के लिये वहां ऐसे दरख्त लगाये जाएं जिससे वहां आमदनी बढ़े, उनकी जरूरतें पूरी हों और उनकी जरूरतों में जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति पहले हो, ऐसा हम उसमें देखते हैं।

एक सवाल पनिशमैंट के बारे में उठाया गया है। बहुत से सदस्यों ने कहा कि पनिशमैंट बहुत थोड़ी है। यह स्पैसिफिक प्रावीजन उन आफिसर्स के लिये रखा गया है जो फारेस्ट को डाइवर्ट करने में या कन्जर्वेशन के स्पैसिफिक प्रावीजन के खिलाफ काम करते हैं। आफिसर्स के लिये तो 15 दिन की सजा बहुत बड़ी चीज है। अगर उनको एक घंटे की सजा हो जाये और उसके बाद उनके खिलाफ डिसिप्लनरी ऐक्शन हो तो उसकी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं। एक शर्मदार के लिये चुल्लू भर पानी डूबने के लिये काफी होता है। कहने का मतलब यह है कि एक दिन या एक घंटे की सजा भी उनके लिये मुसीबत बन जाती है।

एक और सवाल काम्प्रीहैंसिव लैजिस्लेशन का उठाया गया। मैं सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वक्त की कमी है। हमारी यह ख्वाहिश है कि हम एक काम्प्रीहैंसिव लैजिशन फोरेस्ट के मुताल्लिक लाये। 1927 का फोरेस्ट ऐक्ट एक जंक है। हमारे बहुत से पुराने ऐक्ट हैं जो कि आज के वक्त के तकाजों को पूरा नहीं कर सकते हैं और वह आज के वक्त के तकाजों के मुताल्लिक हैं भी नहीं। उस वक्त से इस वक्त तक के बीच में बहुत तबदीली आ गई है और उस तबदीली के मुताबिक हमारे ऐक्ट्स न हों तो हम समझते हैं कि हम अपना हक अदा नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 1927 के एक्ट में बुनियादी तबदीली की जरूरत है। इस हाउस में भी और दूसरे हाउस में भी बार-बार सवालों के जवाब में मैंने यह कहा है कि नई फोरेस्ट पालिसी के एनाउन्स हो जाने के बाद हम एक इख्तिताम जल्द-से-जल्द करेंगे और 1927 के ऐक्ट को वक्त के मुताल्लिक बनायेंगे। वैसे तो वह एक तरह से अमेंडमेंट ऐक्ट कहलायेगा लेकिन वह एक नया जीता-जागता बिल होगा। जैसे कि हमने कड़ी सजा का प्रावीजन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऐक्ट में प्रोवाइड किया है। और जिस तरह के अख्तियारात हमने उसमें अवाम को दिये हैं उसी तरह से हमारा इरादा है कि हम जब कोई कांप्रिहैंसिव लेजिस्लेशन लाएं तो हम इस बात को सोचें कि हमको इस

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

तरह के डेटेरेन्ट पनिशमेन्ट का उसमें प्रावधान करना चाहिए जिससे कि यह भ्रष्टाचार रुक सके और हम फोरेस्ट को बचा सकें।

जनाबेवाला, मेरे लिये यह मुमकिन नहीं है कि मैं आनरेबल मेम्बर्स का एक-एक का नाम लेकर जवाब दूं। आन दि होल मैं सारे मेम्बर्स का एक बार फिर शुक्रगुजार हूं कि उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने इस सब्जेक्ट पर जो दिलचस्पी दिखाई है वह यकीनन हमारे रौशन मुस्तकबिल की तरफ, हमारे उज्ज्वल भविष्य की तरफ, इशारा करती है और हम यह महसूस करते हैं कि इससे हमारे मसायल हल होंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय मुश्रान : महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए अनेक माननीय सदस्यों ने मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है विशेषरूप से कृषि सम्बन्धी उपकरणों के लिए तथा अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लकड़ी प्राप्त करने के मामले में ये लोग वनों के निकट रहते है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह कृपया बताएं कि किसानों की लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा मवेशियों को चराने के लिए स्थान के बारे में आपकी क्या योजना है ?

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि वनों से लगे हुए कुछ क्षेत्र भूमिहीनों को दिये गये थे। मैं जानना चाहता हूं, उनका क्या हाल हुआ ? आपने उनसे भूमि वापस लेनी शुरू कर दी है। उन्होंने मकान बनवाने के लिए ऋण लिया है वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि हम यह कहते हैं कि जब हम एक पेड़ काटते हैं तो हम एक इन्सान को मारते हैं। परन्तु जो आप कर रहे हैं उससे आप उन्हें मार रहे है। वे स्वयं ही भूखों मर जायेंगे। क्या आप उन्हें मुआवजा देंगे ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कोई व्यवधान न डालें।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : दो प्रश्न पूछे गये हैं। एक तो वनों से लगे हुए क्षेत्र में रह रहे किसानों की लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के बारे में तथा दूसरा, उनकी इमारती लकड़ी, ईंधन तथा उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के बारे में है। यदि श्री मुश्रान नई वन नीति को देखें तो उन्हें उत्तर मिल जाएगा। हमने कमजोर वर्गों तथा किसानों की रोजमर्रा की आवश्यकता का ध्यान रखा है। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, खराब वन क्षेत्रों में हमने वहां रह रहे लोगों के सहयोग से वन क्षेत्र लगाने की योजना बनाई है तथा उन्हें उस वन क्षेत्र को प्रयोग करने का अधिकार दिया है। इस बात का ध्यान रखा गया है।

दूसरी बात, उन लोगों के बारे में है जिनको वन क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्र के लिए पट्टा दिया गया है। वे क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। परन्तु वे क्षेत्र, वन क्षेत्र के अन्तर्गत आ गए हैं तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पारित होने से पहले उनको अनअधि सूचित नहीं किया गया है तथा लोगों को भूमि के रूप में स्थानान्तरित नहीं किया गया है तो मुझे डर है कि हमारे लिए इसे उनका अधिकार मानना कठिन होगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। उन्होंने अपना भाषण पूरा नहीं किया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपसे कहा है कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाएं। मैं आपको अनुमति दूंगा परन्तु इस समय नहीं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, जिसको हम अवैधानिक कब्जा समझते हैं उसको हम कानूनी अन्तर्गत मान्यता नहीं देंगे।

श्री के० पी० सिंह देव : सभापति महोदय, 1924 में मेरे चुनाव क्षेत्र के कुछ हिस्से में कुछ जनजातीय लोग बस गये थे। 1980 में वन अधिनियम बनाया गया। बसाने वाली कार्यवाही 1986 में पूरी कर ली गई थी और 1987 में उनसे भूमि खाली कराने को कह दिया गया था। खाली करवाने सम्बन्धी आदेश 60 साल बाद जारी किए गए। वह वन क्षेत्र नहीं था परन्तु आज इस बसाये जाने वाली कार्यवाही के परिणामस्वरूप इसको वन क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः वे आदिवासी व जनजातीय लोग पिछले दो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, कहां जाएंगे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, जैसा कि मैंने कहा था वन क्षेत्र के बारे में जो लोग रह रहे हैं, हम उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूक हैं तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। परन्तु महोदय, इसकी आड़ में जबरदस्ती व गैर-कानूनी कब्जे को बढ़ावा नहीं देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : परन्तु यह गैर-कानूनी कब्जा नहीं है।

सभापति महोदय : यह काफी है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं यदि 1980 के अधिनियम के पारित होने से पहले कोई वन क्षेत्र किसी ग्रामीण समुदाय को दिया गया है तो वह भूमि इस अधिनियम के परिक्षेत्र में नहीं आती है। यदि अधिनियम से पहले आबंटन किया गया है तो निर्धारण तिथि 1980

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 तथा 2 का संशोधन

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगा। खंड 2 में बहुत से संशोधन हैं। श्री घोलप, क्या आप खंड 2 के लिए संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस० जी० घोलप : जी नहीं, महोदय मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अन्य संशोधनों के बारे में क्या विचार है ?

श्री एस० जी० घोलप : मैं संशोधन संख्या 2, 3, 4 और 5 प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

'(ग) स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम लागू नहीं होगा यदि अपेक्षित भूमि, लघु सिंचाई, पेयजल पूर्ति योजना या बिजली की लाइन के लिए है; बशर्ते कि प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि चालीस हेक्टेयर से कम है और परियोजना के लिए, लिए गए क्षेत्र से दुगुने क्षेत्र में वन रोपण हेतु अपेक्षित धन की परियोजना में व्यवस्था कर दी जाती है या जहां कलक्टर द्वारा वन विभाग को समान वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करा दी जाती है।"।" (2)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

'(ग) स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम लागू नहीं होगा यदि अपेक्षित भूमि, लघु सिंचाई, पेयजल पूर्ति योजना या बिजली की लाइन के लिए है, बशर्ते कि प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि चालीस हेक्टेयर से कम है और परियोजना के लिए लिए गए क्षेत्र से दुगुने क्षेत्र में वन रोपण हेतु अपेक्षित धन की परियोजना में व्यवस्था कर दी जाती है या जहां कलक्टर द्वारा वन विभाग को समान वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करा दी जाती है।"।' (3)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

'(ग) स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम लागू नहीं होगा यदि अपेक्षित भूमि, लघु सिंचाई, पेयजल पूर्ति योजना या बिजली की लाइन के लिए है, क्योंकि प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि चालीस हेक्टेयर से कम है और परियोजना के लिए, लिए गए क्षेत्र से दुगुने क्षेत्र में वन रोपण हेतु अपेक्षित धन की परियोजना में व्यवस्था कर दी जाती है या जहां कलक्टर द्वारा वन विभाग को समान वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करा दी जाती है।"।, (4)

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

'(क) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(i) कि केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 में यथापरिभाषित कोई आरक्षित वन : और न कि किसी राज्य विधि के अधीन आरक्षित समझा जाने वाला वन या उसका कोई प्रभाग, आरक्षित नहीं रहेगा।" ;' (5)

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 6 और 7 श्री अय्यपू रेड्डी और श्री डोरा।

वे अनुपस्थित हैं।

संशोधन संख्या 8 और 9 श्री देव।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु खण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट वन भूमि या उसका कोई प्रभाग एक बोर्ड द्वारा परिलक्षित किया जाएगा, जिसमें अधिकारी, गैर-सरकारी अधिकारी जिनमे गैर-सरकारी पर्यावरण संगठन और प्रकृति संरक्षण में विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।" (8)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 18—

"प्रयोजन" के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"जैसे लघु सिंचाई तथा पेयजल की पूर्ति, जहां प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि के सम्बन्ध में परियोजना के लिए लिए गए क्षेत्र से दुगुने क्षेत्र में वन रोपण हेतु अपेक्षित धन की व्यवस्था की जाती है," (10)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

'(ग) स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम लागू नहीं होगा यदि अपेक्षित भूमि, लघु सिंचाई, पेयजल पूर्ति योजना या बिजली की लाइनें लगाने के लिए है।"।' (11)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"(v) कि राज्य सरकार द्वारा दो सौ हेक्टेयर से अनधिक परिमाण तक किसी ऐसी वन भूमि या उसके ऐसे किसी प्रभाग के लिए, जिसकी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के

[श्री बी० सोमनाद्रीश्वर राव]

प्राधिकार के अधीन कोई वृहत, मध्यम या लघु सिंचाई परियोजना या विद्युत उत्पादन परियोजना आरम्भ करने या सार्वजनिक सड़क या विद्युत लाइन निर्माण या किसी संस्था की स्थापना करने के लिए आवश्यकता है, अनुज्ञा ऐसी विकास परियोजनाओं को आरम्भ करने में लगाने वाले समय की बचत करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी मिलने से पूर्व दे दी जाए।" (12)

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 —

"प्रयोजन" के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"जैसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्राधिकार के अधीन वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई, सार्वजनिक सड़क या विद्युत लाइन निर्माण या किसी संस्था की स्थापना, जहां प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के सम्बन्ध में परियोजना के लिए लिए गए क्षेत्र से दुगुने क्षेत्र में वन रोपण हेतु अपेक्षित धन की व्यवस्था कर दी जाती है।" (13)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

'(ग) स्पष्टीकरण के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम लागू नहीं होगा यदि अपेक्षित भूमि केन्द्रीय सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्राधिकार के अधीन वृहत, मध्यम या लघु सिंचाई, सार्वजनिक सड़क या विद्युत लाइन निर्माण या किसी संस्था की स्थापना करने के लिए है।"।' (14)

श्री डी० बी० पाटिल (कोल्हापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 12,—

"किसी प्राइवेट व्यक्ति या" का लोप किया जाए। (15)

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए —

"परन्तु ऐसी भूमि में पूर्णत: विकसित वृक्षों को नहीं काटा जाएगा।" (16)

पृष्ठ 2—पंक्ति 12—

"के लिए ' के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"नियमों के अधीन विहित हरे वृक्षों की न्यूनतम संख्या वाली।" (17)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु वन भूमि का उपयोग वनेतर प्रयोजनों के लिए नहीं समझा जाएगा यदि ऐसी भूमि लघु सिंचाई, पेयजल पूर्ति, बिजली की लाइनें लगाने, सड़कें बनाने जैसे और ऐसे अन्य लोकोपयोगी कार्य के लिए अपेक्षित है और यदि सम्बन्धित प्राधिकारी, परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि में दुगने क्षेत्र में वन रोपण के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था कर देता है और यह राशि कलक्टर के पास जमा कर देता है।" (18)

सभापति महोदय : श्री राठौड़, क्या आप संशोधन संख्या 2 के बारे में बोलना चाहते हैं ?

श्री उत्तम राठौड़ : जी हां। कभी-कभी कुछ अवसरों पर हम ऐसे भावुक हो जाते हैं कि हम नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं अथवा इसमें पहले के अवसरों पर हमने क्या बोला था। चैम्बर लेन का लड़का अपने पिता के बारे में कहा करता था कि इसमें कोई शक नहीं कि उसका पिता एक अद्भुत व्यक्ति था और कभी-कभी वह इतना तन्मय हो जाता था जैसे कि यदि वह कब्रिस्तान को जाने वाली शव-यात्रा को जा रहा है, तो वह ऐसी बात किया करता था जैसे कि वह स्वयं मर गया हो और यह कफन उसका ही था। आज हमारी चर्चा इसी प्रकार चल रही है। महोदय, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वर्ष 1980 से पहले जिसके पास भी यह भूमि थी, किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। अब हमारा संशोधन सिंचाई, पेयजल, बिजली की लाइनों और अन्य चीजों के लिए छोटी परियोजनाओं के बारे में है। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक 400 किलोवाट लाइन को दूसरी जगह मोड़ने के लिए, जिसका निर्माण कार्य और तार लगाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, चन्द्रपुर से पुरली तक, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को 10 करोड़ रुपये अधिक खर्च करना पड़ा था। जैसाकि आप जानते हैं, 400 किलोवाट लाइन कन्डक्टर को यदि एक बार वहां से हटाया जाता है तो उसे दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमें थोड़े से पेड़ों को बचाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस प्रयोजन के लिए आपने सरकार को 10 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए मजबूर किया है। क्या यह अच्छी बात है ? आपको उन्हें कुछ और पेड़ लगाने के लिए कहना चाहिए था। यहां हमने कहा है कि इन बांधों, इन बिजली की लाइनों और जनजाति के लोगों के लिए झोपड़ियां बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहां तक कि जनजातीय उप-योजना में, वहां क्षेत्रवार दृष्टिकोण अपनाने की बात है। इन सड़कों का निर्माण करना होगा, पेयजल सुविधाएं देनी होंगी और जनजाति लोगों के लिए स्कूलों का निर्माण करना होगा। अत: हमने इस संशोधन के सम्बन्ध में सुझाव दिया है कि यदि प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि 40 हैक्टेयर से कम है और यदि परियोजना में उस परियोजना हेतु लिए गए क्षेत्र से दुगने क्षेत्र में वनरोपण के लिए धन की व्यवस्था कर दी जाती है अथवा जहां समाहर्ता द्वारा उसके बराबर वैकल्पिक भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी जाती है, तो उस परियोजना को आवश्यक स्वीकृति दी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अपने संशोधन को स्वीकार किये जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री एस० जी० घोलप : मैं खण्ड 2 के लिए संशोधन संख्या 3 के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

महोदय, सरकार की यह नीति है कि यदि किसी परियोजना के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है, तो उस परियोजना के लिए भूमि तभी दी जानी चाहिए यदि उस परियोजना हेतु लिए गए क्षेत्र से दुगने क्षेत्र के लिए वनरोपण प्रयोजनों के लिए उस परियोजना में धन की व्यवस्था कर दी जाती है। तथा यदि परियोजना में वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था कर दी जाती है तो उस परियोजना

[श्री एस० जी० घोलप]

को स्वीकृति दे दी जानी चाहिए। हम सभी यह सुझाव देते हैं कि हम इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। किसी परियोजना हेतु लिए गए क्षेत्र के लिए समाहर्ता उसके लिए वैकल्पिक भूमि तथा धन की व्यवस्था करेगा। वास्तव में ढाणे और नासिक में, हमने वैकल्पिक भूमि पहले ही दे दी है। फिर भी परियोजनाओं की स्वीकृति में तीन से चार वर्ष लग गए। मैं नहीं समझता कि हम तीन से चार वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों करें। मैंने अपने भाषण में बताया है कि यह तो विकास पर प्रतिबन्ध के समान है। मुझे हैरानी है कि आप विकास पर प्रतिबन्ध क्यो लगाना चाहते हैं। जब परियोजना में, परियोजना हेतु लिए गए क्षेत्र के लिए उससे दुगने क्षेत्र में वनरोपण हेतु धन देने की व्यवस्था कर दी जाती है और उसके लिए वैकल्पिक भूमि भी दे दी जाती है, तो सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और परियोजना को स्वीकृति दे देनी चाहिए।

मेरा संशोधन संख्या पांच आरक्षित वनों के सम्बन्ध में है। इसमें यह कहा गया है कि केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 में यथापरिभाषित कोई आरक्षित वन को आरक्षित न समझा जाये और न किसी राज्य विधि के अधीन आरक्षित समझे जाने वाला वन या उसका कोई प्रभाग, आरक्षित नहीं रहेगा।

महाराष्ट्र में हमने दलदली भूमि का अधिग्रहण किया है। कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम सीमा 24 एकड़ है परन्तु वन अधिनियम में यह अधिकतम सीमा 30 एकड़ तक निर्धारित की गई है। भूमि अधिग्रहण से हमारे वनों में वृद्धि हुई है। 60 के दशक में यह कुछ कम थी परन्तु अब इसमें बढ़ोत्तरी हो गई है।

इस विधेयक के अन्तर्गत न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। परन्तु उस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कोई अपील नहीं की जा सकती। इस विधेयक में व्यवस्था है कि "किसी दूसरे कानून में किसी बात के होते हुए भी ऐसा होगा।" यद्यपि न्यायालय में अपील करने के लिए एक उपबन्ध है परन्तु मैं समझता हूं कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की परिभाषा के अनुसार इसे आरक्षित वनों तक सीमित रखा जाए।

श्री के० पी० सिंह देव : मेरे संशोधन संख्या 8 में कहा गया है कि पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु खण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट वन भूमि या उसका कोई प्रभाग एक बोर्ड द्वारा परिलक्षित किया जायेगा, जिसमें अधिकारी, गैर-सरकारी अधिकारी जिनमें गैर-सरकारी पर्यावरण संगठन और प्रकृति संरक्षण में विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।"

इसका कारण यह है कि इस समय एक समिति है जो यह निश्चय करती है कि क्या वनीय भूमि को गैर-वनीय भूमि में परिवर्तित किया जाये अथवा नहीं। इसमें तीन सदस्य या एक सदस्या हैं— एक वन महानिरीक्षक, दूसरे अतिरिक्त वन महानिरीक्षक हैं तथा तीसरे वन उप महानिरीक्षक हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसे केवल उच्चाधिकारियों पर ही छोड़ा जा सकता है। इसलिये लघु सिंचाई, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, अस्पताल तथा शैक्षिक सुविधाओं के विकास को दिल्ली में बैठे उन तीन अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा सकता जो यह फैसला करते हैं कि उनके लिए क्या उचित है तथा क्या अनुचित है।

इसलिए, मैं वानकी के उत्पादकता सम्बन्धी पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसकी मंत्री महोदय अपने प्रथम वक्तव्य में चर्चा कर रहे थे और वानकी का उत्पादकता सम्बन्धी पहलू ऐसा है जिससे वनों की बहुत कटाई हुई है। वानकी के उत्पादकता सम्बन्धी पहलू का अभी तक विकास नहीं किया गया है। इसलिए सम्पूर्ण विकास का कार्य उन तीन वन अधिकारियों पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये जो उन विभिन्न स्थानों का दौरा किये बिना ही, जहां लघु सिंचाई की आवश्यकता है दिल्ली में बैठे अपना कार्य कर रहे हैं, जैसा कि विगत वर्ष के सूखा पड़ने की स्थिति में हुआ था। यह जनता के जीवन-आधार हैं। विगत वर्ष का सूखा इस सदी का सबसे भीषण सूखा था। जब ये वन राजस्व विभाग के वन थे, उस समय 1949-50 में जो परियोजनायें शुरू की गई थीं, उन पर उस सूखा राहत का एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया गया जो भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को दिया था। उड़ीसा राज्य का प्रभार मंत्री महोदय के पास था। इसलिए इस संदेह के कारण कि ये तीन वन अधिकारी तथा विभाग के सचिव देश के सभी भागों में नहीं जा सकते, हम उन गैर-सरकारी अधिकारियों को सम्मिलित करना चाहते हैं जो इन परियोजनाओं के महत्व को जानते हैं तथा बोर्ड के लक्ष्य को वस्तुनिष्ठता प्रदान कर सकते हैं। इस समय ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो बोर्ड को वस्तुनिष्ठ बना सके क्योंकि यह सांमति व्यक्तिनिष्ठ है तथा मंत्री महोदय जिन मार्ग निर्देशों का उल्लेख कर रहे थे, वे पर्याप्त नहीं हैं।

मैं मंत्री महोदय के उस उत्तर को उद्धृत कर रहा हूं जो उन्होंने 12 नवम्बर, 1987 को श्री गुरूदास कामत को दिया था।

राज्य सरकार को अनेक दिशानिर्देश दिए गये हैं :—

(एक) अवैध रूप से वृक्षों की कटाई तथा वन उत्पादों को हटाने पर रोक।

(दो) भारतीय वन अधिनियम के उपबंधों को लागू करना।

(तीन) अपराधियों को कठोर दंड देना।

(चार) चारे के लिए परती भूमि विकास कार्यक्रम।

(पांच) वन सुरक्षा बलों को मजबूत करना।

(छः) झूम खेती पर नियंत्रण।

(सात) आरा और मुलम्मा (विनिर) मिलों पर कड़ा नियंत्रण।

(आठ) वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि करना।

(नौ) चराई के महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों की बन्द करना।

(दस) ईंधन की लकड़ी के दोहन के कारण वनों पर पड़े दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहन देना।

(ग्यारह) उद्योगों, रेलवे तथा अन्य उपयोगों के लिए लकड़ी का प्रतिस्थापन।

(बारह) ठेकेदारों को हटाना।

(तेरह) वनों की कटाई तथा संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के संबंध में कार्यकारी योजना के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मार्ग निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

[श्री के० पी० सिंह देव]

(चौरह) 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध।"

ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें इन बातों को नहीं जानती हों। ये दिशा निर्देश नहीं हैं। इसीलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 10 तथा 11 के सम्बन्ध में प्रो० सैफुद्दीन सोज बोलेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने अपनी टिप्पणियों में पहले ही कहा है इस विधेयक का शीर्षक अर्थात् 'वन (संरक्षण)' बहुत अच्छा है। परन्तु वास्तव में खंड 2 के द्वारा विभाग की वन भूमि कम हो जायेगी। खंड 2 (क) में व्यवस्था है कि यह प्राइवेट पार्टियों को भी दी जायेगी। खंड 2 (क) के भाग (iv) के अनुसार—

> "किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग से पुनर्वनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आये हैं, काट कर साफ किया जाये।"

तत्पश्चात वनेतर प्रयोजनों को स्पष्ट किया गया है। खंड 2 (ख) के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है :

> (ख) "पुनर्वनरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि या उसके प्रभाग का तोड़ना या काट कर साफ करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वनों का संरक्षण विकास और प्रबन्ध..."

मेरा संशोधन यह है कि व्यवहारिक न भी हो मंत्री महोदय भावना को समझ सकते हैं। यदि आप किसी परियोजना को जमीन देते हैं तो उस संगठन को उसके बदले दो गुनी जमीन देनी चाहिये उसके लिए धनराशि देनी चाहिये ताकि आपने उस संगठन को जो जमीन दी है उसकी दो गुनी खरीदी जा सके और वृक्षारोपण किया जा सके। परन्तु हम देखते हैं कि केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत में वृक्ष काटना आसान है परन्तु वृक्ष लगाना बहुत कठिन है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ऐसा माहौल तैयार करें। आखिरकार, देश में पारिस्थितिकी सन्तुलन के लिए यही मंत्रालय उत्तरदायी है। ऐसा माहौल तैयार करना भी मंत्री महोदय का कार्य है ताकि लोग वृक्षारोपण कर सकें। हो सकता है कि यह व्यवहारिक संशोधन नहीं हो। आप इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। परन्तु मेरा अनुरोध है कि जब आप प्राइवेट पार्टियों को जमीन दें तो बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक दें। आप निगमों, प्राइवेट लोगों तथा एजेंसियों को भी जमीन देंगे। यदि आप कतिपय एजेंसियों को जमीन देंगे तो वे इसका उपयोग सड़कों या गुलियों के निर्माण के लिए कर सकते हैं। इसका किसी परियोजना के लिए उपयोग हो सकता है। उस संगठन से आपको धनराशि नहीं लेनी चाहिये। उस संगठन से आपको उस जमीन की दो गुनी जमीन लेनी चाहिये तथा वृक्षारोपण सुनिश्चित करना चाहिए।

मेरा कहना यह है कि देश में ऐसा माहौल तैयार कीजिये ताकि लोग अपने क्षेत्रों से लेकर पर्वतों तक वृक्षारोपण कर सकें। हम हरा-भरा भारत चाहते हैं तथा हम चाहते हैं कि हरित पट्टी को संरक्षित किया जाये।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 12, 13 तथा के सम्बन्ध में—श्री शोभनाद्रीश्वर राव बोलेंगे।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : चर्चा का जवाब देते हुये मंत्री महोदय ने ऐसे अनेक कारणों को माना है जिनके फलस्वरूप वन क्षेत्रों में वनों की कटाई हुई है या वे कम हुये हैं। वे दिन बीत गये; विगत कई वर्षों से लोगों में यह चेतना आई है कि वनों को संरक्षित किया जाये तथा वन क्षेत्र में वृद्धि की जाये। केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक राज्य सरकार भी गम्भीर रूप से चिन्तित है। जिला परिषदों, जिला नियोजन बोर्ड की बैठकों तथा गांवों में सरपंचों से लेकर जन प्रतिनिधियों तक के सम्मिलित होने से लोगों की भी उतनी ही रुचि जागृत हो गई है।

मेरा संशोधन है कि इन सब उद्देश्यों के साथ सहमत होते हुये मैं महसूस करता हूं कि इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि एक महीने में उन्होंने स्वीकार या अस्वीकार करके कुछ कदम उठाये थे। परन्तु मुझे कहते हुये खेद है कि इससे वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। आप इसके लिए जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कितने वृक्ष हैं, तने की चौड़ाई क्या है तथा कितनी शाखायें हैं—ये सब व्यर्थ के प्रश्न हैं वास्तव में, यदि आप गठन पर गौर करें तो आपको आश्चर्य होगा तथा यह जानकारी हासिल करने के लिए खेद होगा, जैसे कि राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी नहीं है, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केवल दिल्ली में ही हैं तथा भारत सरकार ही वन संरक्षण में रुचि रखती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वर्तमान अधिनियम के कड़े उपबंधों के बावजूद भी देश में प्रत्येक वर्ष हजारों एकड़ भूमि वनहीन की जा रही है क्योंकि आपके विभाग के अधिकारियों की वन के कुछ ठेकेदारों से मिलीभगत है। मेरा अनुरोध है कि लघु सिंचाई परियोजना, बिजली परियोजना या प्रमुख सिंचाई परियोजना के संबंध में राज्य सरकार को कम से कम 200 हेक्टेयर तक की छूट दी जानी चाहिये, कृपया कड़ा दृष्टिकोण न अपनाया जाये। आप इसे बहुत अधिक कड़ा करेंगे। इस संशोधन को मान लें तथा 200 हेक्टेयर तक के मामलों में जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिये तथा इससे अधिक की मंजूरी आप दें। परन्तु 200 हेक्टेयर तक राज्य सरकार को मंजूरी देनी चाहिये तथा इसका अनुमोदन केन्द्र सरकार को करना चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि जब राज्य सरकार अपने नियंत्रण वाले घोषित क्षेत्रों में पुनः वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव करती है, उस क्षेत्र में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए धनराशि व्यय करने को कहती है तथा किसी परियोजना के लिए आवश्यक क्षेत्र को दो गुना करना चाहती है तो भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस संशोधन को मान लें।

सभापति महोदय : श्री डी० बी० पाटिल आपने 15 से लेकर 18 तक संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

श्री डी० बी० पाटिल : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर संशोधन संख्या 15 का उल्लेख कर रहा हूं। मंत्री महोदय इसकी व्याख्या करते समय बड़े परेशान थे कि खंड 2 के उपखंड (ii) में प्राइवेट व्यक्तियों तथा दूसरे व्यक्तियों को भूमि देने का उपबंध नहीं है, इसके विपरीत उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना ऐसी भूमि देने से रोकने के लिए है। परन्तु मेरे ख्याल से उन्होंने जो कुछ कहा है और जो व्यवस्था है वे एक दूसरे के विपरीत है। मेरे अनुसार यह एक ऐसा खण्ड है जिससे राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ऐसी भूमि किसी व्यक्ति को दे सकती है। यदि आप मूल अधिनियम के प्रारम्भिक उपबन्ध पर ध्यान दें तो मूल अधिनियम की धारा 2 में निम्नलिखित व्यवस्था है—

"किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई

[श्री डी० बी० पाटिल]

राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, नहीं देगा—

(एक) कि कोई आरक्षित वन (उस राज्य में तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में "आरक्षित वन" पद के अर्थ में) या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जायेगा;

(दो) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग की किसी वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाये।"

इन खंडों में यह जोड़ दिया गया है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ऐसा कर सकती है।

"कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण निगम, अभिकरण या अन्य संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध या नियन्त्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए।"

मुझे 'किसी प्राइवेट व्यक्ति' के सम्बन्ध में संदेह है। कानून के उपबन्धों में विनिर्दिष्ट है कि कोई अकृषक कृषि भूमि को नहीं खरीद सकता है। ऐसे कुछ उपबंध हैं। इसके बावजूद भी हजारों अकृषकों ने सभी राज्यों में कृषि भूमि खरीद ली है।

यदि आप राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से किसी व्यक्ति को भूमि देने या समनुदेशित करने की स्वीकृति देंगे तो देश में बहुत से ऐसे धनी लोग हैं जो इस उपबन्ध से बर्बादी मचा देंगे क्योंकि हमारे देश में श्वेत धन और काला धन पानी की तरह बह रहा है और वे इससे बर्बादी फैला रहे हैं।

अगला संशोधन संख्या 16 मैंने पेश किया है। खंड (चार) में यह व्यवस्था है —

"कि किसी वनभूमि या उसके किसी प्रभाग से, पुनर्वनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वृक्षों को जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आये हैं, काटकर साफ किया जाये।"

यह परस्पर विरोधी है। वनरोपण सम्बन्धी धारा को लागू किया जा रहा है तथा वहां जो वृक्ष उग आये हैं उन्हें काट दिया जायेगा। मैंने सुझाव दिया है कि सभी वृक्षों को काटने के बजाए यह व्यवस्था होनी चाहिये कि ऐसी भूमि पर जो वृक्ष पूर्णतः उग आये हैं उन्हें न काटा जाए। जो वृक्ष पूर्णतः उग आए हैं उन्हें काटने का क्या मतलब है क्योंकि वनरोपण के उद्देश्य से ये पूर्णतः उग आए हैं। यह अन्त-विरोधी है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरी बात पर विचार करें और मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

संशोधन संख्या 17 में कहा गया है कि यह वन भूमि है। हमारा सामान्य अनुभव है कि जिसे वन-भूमि कहा गया है वहां कोई वृक्ष नहीं है अथवा यदि वृक्ष हैं तो नाममात्र के हैं यदि वह वनभूमि है तो उसका अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। यह सामान्यतः अच्छी स्थिति नहीं है। मेरा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि नियमों में न्यूनतम सजीव वृक्षों की संख्या निर्धारित की जाए तथा उस विशेष वन क्षेत्र में न्यूनतम वृक्ष होने चाहिएं।

मेरा संशोधन संख्या 18 सामान्य है। मैंने सुझाव दिया कि लघु सिंचाई, पेय जल की सप्लाई बिजली की लाइन बिछाने, सड़कों का निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों वाले प्राधिकरण को दो गुनी भूमि में वनरोपण के लिए धनराशि देनी चाहिए क्योंकि भूमि के लिए आप उचित प्राधिकरण की आशा नहीं कर सकते बल्कि आप उनसे वनरोपण के लिए धन देने के लिए कह सकते हैं। मैंने सुझाव दिया है कि यदि संबद्ध प्राधिकरण परियोजना के लिए अपेक्षित क्षेत्र से दो गुने क्षेत्र में वनरोपण के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था करता है तथा कलक्टर के पास धनराशि जमा करता है तो भूमि को अन्य उद्देश्य के उपयोग की अनुमति दी जाए।

इस उपबन्ध तथा इस विधेयक के कारण पिछड़े क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं में विलम्ब किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि उन पिछड़े इलाकों में विकास सम्बन्धी प्रक्रिया रुकी हुई है जहां सरकार को ये योजनाएं विशेष रूप से लागू करनी चाहियें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। ये संशोधनों के एक समूह का उद्देश्य राज्य सरकारों को कुछ सीमित क्षेत्र अथवा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिकार देने के लिए है।

मैं एक मिनट में इस सभा के समक्ष वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। 1980 तक राज्य सरकारों को सभी अधिकार प्राप्त थे। 1978 में वन संरक्षण अधिनियम पारित होने से पहले राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि यदि वे किसी विशेष परियोजना के लिए दस हेक्टेयर या इससे अधिक वन क्षेत्र लेना चाहते हैं तो विचार करने के लिए मामला भेज दें। 1978 से लेकर 1980 तक किसी राज्य ने कोई मामला नहीं भेजा। इसलिए सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुये संसद को वन संरक्षण अधिनियम पारित करना पड़ा इस अधिनियम का अच्छा परिणाम यह है कि वन क्षेत्र में फेरबदल 1.5 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष से घटकर 16000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गया है। यदि शक्ति दे दी जायेगी तो यह प्रक्रिया धीरे-धीरे चलती रहेगी और अधिकांश वन क्षेत्र का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग होगा। यह भी एक कारण है जिससे मैं इन प्रस्तावों को नहीं मान रहा हूं।

महोदय, श्री पाटिल ने अपना संशोधन पेश करते हुए कहा कि यह प्राइवेट व्यक्तियों के लिए समर्थक उपबन्ध है। हमने ऐसा क्यों किया है। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां खनिज हैं तथा वन क्षेत्रों में भी खनिज पाये जाते हैं इसलिए राज्य सरकारें अथवा परियोजना अधिकारी आशय निकाल सकते हैं कि विकास सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु इन खनिजों का उपयोग करने के लिए पट्टा दिया जाये। ऐसी स्थिति में उस उपबंध को उन्हें केन्द्रीय सरकार को भेजना होगा।

श्री सिंह देव ने कहा कि यह तीन सदस्यों की समिति है। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को गलत सूचना दी गई है।

श्री के० पी० सिंह देव : मैंने यह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र की अधिसूचना से पढ़ा है। मैंने स्वयं इसे प्रकाशित नहीं किया।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : उसमें छः सदस्य हैं उनमें तीन विशेषज्ञ हैं तथा तीन गैर-सरकारी विशेषज्ञ हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जी नहीं।

श्री एस० जी० घोसप : मैं सभा से खंड 2 में संशोधन करने वाले अपने संशोधन संख्या 2, 3, 4 और 5 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 2 से 5 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं सभा से खंड 2 में संशोधन करने वाले अपने संशोधन संख्या 8 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 8 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं श्री सैफुद्दीन सोज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 और 11 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 10 और 11 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12, 13 और 14 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 12 से 14 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 15 से 18 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 15 से 18 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब नये खंड के लिए एक संशोधन है। श्री के०पी० सिंह देव बोलें।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5·00 म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

सियोल ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर आते हैं—सियोल ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में श्री सी० जंगा रेड्डी द्वारा पहली दिसम्बर, 1988 को उठाए गए मुद्दे पर चर्चा। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, उस दिन मुझे बोलना था कि कोरम का प्रश्न उठा दिया गया।

सभापति महोदय : तो आप पहले आरम्भ करिए, आपके बाद श्री जैन बोलेंगे।

श्री एन० टोम्बी सिंह : सभापति महोदय, वास्तव में उस दिन मैंने बोलना आरम्भ नहीं किया था, किन्तु मेरा नाम पुकारा गया और कोरम को चुनौती दी गई।

5.01 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, हम सियोल ओलम्पिक में अपने प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में काफी लम्बी चर्चा हुई है और इस सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों ने अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं उन लोगों की लम्बी कतार में शामिल नहीं होना चाहता जो इस मामले में सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं क्योंकि निराशाजनक या अच्छे प्रदर्शन का मूल्यांकन इस बात से होता है कि हम वहां किस उम्मीद के साथ गए थे। सियोल ओलम्पिक तक किसी भी ओलम्पिक में हमें खेलों में कभी भी शक्तिशाली देश नहीं माना गया। हम 1952 से कभी भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। हां, हाकी जैसे टीम खेलों में कभी कभार आशा की किरण चमकती रही है। प्रश्न यह है कि क्या सियोल ओलम्पिक में हमने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है, यदि किया है तो जैसी कि कहावत है कि सर्वोत्तम से बेहतर नहीं हो सकता। मैं इस आलोचना से सहमत नहीं हूं कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया। यह निश्चित है कि हम बहुत अच्छा खेल नहीं खेले हैं। किन्तु यह केवल इस बात का द्योतक है कि भविष्य में कुछ आशा है। हम दक्षिण कोरिया का उदाहरण लेते हैं। यदि हम विश्व खेलों के विगत इतिहास

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

को देखें तो दक्षिण कोरिया ने चमत्कार किया है। आर्थिक क्षेत्र में भी कमाल कर दिया है। इन थोड़े से ही दशकों में, हमारे विशाल देश के मुकाबले, एक छोटा सा देश दक्षिण कोरिया आर्थिक रूप से या अन्यथा इस स्तर तक पहुंच गया है कि हम उसका उदाहरण दे सकते है। विशेषकर खेलों के क्षेत्र में इस देश ने 24वें विश्व ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया है और कुछ महत्वपूर्ण मुकाबलों में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीतने का इसका अपना औचित्य है। यदि हम अन्य देशों को भी देखें तो आज वह जिस स्तर पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने वह स्तर रातोंरात हासिल नहीं कर लिया। भारत एक विशाल देश है। जब हम यह कहते हैं कि खेलों में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा तो हम अपना मूल्यांकन हमारी विशालता के सन्दर्भ में करते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, अत्यन्त विशाल है और उस प्रकार से खेलों के क्षेत्र में भी काफी क्षमता होनी चाहिए। किन्तु मुझे यह कहना पड़ेगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में खेलों को संरक्षण देने के क्षेत्र में हमने बहुत अधिक प्रयत्न नहीं किए हैं। जब यह चर्चा आरम्भ हुई तो इस चर्चा के बीच शायद मेरे माननीय दोस्त डा० दिग्विजय सिंह द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा कि खेलों के आधारभूत ढांचे को केन्द्रीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेषरूप से यह कहा कि खेल और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की बुनियादी सुविधाएं हर जगह नहीं होनी चाहिए। किन्तु, इसके साथ हमें यह देखना चाहिए कि कुछ हद तक राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों में तथा शहरी क्षेत्रों में भी सुविधाएं होनी चाहिए जहां लोग जाकर अभ्यास कर सकें। तो वहां से युवा प्रतिभाओं का चयन करना आसान हो जाएगा।

अब जहां तक संरक्षण की बात है राज्यों के पुलिस संगठन, के०रि०पु०ब०, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार बैंक, इण्डियन एयरलाइन्स, रेलवे, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संगठन मेधावी खिलाड़ियों को संरक्षण देकर अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें अपनी टीमों में शामिल कर रहे हैं। इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि सरकार स्वयं खिलाड़ियों से सीधा सम्पर्क करे। सरकार को यह कार्य संरक्षण देने वाले संगठनों और सरकारी विभागों के माध्यम से करना पड़ता है। किन्तु इन संगठनों को युवा प्रतिभाएं ढूंढनी पड़ती हैं। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि खेलों और कलाओं में युवा प्रतिभाओं को ढूंढा जाए। युवा प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए हमें देश के विभिन्न भागों में स्कूल खोलने होंगे। हमें अभी स्कूल प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खेलों और अखिल भारतीय स्तर के विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं से ईष्टतम लाभ उठाना है। सुब्रतो मुखर्जी कप जैसी स्कूल स्तर पर कई प्रतियोगिताएं चल रही है। किन्तु हमें यह देखना होगा कि इस प्रकार की अधिक से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं जिनका युवा प्रतिभाओं के चयन के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम इन युवा प्रतिभाओं के बड़े होने पर इन्हें विभिन्न संगठनों के हवाले कर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम देश में अपने खेलों के इतिहास को देखते हैं कि रजवाड़ों ने हमें अधिक खिलाड़ी दिये हैं। हम, पोलो का उदाहरण लेते हैं। यह एक ऐसा खेल है जो मेरे राज्य में आरम्भ हुआ। अब विश्व कोष अलग मत दे रहा है। किन्तु सच्चाई यह है कि मेरे राज्य में लोग अब भी इस खेल को स्वदेशी खेल के रूप में प्राचीन तरीके से खेलते हैं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि यह मेरे राज्य, मणिपुर में आरम्भ हुआ। यह आज दिल्ली, जयपुर और इंगलैंड में अपने उद्गम स्थल से बेहतर खेला जा रहा है। यह एक अत्यन्त खर्चीला खेल है। इस खेल को काफी संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है जो हम नहीं दे सकते।

इसी प्रकार देश के अन्य भागों में भी अन्य स्वदेशी खेल हो सकते हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर

संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल मुंह जबानी संरक्षण ही नहीं दिया जाना चाहिए। जब मैं संरक्षण देने की बात कहता हूं तो इसका अर्थ है कि खिलाड़ियों को क्षेत्रीयवाद राजनीति, जातिवाद और साम्प्रदायिकता से मुक्त किया जा सके। इसलिए, संरक्षण इस आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं खेलों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा। हमारी अपनी सीमाओं के भीतर हमें प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम खिलाड़ी तैयार करने होंगे और हर किस्म का भाई-भतीजावाद दूर करना होगा। खिलाड़ियों के चयन में क्षेत्रीयवाद, जातिवाद या राजनीति या किसी भी किस्म के भाई-भतीजावाद की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं अपने खिलाड़ियों और खेल प्राधिकरण के बीच अनुशासन की आवश्यकता पर बल दूंगा। मैं आपको कुछ वर्ष पूर्व अम्बेडकर स्टेडियम में एक कोरियन यूनिवर्सिटी टीम और पंजाब की एक टीम के बीच हुए फुटबाल मैच का उदाहरण देता हूं। एक कोरियाई खिलाड़ी के गलत खेल के कारण मैच में बाधा पड़ गई। खेल रोक देना पड़ा और फिर से शुरू करना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में कोरियाई कोच ने गलती करने वाले खिलाड़ी को बीच मैदान में थप्पड़ मारा। इससे सम्पूर्ण भीड़ तथा दूसरी ओर के खिलाड़ी शान्त हो गये। यह इस बात का द्योतक है कि अन्य एशियाई देशों में कोच और खिलाड़ी, लीडर और अन्य खिलाड़ियों के बीच हमारे गुरु-शिष्य जैसे संबंध हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमें भी यही कुछ करना चाहिये। किन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। एक स्वर्ण पदक विजेता, एक महिला साइक्लिस्ट, कुमारी मेधा ने समाचार पत्रों में शिकायत की कि उनका कोच महिला प्रशिक्षुओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले जैसा व्यवहार करता है और जैसा कि समाचार छपा है किसी भी लड़की को कोच मर्जी से टीम में रखता अथवा निकाल देता है। अर्थात अगर कोई लड़की उसकी छेड़छाड़ सह लेती है और कोई विरोध नहीं करती है तो उसे टीम में शामिल कर लिया जाता है और अगर वह उसकी छेड़छाड़ का विरोध करती है तो उसे टीम से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त पेचीदा और चिंताजनक है। हमें यह देखना होगा कि कम से कम खिलाड़ी और कोच के बीच का संबंध मधुर और नैतिक हो। यह कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं। तब भी इस सम्बन्ध को तो बनाये रखना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि संदेह का लाभ किसको मिलना चाहिये। जबकि एथलीट ने अपने ही प्रशिक्षक की शिकायत करने का साहस किया था। मैं नहीं जानता क्या सरकार मुख्य प्रशिक्षक के नौकरशाही स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही करेगी या शिकायतकर्ता को संदेह का लाभ देगी। लेकिन उन्हें सजा दी जानी चाहिये और यदि वह कहते हैं कि लड़कियां भी ठीक से व्यवहार नहीं कर रही हैं तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? मैं कहना चाहता हूं कि संदेह का लाभ एथलीटों को दिया जाना चाहिये जिन्होंने अपने कैरियर की परवाह किये बिना शिकायत लेकर प्रेस के पास गये कि प्रशिक्षक ने दुर्व्यवहार किया है।

मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यद्यपि हम देश के सम्पूर्ण खेल पहलुओं पर यहां चर्चा नहीं कर सकते परन्तु इस चर्चा का लाभ उठाते हुये मैं मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश के कतिपय भागों में जैसा कि मैंने प्रारम्भ में बताया देशी खेलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। जैसे कि मेरे राज्य के कुछ खेलों के नाम हैं मुकना खोंग कांजी, कांग, सगोल कांजी और वीरकपी। 'मुकना' मणिपुरी शैली की कुश्ती का नाम है जिसे हमने मास्को-भारत उत्सव में प्रदर्शित किया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे पसन्द किया था। 'खोंग कांजी' नामक खेल मणिपुरी ढंग की 'हाकी' है। मुझे ऐसे राज्य का होने पर गर्व है जिसने बिना बुनियादी सुविधाओं के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे हाकी के खिलाड़ी, तैराक, तीरन्दाज, साईकिल चालक दिये हैं। उनमें प्राकृतिक प्रतिभा है। मुझे मालूम हुआ है कि भारत सरकार ने विशेष तौर पर इम्फाल में हाल ही में पटियाला मॉडल

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

का संस्थान खोला है। यहां पर प्रतिभाओं को लाने में तथा उन्हें विभिन्न खेलों का अच्छा प्रशिक्षण देने में काफी समय लगेगा। परन्तु यह संस्थान शीघ्र ही काम आरम्भ करने वाला है और इसे अपने कार्यक्रम अभी आरम्भ करने हैं। मैं आशा कर सकता हूं कि इससे न सिर्फ अच्छी शुरुआत ही होगी अपितु देश में खेलों के लिये अर्थपूर्ण योगदान भी मिलेगा।

पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेरा राज्य खेलों में सबसे आगे है। वहां पर जन्मजात प्रतिभाएं हैं तथा साथ ही साथ मुकना खोंग कांजी, सगोल कांजी तथा यूबीरकपी जैसे खेलों का विकास किया जा रहा है। एक और खेल है जिसका नाम है 'कांग' इसे किसी ढंके हुये स्थान के नीचे फर्श पर खेला जाता है। यह बहुत ही दिलचस्प एवं वैज्ञानिक तरीके का इन्डोर खेल है तथा भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस खेल का प्रदर्शन पुणे तथा अन्य स्थानों पर देखा है। यह मेरी जानकारी है। अतः कृपा कर इन देशी खेलों पर ध्यान दीजिये, उन्हें प्रोत्साहित कीजिये ताकि इन्हें राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके।

इसी तरह की स्थिति राज्यों के अन्य भागों में भी हो सकती है। परन्तु मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

इन सुझावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मुझे कुछ कहना है। श्री के० पी० सिंह देव जो कि ओलंपिक के चीफ डी मिटान थे यहां मौजूद हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमें नहीं मालूम वह कब बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को बोलने दीजिये उन्हें देखने दीजिये कि अन्य सदस्य क्या बोलते हैं। उसके बाद वह बोलेंगे।

श्री संफुद्दीन चौधरी : मैंने सोचा कि वह बोलेंगे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा मत सोचिये।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक महान देश है, इस महान देश में हम खेल-कूद में, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं लेकिन जब हम ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं तो उसका जो रिकार्ड है वह शुरू से लेकर आखिर तक निराशाजनक रहा है। सियोल में भी हमने भाग लिया और वहां पर भी हमारा डिसमल रेकार्ड रहा जिसका सारे देश पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं अपने जिले के एक फंक्शन में स्पोर्ट्स के बारे में उद्घाटन भाषण दे रहा था तो वहां पर विद्यार्थियों की ओर से यह आवाज आई कि हमारे भारतवर्ष ने इन ओलंपिक्स में भाग ही क्यों लिया। जब यह स्थिति थी तो क्यों ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी भेजे गये? हमें वहां पर अपने खिलाड़ी भेजने ही नहीं चाहिए थे। उनका यह सुझाव था कि जब हम पूरी तरह से तैयार हो जायें, जब ये कांपिटीशंस में पूरी तरह से स्टैण्ड कर सकें तभी हमें वहां जाकर भाग लेना चाहिए अन्यथा भाग नहीं लेना चाहिए। चीन ने बहुत समय तक ओलंपिक्स में भाग नहीं लिया। जब वह पूरी तरह से तैयार हो गया तभी वह ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए आया। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें भी इस प्रकार से आलंपिक्स में भाग नहीं लेना चाहिए। केवल उन्हीं टीम्स को वहां पर भेजना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड की हों। क्योंकि

भाग लेने के बाद इस तरह से हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। यह हम किसी भी स्थिति में बरदाश्त नहीं करेंगे।

हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी भारत सरकार ने स्पोर्ट्समैन की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए एक अलग से स्पोर्ट्स का मोहकमा कायम किया लेकिन इस मोहकमे का जो मिनिस्टर हो वह कैबिनेट रैंक का होना चाहिए। यदि हम अपने देश में स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं और वर्ल्ड कांपिटीशंस में आना चाहते हैं, ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं तो हमारा खेल मन्त्री कैबिनेट स्तर का होना चाहिए और स्पोर्ट्स के बारे में उसको पूरी तरह से नालेज होना चाहिए। हमारे आज के मंत्री महोदय तो बहुत योग्य हैं, उन्हें खेलों के बारे में पूरी नालेज है परन्तु सब कुछ होने के उपरान्त भी अगर आज हमारी मंत्री महोदया का दर्जा कैबिनेट रैंक का हो तो वे प्रभावशाली ढंग से काम कर सकती हैं, अन्यथा प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकती हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इन्हें ही प्रमोट किया जाए—यह कहिये।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : यह डिस्क्रीशन तो प्राइम मिनिस्टर का है, मैं इस डिस्क्रीशन को यूज नहीं कर सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे स्पोर्ट्स का दर्जा बढ़ाने में कैबिनेट स्तर का मंत्री होना चाहिए। सारे प्रदेशों में भी, आज स्थिति बन रही है, जो मिनिस्टर रखे जाते हैं, जिनका कहीं कोई स्तर न हो, उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी जाती है। राजस्थान में भी यही स्थिति है। दूसरे प्रदेशों में भी मैंने देखा है। ऐसे व्यक्तियों को मिनिस्टर बना दिया जाता है, जो कि कैपेबल नहीं है, जिसको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती है, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी जाती है। इसलिये आवश्यक और जरूरी है कि यदि हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसके स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बजट में भी अधिक प्रावधान करना पड़ेगा। यदि हम खेलों के स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो खेलों के लिये प्रावधान है, उसका दस गुना आप प्रावधान करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी खिलाड़ी भाग लेते हैं, वे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। जो अपनी सर्विस भी करते है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी भाग लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे कभी कभी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उनको रोटी की चिन्ता रहती है और फिर बाद में वे खेल कूद के लिए भाग लें। ऐसी स्थिति में वह खिलाड़ी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर वास्तव में हम खिलाड़ी को आलेम्पिक्स में भाग दिलाना चाहते हैं, तो उन खिलाड़ियों के लिये पूरी तरह से सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उनको किसी भी तरह की आर्थिक चिन्ता नहीं होनी चाहिए। अगर उनको आर्थिक चिन्ता रहेगी तो वह किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकता है। इस चीज के बारे में यदि आप मेरी बात को स्वीकार कर लें और स्वीकार करके कार्यान्वयन करें तो हम वास्तव में दूसरे देशों के मुकाबले में काम्पीटीशन में अच्छी तरह से स्टैंड कर सकते हैं।

इस शुभ अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे कालेज, स्कूल्स और विशेष कर ग्रामीण स्कूलों में खेलों का स्तर बिल्कुल गिर रहा है। पहली बात तो यह कि वहां खेल होते ही नहीं हैं। खेलों के मैदान नहीं हैं। बहुत से सैकेन्ड्री स्कूल्स और हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में खेल के मैदान ही नहीं हैं। जब खेलों के मैदान वहां नहीं होते हैं, तो वे विद्यार्थी आर०एस०एस० में चले जाते है और उनका दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र के विरुद्ध हो जाता है, हमारी सैक्यूलर पॉलिसी के विरुद्ध हो जाता है। यह स्थिति बन जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि सेकेण्ड्री और हायर सैकेंड्री स्कूलों में खेल के मैदान बनाए जाएं। सारे प्रदेशों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में खेल के मैदान होने चाहिए और इसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आप राजस्थान सरकार और सभी प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दें कि जिन-जिन स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं, उसके लिये लैंड एक्विजिशन करना पड़े, तो लैंड एक्वी-

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

जिशन करके खेल के मैदान की आपको व्यवस्था करनी चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत कन्ट्रीब्यूट करे और 50 प्रतिशत राज्य सरकार कन्ट्रीब्यूट करे, ताकि वहां के स्कूलों को खेल के मैदान प्राप्त हो सकें। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में डायरैक्ट एजुकेशन है, लेकिन फिजिकल एजूकेशन नहीं है, आज वहां पर इन्स्ट्रक्टर्स नहीं है, फिजिकल इन्स्ट्रक्टर्स नहीं हैं, जब ऐसी स्थिति है, तो आप खेल कूद को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। आज जरूरत और आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थियों को खेल कूद में सक्रिय भाग दिलाने के लिए, खेल कूद के मैदानों की व्यवस्था करके आलेम्पिक्स गेम के लिए उन्हीं में से छांटना है, सिलैक्ट करना है। अब घंटी बज गई है। इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी केन्द्र सरकार खेल-कूदों को प्राथमिकता दे और इस पर विशेष ध्यान दे और ऐसी स्थिति बने कि भविष्य में जब औलम्पिक खेल होंगे, जो जल्दी ही चार साल बाद होने वाले हैं, तो उन में हम उन्हीं खेलों में भाग लें, जिनमें हमारा स्टैण्डर्ड ऊंचा हो और ऐसी स्थिति बने कि हम कम से कम 10 गोल्ड मैडल जीत कर लाएं। तब हमारे देश की शान बढ़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सियोल गया था। वहां मंत्री जी के साथ मुझे भारत के शर्मनाक प्रदर्शन को देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। महोदय मैं वहां यह देखने नहीं गया था कि भारत पदक जीतेगा क्योंकि ओलम्पिक का आदर्श शक्ति है "जीत महान है" परन्तु उससे भी महान है सदभावपूर्ण मुकाबला।" इसलिए मैं वहां पर इस सदभावपूर्ण मुकाबले को देखने के लिए गया था। हाकी के सेमी फाइनल पूर्व मैचों में भारत का ब्रिटेन के साथ निराशाजनक प्रदर्शन हमने देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे खिलाड़ी निम्न स्तर के ग्रामीण खिलाड़ी हैं जोकि एक छोटे से शहर में खेलने के लिए आये हैं। अत: मैं कहूंगा कि यह बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था जहां तक भारत और ब्रिटेन के साथ हॉकी मैच का संबंध है। हमने और भी ट्रेक खेलों को देखा परन्तु भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के कारण हमने शर्म से अपनी गर्दनें झुका लीं।

महोदय, श्री के० पी० सिंह देय तथा खेल मंत्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा कुछ अच्छा प्रदर्शन करवा सकते थे, कुछ ज्यादा आकर्षित करने वाला काम करवा सकते थे। मैं वहां पर और भी बहुत से खेल देखना चाहता था। श्री के० पी० सिंह देव तथा मारग्रेट अल्वा के उदासीनतापूर्ण रवैये के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। वहां सिर्फ चार या पांच संसद सदस्य थे। मैं भी उन में से एक था। हम ज्यादा खेल नहीं देख सके क्योंकि हमारे अनुरोध के बावजूद भी हमें टिकट प्राप्त नहीं कराई गई। हमें कोई भी टिकटें नहीं मिलीं। लेकिन महोदय हमें बहुत सा अनुभव हुआ। दक्षिण कोरिया हमारे देश के दसवें हिस्से से भी छोटा देश है। लेकिन खेलों में उन्होंने जापान को पछाड़ दिया, काफी खेलों में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसा वे कैसे कर पाएं? इसका कारण है उनका कड़ा अनुशासन। उनकी निष्ठा एवं अन्य बातें इस बात को दर्शाती हैं। हमारे खिलाड़ियों ने क्यों इतना खराब प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसके लिये मंत्री जी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं अपने पूरे जीवन काल में खिलाड़ी रहा हूं। मैं खेल संगठन में था। मुझे कुछ बातें मालूम हैं। मंत्री जी या किसी और को दोषी ठहराने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन हमें खेलों के बारे में कुछ सलाह देनी होगी। वो सलाह क्या है? मुद्दा यह है कि खेल तथा राजनीति दोनों एक साथ नहीं हो सकते। परन्तु

भारत में, आपके मंत्रालय के तहत ऐसा ही हो रहा है। राजनीति हमेशा खेलों में आ जाती है। राजनीति सबसे गंदा खेल है। जिसकी दिल्ली में कोई पहुंच है, वही स्थान पाने में सफल हो सकता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि भारत ने कोई पदक नहीं जीता। मुझे कुमारी पी० टी० ऊषा का निराशाजनक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगा। हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन सियोल में क्या हुआ ? आठ लाइनों वाले ट्रेक की हीट में ऊषा का आठवां स्थान था। हमारे से सिर्फ 3-4 फीट आगे, हमने अमरीका की कुमारी आयनर को देखा। वह रिकार्ड समय में जैसे ही प्रथम आती थीं तो हमेशा सबसे पहले वह भूमि को छूती थीं यह देखने में तो मामूली बात लगती है। परन्तु इस छोटी सी बात से हमें एक सबक सीखने को मिलता है। इससे खिलाड़ी के निष्ठावान होने का पता लगता है। यह खिलाड़ी के समर्पण, लगन के बारे में बताता है। मैं त्यागपत्र देने को नहीं कहता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। किंतु समर्पित रहिये और कुछ ठोस काम और कुछ उचित और प्रभावशाली काम कीजिए।

खेल कूद के नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिये इतने विकास क्यों हैं ? मैं कुछ पूर्व वक्ताओं द्वारा स्पष्ट किये विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अत: मंत्री महोदया इन तथाकथित निकायों के सम्बन्ध में कुछ कीजिये। कोई ऐसा व्यक्ति जो खेलकूद की जानकारी रखता है और जो राजनीति से परे हो इस निकाय का अध्यक्ष होना चाहिए। अत: मैं मंत्री महोदया से कहूंगा कि वह कुछ ठोस काम करें क्योंकि वह इस देश में खेलकूद के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च करने के पक्ष में है।

विम्बलडन में टेनिस अखाड़े में एक बहुत बड़ा नामपट्ट लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है : "विजय और पराजय दो धोखेबाज हैं। इनसे बचके रहना।" लगता है कि हमारे मंत्री इस लोकोक्ति से बहुत प्रभावित हुए हैं। अत: एक खेलकूद प्राधिकरण भारतीय खेल प्राधिकरण होना चाहिए। किंतु प्रभावशाली होने के लिये इसको चलाने के लिये कोई प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। संभवत: ऐसा व्यक्ति नहीं है।

अब मैं कुछ विशेष सुझावों के संबंध में कहता हूं। छोटी आयु में ही खिलाड़ियों को पकड़िये। मैं समझता हूं कि हमें इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि सदन में 540 सदस्यों में से मुश्किल से 30 सदस्य उपस्थित हैं। हम में से कितने लोगों ने रोमानिया की 13 वर्षीय आश्चर्यजनक खिलाड़ी नाडिया कोमानेकी के बारे में सुना है जिसने जिम्नास्टिक्स में 10 में से 10 या चार में से तीन अंक प्राप्त करके असम्भव उपलब्धि प्राप्त की है जो पहले कभी सुनने में नहीं आया है। यदि वह असम्भव काम कर सकती है, तो 80 करोड़ जनसंख्या वाले देश में क्या और कोई कुछ नहीं कर सकता है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रतिभा अन्वेषण प्रतियोगिताएं आयोजित करने में अच्छा काम किया है। किंतु इसमें भी राजनीति आ गई। मेरे अपने राज्य से एक बालक था। वह 12 वर्ष का था। उसने उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के मुकाबले में सब से अधिक अर्थात 23 गोल किये। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी उसको बधाई दी। किंतु अंत में जब नामों की सूची आई उसका नाम निकाल दिया गया था। मैंने लगभग तीन सप्ताह पूर्व इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को लिखा था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : मैंने व्यौरे मांगे हैं।

श्री पराग चालिहा : प्रतिभा अन्वेषण प्रतियोगिता में भी राजनीति ही सर्वोपरि हो जाती है।

[श्री पराग चालिहा]

मैं यही कहूंगा कि। 400 प्रतिभाशाली युवाओं का चयन कीजिये। उन्हें सारी सुविधाएं, सारा साज-सामान दीजिए ताकि उन्हें अपने माता-पिता, भोजन, वस्त्र आदि की कोई चिंता न रहे। उन्हें आधुनिक परिष्कृत कार्यप्रणाली से प्रशिक्षण दीजिये। मैं सलाह देता हूं: यदि संभव हो तो इसे विकेंद्रित कीजिए। राजनीतिक ढंग से नहीं किंतु पश्चिम बंगाल, पंजाब और गोआ में फुटबाल जैसे चुने हुए क्षेत्रों में। खेल-कूद के संवर्धन का विकेन्द्रीकरण आरम्भ कीजिये—मैं राजनीतिक विकेन्द्रीकरण नहीं कह रहा हूं। यदि आपको 200 खिलाड़ी चाहिए आप उन्हें 26 राज्यों में विभाजित न करें; मैं यह नहीं चाहता हूं। मैं खेल कूद के आधार पर ही विभाजन चाहता हूं जैसे पश्चिम बंगाल, गोआ आदि में फुटबाल। हमें 10, 12 या 15 क्षेत्रों तक ही सीमित रहना चाहिए। विशेष क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का विशेष चयन किया जाये। राज्य सरकारों और राज्य खेल बोर्डों को इन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सर्वोत्तम खिलाड़ियों का चयन करने का काम सौंप दिया जाये। मैं इस प्रकार के खेल विकेन्द्रीकरण का सुझाव देता हूं।

मंत्री महोदया, खेल के विकास के लिए कृपया और एक निषेधात्मक काम कीजिए। हमें केवल क्रिकेट को ही क्षमता का एकमात्र क्षेत्र नहीं समझना चाहिए। जब कभी हम टी० वी० चलाते हैं, हम गावस्कर अथवा रवि शास्त्री को देखते हैं। क्या आप ऐसा एक उदाहरण दे सकते हैं जहां फुटबाल या एथलेटिक्स के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है? समाचार पत्रों तथा प्रसारण माध्यमों में भी क्रिकेट को प्रोत्साहन देने और क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रशंसा करने पर जोर दिया जाता है और अन्य किसी खिलाड़ी को नहीं। केवल क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल बन गया है जबकि यह नवाबों का खेल था। मेरे राज्य में एक क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें नवाब ऑफ पटौदी ने भी खेला। छोटे बच्चे भी यह देखकर उत्साह से प्रसन्न हुए कि उन्होंने कैसे जूते पहने था और इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार उन्होंने बल्लेबाजी में कैसी विशेषता दिखाई। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमें क्रिकेट समाप्त करना चाहिए। किंतु हमें इसका महत्व कम करना चाहिए और इसी को किसी अन्य खेल में लगाना चाहिए जिसमें हम अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। प्रसारण माध्यमों और दूरदर्शन को दौड़, कूद और फुट बाल, वॉली बाल और बैडमिन्टन पर नियमित कार्यक्रम चलाने चाहिए। दूरदर्शन तथा प्रचार माध्यम से सम्बद्ध लोगों को भी इस सम्बन्ध में कुछ करना है।

अब मैं छात्रवृत्ति के संबंध में कहता हूं। खेल छात्रवृत्ति के क्षेत्र में भी राजनीति आ गई है। इसमें भी वास्तविक उभरते हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति लगभग छोड़ दिये जाते हैं। केवल कुछ ऐसे व्यक्तियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है जिनकी संसद सदस्यों और मंत्रियों द्वारा सिफारिश की जाती है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि कोई ठोस काम करें और सच्चे उभरते हुए प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन करें और उन्हें सभी सुविधाएं दें। यदि 400 लड़के हैं तो उन्हें 400 छात्रवृत्तियां दीजिए। मैं समझता हूं कि यह 200 करोड़ रुपये या इससे अधिक खर्च करने से कहीं अच्छा होगा। यह मेरा विश्वास है।

सभी पाठशालाओं तथा कालिजों में खेलकूद पुस्तकालय होना चाहिए। मैं एक कालिज के प्रिंसिपल के रूप में अपने 38 वर्ष के अनुभव के आधार पर जानता हूं कि मेरे कालिज के पुस्तकालय में 40 हजार पुस्तकों में खेल से सम्बन्धित मुश्किल से 100 पुस्तकें थीं। आपको विभिन्न क्षेत्रों में कुछ खेलकूद पुस्तकालयों का आयोजन करना चाहिए ताकि उभरते हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति विभिन्न खेल तकनीकों के सम्बन्ध में जान जाएं। कुछ विशेष पुस्तकालयों का चयन कीजिए जो केवल खेलकूद से सम्बन्धित हों।

आजकल खेलकूद का संबंध अत्याधुनिक सामग्री और उपकरण के प्रयोग से संबंधित है। अत: ऐसी सुविधाएं चुने हुए खेल संगठनों को उपलब्ध कीजिये। पुर्तगाल और ब्रिटेन में नौका विहार और नौका चलाने में वे कम्प्यूटर का उपयोग करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हम इन क्षेत्रों में न जाएं। केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों तक ही सीमित रखिए। हमें अधिक जोर ग्रामीण खेलों की ओर देना चाहिए। हम अपने आप को बड़े कस्बों और नगरों तक ही सीमित रखते हैं; किंतु सच्चे खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि वे सहज ही मजबूत और स्वस्थ हैं। अत: ग्रामीण क्षेत्रों से ही बच्चों को चुन लीजिए।

इतने विशाल देश में एक प्रशिक्षण केन्द्र से कुछ नहीं होगा। अत: अधिक प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता है और इन में वास्तविक रूप से प्रभावशाली प्रशिक्षण होना चाहिए। केवल 15 दिन या 20 दिन के प्रशिक्षण से कुछ नहीं होता। प्रशिक्षण लगातार होना चाहिए।

अंत में मैं यही कहूंगा कि खेल मंत्रालय द्वारा पूरी निगरानी होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि निगरानी के लिए कुछ करें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए : प्रोत्साहन देना न कि राजनीतिक रंग चढ़ाना; महिमा प्रदान करना, पूजा करना नहीं।"

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, सिओल में जो कुछ हुआ, उससे सचमुच हमें तकलीफ हुई। मैं यह कैसे कहूं कि हमारा सिर शर्म से झुक गया लेकिन लाफिंग स्टाक तो हम हो ही गये। जो कुछ सिओल में हुआ, उसको देखकर मुझे सन् 62 की घटना याद आ गई जब चीनियों के साथ लड़ाई में हमारे जनरलों ने हमारे सिपाहियों को हिमालय पर भेज दिया था और जो डिजास्टर वहां पर हुआ, वह आज तक हम लोगों को याद है। लगता यही है कि हम वहां पर बिना पूरी तैयारी के हम खेलने चले गये या कहिए घूमने चले गये और जो कुछ हुआ उसका दर्द हर भारतीय के हृदय में है। इस हार से हमें एक सबक लेना चाहिए और एक काम्प्रीहेन्सीव स्पोर्ट्स पालिसी सरकार को लानी चाहिए जिससे इस देश में खेलों को उसका सही स्थान दिया जा सके। देहातों में कहा जाता है "पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब"। खेलों को बचपन से ही डेनीग्रेट किया जाता है। हमें पूरी मनोवृत्ति बदलनी होगी और देश को यह बताना होगा कि खेल भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना जरूरी है। ओलंपिक में क्या हुआ और कैसे हुआ यह तो के० पी० सिंह देव जी या मंत्री जी बताएंगे। जो कुछ हमने अखबारों में पढ़ा, उससे पता चलता है कि पी०टी० ऊषा पूरी तरह दौड़ने के लिये तैयार नहीं थी। कुछ दिन पहले टी०वी० पर दिखाया गया था कि उसके पैरों में खराबी है और वह मालिश करा रही थी। ऐसी हालत में उसको नहीं भेजना चाहिए था। अखबारों में हमने पढ़ा कि सिओल में हमारी हाकी के कीट बहुत देर से पहुंचे जिससे कि लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाये इसलिए हाकी में बुरी तरह मात खा गये। इन सारी बातों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति पर उसका दोष देने से काम नहीं चलेगा। स्पोर्ट्स में सही अर्थ में लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। स्पोर्ट्स के संबंध में विदेशों में बहुत ही अहम तरीके से ध्यान दिया जाता है। जी०डी०आर० जैसे छोटे मुल्क में एक लाख कोचेज हैं और हमारे यहां आठ हजार हैं। आप सोच सकते हैं कि खेल को महत्व दूसरे देशों में कितना दिया जाता है? यही नहीं कुछ देशों में खिलाड़ियों की मिलिट्री के अन्दर रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वे एक स्तर तक जाकर कम्पीट कर सकें। अपने देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर देश जो खेल में आगे बढ़ा है वहां पर स्पोर्ट के टैलेंट को 10-12 से 14 साल तक स्पाट किया जाता है। पी० टी० ऊषा को भी 12 वर्ष

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

की उम्र में स्पाट किया गया था। अमरीका में यूनिवर्सिटीज और कालेजेज के कोचेज छोटे-छोटे स्कूल्स में जाकर खिलाड़ियों को स्पाट करते हैं। फिर उसको रिग्रेस ट्रेनिंग दिलाते हैं और उसको सारी सुविधाएं देते हैं। जब तक कुछ ऐसी बात अपने देश में नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते केवल भाषण देकर हम अपने घर चले जायेंगे अगले ओलम्पिक का इन्तजार करेंगे और भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। इससे हमारा कितना अपमान होता है इसको समझना चाहिए। खेल का अर्थ दुर्भाग्यवश इस देश में क्रिकेट से समझा जाता है और क्रिकेट का तो यह हाल है कि जो क्रिकेट को नहीं समझते हैं वह भी ट्रांसिस्टर लिये कमेंटरी सुनते हैं और टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं इसलिए कि कोई दूसरा यह नहीं समझे कि यह नहीं जानता। हम लोगों का जमाना था, मैं रूरल बैकग्राउण्ड से आता हूं। लोग फुटबाल को बड़ी अहमियत देते थे और जगह-जगह से फुटबाल की टीमें आया करती थीं। आज यदि डी०सी०एम० का फुटबाल मैच टी०वी० पर दिखाया जाता है तो कोई बच्चा देखना नहीं चाहता इसलिए कि सीकर में क्या है। इस मनोवृति को बदलना होगा। मैं कहूंगा कि साल भर तक आप टी०वी० पर क्रिकेट को दिखाना बन्द कर दें, आप हाकी दिखाएं या उसके साथ-साथ दूसरे खेलों को भी दिखाएं। केवल क्रिकेट ही नहीं दिखाएं। आप जनता को शिक्षित कीजिए। दूसरे खेलों का भी उतना महत्व है जितना क्रिकेट का है। देहात में जहां खेल के मैदान होते हैं वहां पर खेलों को अधिक महत्व दिलाएं। इससे एक अनुशासन होगा। आज की तारीख में मैं देहातों में बहुत घूमता हूं मैंने देखा वहां कोई खेल नहीं होता है। पहले खेल होते थे, फुटबाल होती थी, टीम स्प्रिट में अनुशासन आ जाता था। अनुशासन सिर्फ उसी टीम में नहीं आता था पूरे स्कूल में आ जाता था। आज यदि स्कूल और कालेजेज में अनुशासन नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने खेलों पर ध्यान नहीं दिया है। विदेशों में बिजनेस हाउसेज खेल के प्रयोग पर बहुत खर्च करते हैं, अपने भी देश में बिजनेस हाउसेज को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो बिजनेस हाउस खेल पर खर्च करे उस खर्च को इन्कम टैक्स की छूट दे दी जाये और जैसा कि मैंने कहा कि स्पोर्ट को उसको उचित स्थान दिलाने के लिए स्पोर्ट्समैन को सब जगह प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। चीन में जब खेलों को आगे बढ़ाया गया था तो खिलाड़ी को राशन में, नौकरी में और दूसरी चीजों में प्राथमिकता मिलती थी। मैं चाहूंगा कि अपने देश में भी कोई वैसी ही स्कीम आरम्भ की जाए ताकि हर स्पोर्टसमैन को समाज में इज्जत का दर्जा मिले, उसे हर जगह कुछ न कुछ प्रिफरेंस मिले, और नौकरियों में तो कम से कम मिले ही।

मैं यह बात और कहूंगा कि इसमें हमारी मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स अथोरिटी या फैडरेशन का रोल क्या हो, उसे अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया जाए क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं।

अन्त में यही कहूंगा कि अभी भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हमारा देश बहुत बड़ा है। जब हर फील्ड में यह देश आगे बढ़ रहा है, आत्म-निर्भर हो रहा है, हम हर मामले में इतना आगे बढ़े हैं कि सारी दुनिया हमारी फैसिलियत का लोहा मानती है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में देख लीजिए, साइन्स के क्षेत्र में देख लीजिए, टैक्नालोजी के क्षेत्र में देख लीजिए, हमने हर क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है, तो कोई कारण नहीं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी तरक्की न कर पायें। आवश्यकता केवल स्ट्रांग बिल पावर की है। उससे भी ज्यादा आवश्यकता प्रोपर स्पोर्ट्स पौलिसी की है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, सियोल ओलम्पिक में टीम भेजने से पहले, और

जितने दिन हमारी टीम वहां रही, उसने विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेट किया, हमें उससे ज्यादा आशाएं नहीं थीं। यह सब लोग मानते थे कि भारत ज्यादा से ज्यादा यदि कोई पदक ले सका तो मात्र हाकी में ले पायेगा परन्तु हाकी में भी हम जिस तरीके से हारे, उसे देखकर सारे देश को निराशा हुई। सियोल ओलम्पिक में हमारी हार से सारे देश में एक ऐसी भावना निर्मित हो गई कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सियोल में कोरिया की परफोरमैंस देखकर, कोरिया की उपलब्धियां देखकर सचमुच हमारे हृदय और देश के सारे प्रबुद्ध वर्ग में यह भावना पैदा हुई कि हमें भी उस छोटे से देश का अनुकरण करना चाहिए, जो हमारी तरह एशिया महाद्वीप का अंग है, यदि वह 15—20 साल के सीमित समय में अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत में इतना नाम पैदा कर सकता है तो भारत जैसा विशाल देश क्यों नहीं कर सकता। यदि हम सियोल में अपनी विफलता की तुलना कोरिया की सफलताओं के साथ करके देखें, जिस तरीके से कोरिया ने पहले एशियाड और फिर ओलम्पिक के लिए तैयारी की, यदि भारत भी 15—20 साल आगे की योजना बनाकर तैयारी आरम्भ कर दे तो कोई बात नहीं कि हम उससे अच्छी परफोरमैंस ओलम्पिक में दिखा सकते हैं। आगामी एशियाड और आगामी ओलम्पिक को ही अभी से दृष्टि में रखकर हम तैयारी आरम्भ न करें बल्कि 15-20 साल आगे होने वाले खेलों के लिए अभी से अपने खिलाड़ी तैयार करें, उच्च कोटि का प्रशिक्षण उन्हें दें तो यकीनन कोरिया की तरह या दूसरे देशों की तरह, जिन्होंने इन खेलों में महान उपलब्धियां हासिल की हैं, हमारा देश भी खेल जगत में कुछ नाम करके दिखा सकता है। इसके लिए अकेले खेल मंत्रालय को, स्पोर्ट्स औथोरिटीज या फैडरेशन संघ को ही तैयारी करने की जरूरत नहीं है बल्कि सारे देश को तैयारी समिति में बदलना पड़ेगा। जब तक सारे देश में ऐसा माहौल पैदा नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी। यदि हम यह मानकर चलें कि कुछ स्पोर्ट्स औथोरिटीज, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लगे संघ आदि ही सारे अजूबे को कर लेंगे, सारे काम पूरे कर लेंगे, तो वह सम्भव नहीं है। उसके लिए सारे देश को तैयारी करनी पड़ेगी। आज सियोल ओलम्पिक में भारत के अभिमान को जो ठेस लगी है, यदि उसे सामने रखकर हम भविष्य के लिए अभी से तैयारी करेंगे, उस ठेस को अभी से मिटाने के लिए कार्य करेंगे तो यकीनन इसमें आपको, मंत्री जी को और भारत सरकार को लीड लेनी होगी। जब भारत सरकार इसमें लीड लेगी तो निश्चय ही सारे देश का सहयोग उसे मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां हमारे कई मित्रों ने बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम खिलाड़ी को उस समय से जानना शुरू करते हैं जब वह राष्ट्रीय स्तर पर आ जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उपलब्धि प्राप्त करने के बाद हम उस खिलाड़ी का न केवल नाम जानने लगते हैं बल्कि उस खिलाड़ी से बहुत कुछ उम्मीद भी करने लगते हैं। होना यह चाहिए था कि हम खिलाड़ी को शुरुआत से बनाते। बच्चे के रुझान की जानकारी हमको होनी चाहिए थी। जब वह प्राईमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है, उस समय से उसके रुझान की जानकारी लेकर हम उसका चयन करते, चयन करके डिस्ट्रिक्ट लैवल पर या स्टेट लैवल पर अलग-अलग जोन्स में बांट करके हमारे स्पोर्ट्स होस्टल होते, उनमें उन बच्चों को हम तैयार करते और इसका पूरा खर्चा देश वहन करता, तब हम उनसे कुछ उम्मीद करते और वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तो यकीनन हम सोचने लगते और हम यह कहते कि कहीं पर ऐसी कमी है स्पोर्ट्समैन के अन्दर। हकीकत यह है कि स्पोर्ट्स मैन की कहीं कोई कमी नहीं है। पी० टी० ऊषा ने जब पिछली बार एशियाड में चमत्कार दिखाया, तो उसमें हमारे देश का गौरव बढ़ा, हमारी बहनों का गौरव बढ़ा और उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। मैं समझता हूं कि क्रिकेट टीम के वेस्टइन्डीज से जीतने से वह प्रेरणा नहीं मिल पाई जो पी० टी० ऊषा से एशियाड के अन्दर और उसके बाद ओलम्पिक में जो स्थान

[श्री हरीश रावत]

उसको मिला, उसको देख करके लोग प्रेरित हुए। अब हमने पी० टी० ऊषा से कुछ उम्मीद की और हम यह मानकर चलने लगे कि एक खिलाड़ी हमारी पी० टी० ऊषा है और पी० टी० ऊषा भी हनुमान की तरह या भीमसैन की तरह हमेशा बलवान रहेगी और हमेशा वह चमत्कार करके दिखाएगी। इससे काम नहीं चलेगा। स्पोर्ट्समैन की एक ऐज होती है और उस ऐज पर आकर हर एक खिलाड़ी उतरता है। इसी प्रकार पी० टी० ऊषा चढ़ाव पर नहीं है अब वह उतार पर है। तो ऐसी स्थिति में पी० टी० ऊषा से या उनके समकक्ष जो खिलाड़ी हैं या उनकी एज के जो खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने जो कुछ उपलब्धियां और स्तर बनाकर रखा है उसके लिये उनको बधाई देनी चाहिए। मगर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर जो अलग-अलग जोन्स हैं, उनमें अलग-अलग खेलों के प्रति रुझान हैं, उन खेलों को ही संरक्षित करने की कृपा करें जिनमें हम कुछ करके दिखा सकते हैं। सारे दुनिया भर के खेलों को जितने भी हैं अपनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हम ओलम्पिक के अन्दर या एशियाड के अन्दर हर खेल में भाग लें। हम चुने हुए खेलों में भाग ले सकते हैं और उन चुने हुए खेलों में भी जिन जोन्स के अन्दर हमारे देश के जिन भागों में जो खेल पापुलर हैं, उन्हीं को अपना करके और जिन खिलाड़ियों में रुझान है, उनको तैयार करके एक पंद्रह-बीस साल आगे काप्रोस्पैक्टिव प्लान बनाएं, एक ऐसी योजना हमें बनानी पड़ेगी और उसके अनुसार देश को उस तरफ पूरा खर्च वहन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन माननीय मंत्री जी से यह करना चाहूंगा कि इस समय आप बहुत पैसा दे रही हैं राज्य सरकारों को खेल सुविधाओं के विकास के लिए और वह पैसा राज्य सरकारें अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से अधिकांशतः व्यय कर रही हैं और वह पैसा बहुधा रीजनल रैलीज और इस तरह की रैलीज और उनके पम्प एंड शो में खर्च होता जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उस पैसे को हर डिस्ट्रिक्ट में देकर उस डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स के स्टेडियम बनवा दें, स्पोर्ट्स के होस्टल बनवा दें और उन लड़कों को जो कॉलिज से निकलकर आये हैं और जो राज्य स्तर तक के हैं, उनको एडॉप्ट करवा करके अभी से गिल्ड करने में उस पैसे को खर्च करेंगे तो इससे ज्यादा फायदा होगा बजाय इसके कि उस पैसे को हम खाली इस प्रकार से बिखेर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं। इस समय जो हमारे स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में हमारे कई मित्रों ने कहा है कि फैडरेशन्स ने यह किया और वह किया है। मैं नहीं समझता हूं कि इसका सरकारीकरण करने की जरूरत है। अपने-अपने अनुभव की बात है। हो सकता है कि आपका अनुभव ऐसा हो जिसके कारण आपको यह कहना पड़ा। क्योंकि हमने यह देखा है कि जहां हमने सरकारीकरण किया है,

.00 म० प०

वो सरकारीकरण का तात्कालिक प्रभाव अच्छा हो सकता है लेकिन दूरगामी प्रभाव अच्छा नहीं होता। जरूरत आज इस बात की है कि जो हमारे स्पोर्ट्स फैडरेशन हैं, काउंसिल इत्यादि हैं, उनको हम जिम्मेदारी बनाएं, उनके कांस्टीट्यूशन में इस तरह का अमैंडमैंट करें कि उसमें लोग पौलिटिक्स के लिए न जाएं बल्कि सर्व करने के लिए, सेवा करने की भावना वाले लोग जाएं। इस बात की बहुत जरूरत है।

———

6.01 म० प०

नागालैंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : नागालैंड के राज्यपाल ने अपनी 6 अगस्त, 1988 की रिपोर्ट में राष्ट्रपति को सूचित किया कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि संविधान के उपबन्धों के अधीन नागालैंड राज्य सरकार को चलाया नहीं जा सकता है और तदनुसार राज्य में तुरन्त राष्ट्रपति शासन लागू करने और राज्य विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की थी।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति से इस बात की सिफारिश की जाये कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा राज्य विधान सभा को भंग करने की घोषणा जारी की जाये।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति ने 7 अगस्त, 1988 को घोषणा पत्र जारी किया और राज्य विधान सभा भंग कर दी।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी किये गये घोषणा पत्र तथा नागालैंड के राज्यपाल की रिपोर्ट को 8 अगस्त, 1988 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था। लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों द्वारा 9 अगस्त, 1988 को घोषणा पत्र को अनुमोदित कर दिया गया था।

नागालैंड राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई घोषणा पत्र की वैधता को चुनौती देने के लिये श्री वामुजो द्वारा अगस्त, 1988 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, नागालैंड राज्य सरकार भी इस मामले में प्रतिवादी थी।

केन्द्र सरकार की तरफ से विधि तथा न्याय कार्य मंत्रालय और भारत के महान्यायवादी के परामर्श से तैयार और अनुमोदित एक प्रतिशपथ पत्र 19 सितम्बर, 1988 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर किया गया। राज्य सरकार द्वारा भी एक प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मामले पर 26, 27 और 28 सितम्बर, 1988 को सुनवाई हुई। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व भारत के महान्यायवादी द्वारा किया गया। नागालैंड राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व उनके महाअधिवक्ता द्वारा किया गया। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री रघुबीर और न्यायमूर्ति श्री हंसारिया की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई की और न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसले/आदेश दिये हैं। ऐसा समझा जाता है कि मामला तीसरे न्यायाधीश को भेज दिया गया है।

———

6.03½ म० प्र०

कार्यमन्त्रणा समिति

64वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं कार्यमन्त्रणा समिति का चौंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

6.04 म० पू०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 14 दिसम्बर, 1988/23 अग्रहायण, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

— — — —

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिज्स, न्यू-सीलमपुर, दिल्ली-53